



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2012-2013



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर





डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

ANNUAL REPORT 2012-2013

Regd. Office:

Room No. 101A, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi - 110001

Corporate Office :

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Phone : 91-11-23454700 Telefax : 91-11-23454701

Website : www.dfccil.org

GENERAL INFORMATION

REGISTERED OFFICE/ CORPORATE OFFICE

Registered Office:

Room No 101-A, Rail Bhawan,
Raisina Road, New Delhi -110001

Corporate Office:

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex,
New Delhi-110001

STATUTORY AUDITOR

M/s Jain Chopra & Co.
Chartered Accountants
105, Jyoti Bhawan,
Commercial Complex, Mukherjee Nagar
Delhi -110009

INTERNAL AUDITOR

A.R & Co.
Chartered Accountants
C-1, 2nd Floor, RDC
Raj Nagar
Ghaziabad -201002

BANKERS

Union Bank of India
State Bank of India
HDFC Bank
ICICI Bank

LIST OF DIRECTORS (As on 27.09.2013)

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of Holding
1.	Sh. Arunendra Kumar	Part Time Chairman (Official)	05-07-2013
2.	Sh. R. K. Gupta	Managing Director	10-05-2011
3.	Sh. A.K. Dutta	Director (Infrastructure)	01-04-2010
4.	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning)	05-04-2011
5.	Sh. H. D. Gujrati	Director (Operations & Business Development)	29-11-2012
6.	Sh. M. K. Mittal	Director (Finance)	16-09-2013
7.	Sh. Girish Pillai	Part Time Director (Official)	14-11-2012
8.	Sh. Gajendra Haldea	Part Time Director (Official)	02-05-2008
9.	Sh. Bhaskar Gupta	Part Time Director (Non official)	23-11-2010
10.	Sh. R. S. Sharma	Part Time Director (Non official)	25-04-2012

TABLE OF CONTENTS

S. No.	Topics	Page No.
1.	Chairman's Message	5-8
2.	Notice & Proxy Form	9-10
3.	Directors' Report	11-33
4.	Corporate Governance Report (Annexure - A)	34-48
5.	Certificate (Annexure - B)	49
6.	Management Discussion and Analysis Report (Annexure - C)	50-60
7.	Declaration by Managing Director (Annexure - D)	61
8.	Balance Sheet	62-86
9.	Auditor's Report	87-92
10.	Revised Auditor's Report	93-98
11.	Comments of Comptroller and Auditor General of India	99

CHAIRMAN'S MESSAGE

It gives me immense pleasure to welcome all of you to the Seventh Annual General Meeting of the Company, DFCCIL.

The Directors' Report and audited annual accounts of the Company for the year ended 31st March 2013 together with the Auditor's Report have already been circulated to you.

I, feel privileged to be associated with implementation of the Dedicated Freight Corridor Project and am sure this iconic project, will contribute greatly to the much needed transport capacity building for our Country.

The DFC project will bring about a quantum leap in rail transport capacity. With latest technology and operational efficiency, the project will help in bringing down logistic costs and thereby, contribute to the national economy both directly and indirectly. Even during the construction phase, this project will boost the Construction Sector and Industry and Infrastructure Sector are pinning their hopes on successful and timely execution of the project. This puts more responsibility on our shoulders. Most importantly, DFCCIL has a great opportunity to build world-class infrastructure that will have the capability of bringing about a paradigm shift in the transportation sector in India.

Like any other major Infrastructure project, DFCCIL is facing many execution challenges. Land Acquisition in the project is a challenge, which the organization has risen upto. During the year, award for 1915 hectare has been declared u/s 20F of RAA-2008. A total award for 8657 hectares of land (WDFC : 5022 ha out of 5860 ha and EDFC :3635 ha out of 4807 ha) with compensation amounting to ₹4863 Crores. (WDFC:2697 Crores, EDFC; 2166 Crores) has been issued. Notifications under section 20A and 20E of RAA 2008 have been completed for the entire EDFC except Sonnagar-Dankuni section, the land acquisition of which started late but here also 20A for 367 hectare has been issued out of 1002 hectares. Similarly, the notification u/s 20A of RAA-2008 has been completed for the entire WDFC.

I must add that DFCCIL has been able to demonstrate its strength by successfully acquiring land upto 8657 Ha in a project extending from West Bengal to UP, Bihar, Jharkhand, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat & Maharashtra (total 9 states) despite many constraints.

The Company has pursued the strategy of ensuring compliance with National Rehabilitation and Resettlement Policy adopted by the Government of India. For redressal of grievances related with Rehabilitation and Resettlement, an Ombudsman has been appointed during the year under review. In order to ensure the timely and smooth land acquisition, State

Level Coordination Committees headed by the Chief Secretaries of the States, have been formed.

The Company is marching steadily ahead towards the achievement of its goals and has made following notable progress during the year under review ;

- The progress of work of Design and Construction of formation, Bridges and Ballast supply between Mughalsarai-Sonnagar of Eastern DFC for the year ending on March, 2013 has been good. As against the cumulative target of 90%, a progress of 93% has been achieved. All the impediments in 66 Kms of the length, where work is in progress, have been removed.
- The work of Design and Construction of Concrete Bridges between Vaitarna and Utaran of Western DFC during the last year has progressed ahead. Construction of 21 bridges has been completed and link on 18 bridges are in advanced stages of completion. Many contractual and design issues were resolved during the year.
- The Track contractor for 66 Kms section of Durgauti-Sonnagar in Eastern DFC has mobilized his resources. This work for mechanized track laying will be first of its kind in Indian Railways.
- On 24.01.2013 the Company has signed three major contracts for Works (Civil, Structure & Track Contract for Bhaupur – Khurja Lot 101, 102 and 103) for approx. ₹ 3267.54 crores. A General Consultancy contract for Bhaupur – Mughalsarai section and Khurja – Dadri and Khurja – Ludhiana section of Eastern DFC (for APL – 2 & 3) at a cost of ₹ 18.18 crores has also been signed.
- Contract for Civil Building Track works from Rewari-Iqbalgarh (Combined packages CTP 1 & 2) WDFC Phase -1 was signed on 06.08.2013 and effectuated on 19.08.2013.
- The company has signed Loan Agreement ID-P209 for construction in the Phase I for Ninety Billion two hundred sixty two million Japanese Yen with JICA.
- The Loan Agreement for WDFC Phase-2 (Main Loan) was signed in Tokyo by Indian Ambassador to Japan, Ms. Wadhwa, and Mr. Tanaka, President, JICA, on 28-03-2013. MoD for the same was signed between MoR, DFCCIL and JICA on 09.11.2012 for 295 billion Yen.
- ICRA, a unit of Moody's has reaffirmed LAAA-SO (pronounced as L triple Structure Obligation) rating for DFCCIL for the current financial year.

- Human Resource is the building block of any Organization. During the year (2012-2013), Open market recruitment of 200 employees was initiated and the joining & training of these direct recruits are in progress. For immediate absorption, an advertisement for induction against 140 posts from amongst serving Govt./PSU employees was floated and the selected personnel are in the process of joining DFCCIL. Process for induction of 17 Officers in Finance on immediate absorption has been started.
- Various training programmes were organized for capacity building and enhancing the skills of officials like Leadership skills and Strategic Management Programme at ISB. Training in FIDIC Conditions, Training in Land Acquisition and Resettlement & Rehabilitation Programme, Construction Law-Contracts & Dispute Management etc. These training programmes have been appreciated by the funding agencies of DFCCIL especially World Bank during their various meetings and they have placed on record the efforts made by DFCCIL in formulation & development of various HR policies and organizing training programs.
- DFCCIL under its Corporate Social Responsibility (CSR) programme had selected 4 field units for implementation of CSR activities i.e. imparting of various vocational/technical trainings to enhance the employment skills among PAPs during the year 2012-13. Gender Equality was given due consideration to provide equal opportunity to women. To give special focus on the skill training development of women, DFCCIL launched facilities exclusively for women that aim at promoting participation of women. Various courses were designed and introduced under different schemes for target group of young women. During the year, 891 persons were imparted training.
- Company has been able to get almost all the Wild Life and other environmental clearances for the project both in Eastern and in Western DFC. Wildlife clearance for Sanjay Gandhi National Park, which was last major clearance due, has also been received recently in this month only. All the Rehabilitation Resettlement Plan (RRP), Social Impact Assessments (SIA) and other activities of social management relating to land acquisition as prescribed by JICA for WDFC have been completed except identification of Non Title Holders (NTH), which is ongoing. SIA and EA reports of Dadri-Khurja section were prepared. Serious social issues which cropped up in 10 villages in Gandhinagar and 4 villages in Faridabad district have also been tackled with a cautious and people –friendly approach.

- As a step ahead towards good Corporate Governance for carrying out the activities in a transparent manner, number of Office manuals & procedures were evolved i.e. Finance Manual, Vigilance Manual, Finance Accounting Manual, Finance Reporting Manual and Works Manual. By organizing “Change Management Workshop” and “Brain storming Sessions”, efforts have been made towards participative management and to instill sense of ownership in all involved with the project.

I would also like to inform you that as per the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSE) in May 2010, “A Report on Corporate Governance” and “Management Discussion and Analysis Report” , forms the part of the Annual Report for the year ended 31st March 2013. The Company is committed towards ensuring that business ethics and values are adhered to.

Acknowledgements

I thankfully acknowledge the cooperation and support extended by various Directorates of the Ministry of Railways, Zonal Railways, other Ministries under the Government of India, the State Government and its Departments.

Further, I would like to express my sincere thanks to the stakeholders of the Company for their support to the Company. I look forward to their continued support in future also. I sincerely express my gratitude to my colleagues on the “Board” for their valuable advice and their unstinted support and cooperation.

I must place on record my sincere thanks to our lending agencies, Bankers and Business Associates for their cooperation and support to DFFCIL.

I acknowledge the dedicated, concerted, and sincere efforts put in by all Officers and staff of the company. I am sure that with our dedicated efforts, it would be possible to achieve the mission of the Company by pursuing the Company's motto of **Sincerity, Speed and Success**, through a focused approach.

Date : 27.09.2013

Place : New Delhi

**Sd-
Arunendra Kumar
Chairman**

NOTICE

NOTICE is hereby given that 7th Annual General Meeting of the Members of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited will be held on **Friday, 27th day of September 2013 at 12:30 hrs.** in Committee Room, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements, Audited Balance Sheet as at 31st March 2013, Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2013 along with the notes to the Financial Statements together with the Directors' and Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To take note of the appointment of the Statutory Auditor of the Company, appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2013-14, and the remuneration fixed by the Board of Directors by adopting the following resolution.
"Resolved that Members be and hereby took note of the appointment by the Comptroller and Auditor General of India of M/s Baweja & Kaul, Chartered Accountants as Statutory Auditor of the Company for the financial year 2013-2014.
"Resolved further that members took note of the remuneration of the Statutory Auditor fixed by the Board of Directors of the Company for the year 2013-14 at their meeting held on 27.08.2013.
"Resolved further that Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to fix the remuneration of the Statutory Auditor of the Company, including the reimbursement of out of pocket expenses in connection with the audit work, as appointed/reappointed by Comptroller & Auditor General (C&AG) of India in future."

Place : New Delhi
Date : 29.08.2013

By Order of the Board

Sd-
Meenu Kapoor
Company Secretary

Note:

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be the member of the Company. The instrument appointing the Proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the Meeting.
2. The Proxy Form is attached herewith.

PROXY FORM

I.....of.....
resident/s of being
the member of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, hereby appoint
Mr/Ms.....of.....or failing
him/her.....ofas my/our proxy to attend and vote
for me on my behalf at 7th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 27th day
of September 2013 at 12:30 Hrs. in Committee Room, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New
Delhi-110001 and/or at any adjournment thereof.

Signed this.....day of2013,

Signature.....

Ledger Folio

No of Shares held

Name :

Address :

Re. 1/- Revenue Stamp

NOTE:

The Proxy in order to be effective must be received by the Company at the registered office, not less than 48 hours before the time of the meeting. The proxy need not be a member of the Company.

DIRECTORS' REPORT

Ladies /Gentlemen,

Your Directors have pleasure in presenting the Seventh Annual Report of the Company along with the Annual Accounts for the year ended 31st March 2013.

1. SUMMARY OF ANNUAL ACCOUNTS 2012-13.

Financial Statements for financial year 2012-13 are prepared in accordance with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and Schedule VI to the Companies Act, 1956. The Corporation has incurred the following expenditure during the year 2012-13:

A. Expenditure on Project Execution

The cumulative expenditure on Project Execution is ₹ 2334.43 Crores which includes Fixed Assets ₹ 24.35 Crores, Capital Work in Progress ₹ 984.39 Crores, Asset under Development ₹ 2.68 Crores, Capital Stores in hand ₹ 15.73 Crores and Capital Advance ₹ 1307.28 Crores, as on 31st March, 2013. The gross expenditure during the year 2012-2013 on Project Execution is ₹ 1428.71 Crores which includes tangible assets ₹ 2.94 Crores, intangible assets ₹ 0.25 Crores, Capital store in hand ₹ 15.73 Crores, Asset under Development ₹ 2.69 Crores, Capital Advances ₹ 1079.85 Crores and capital work in progress ₹ 32.25 Crores.

During the year the balance of Development Account ₹ 48.36 Crores has been transferred into Capital work in progress..

B. Investment in Fixed Assets

The Investment in Fixed Assets is ₹ 27.04 Crores as on 31st March, 2013, which includes EDP Assets amounting ₹ 4.19 Crores, Computer Software ₹ 1.21 Crores, Computer Software under development ₹ 1.62 Crores Furniture & Fixture ₹ 2.79 Crores, Office Equipment ₹ 5.42 Crores and lease hold premises improvement ₹ 10.74 Crores and assets under development ₹ 1.07 Crores.

2. SOURCES OF FUND

A. Capital Structure

As on 31st March 2013, the Authorized Share Capital of Company stands at ₹ 4000,00,00,000 (Rupees Four Thousand Crores) divided into 4,00,00,000 (Four Crores) Equity shares of ₹ 1,000/- each.

As on 31.03.2013, the Company's paid up Share Capital was ₹ 19,65,05,00,000 /- (Rupees Nineteen Sixty Five Crores five lacs only) divided into 196,50,500 (One crore Ninety six Lacs Fifty Thousand Five Hundred only) Equity Shares of ₹ 1000/- each and Share Application Money was ₹ 742.69 Crores. The Paid up Capital of the Company has been enhanced on account of equity contribution from Ministry of Railways.

B. Funding

(i) Phase I (Vadodara – Rewari) 920 km Phase II (Vadodara - JNPT and Rewari - Dadri)- 564km (JICA) - Consultancy

Loan Agreement ID-P205 for Engineering Services Consultancy (Phase I) for Two Billion Six hundred six million Japanese Yen and loan Agreement ID-P212 for Engineering Services Consultancy (Phase II) for One billion six hundred sixteen million Japanese Yen signed with JICA. We have utilized funds of ₹ 81.02Crores upto 31.03.2013 against the loan.

(ii) Phase I (Vadodara – Rewari) 920 km (JICA)-Construction

Loan Agreement ID-P209 for construction in the Phase I for Ninety Billion two hundred sixty two million Japanese Yen signed with JICA. The expenditure against this loan is yet to be incurred.

iii) The Loan Agreement for WDFC Phase-II (Main Loan) was sent to JICA, in March, 2013, with this funding arrangement for entire WDFC has been tied up.

iv) Funding for Mughalsarai-Kanpur-Khurja-Ludhiana section (1131 Kms) and Khurja-Dadri Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.

- World Bank "in principle" agreed to finance Eastern Dedicated Freight Corridor from Mughalsarai–Ludhiana and Khurja-Dadri Section. Total Loan for the project agreed was US\$ 2.72 billion. Out of which, US\$ 975 million loan for Phase I Project of Eastern DFC from Khurja–Bhaupur (343km) vide Loan No. 8066 IN has been received. Upfront fee of ₹ 12, 46,93,969 has been charged and booked till financial year 2012-13.
- For Bhaupur – Mughalsarai (APL-2), project negotiation is going on with World Bank and in principle agreement for US\$ 1200 million Loan already agreed. Negotiation is expected to be completed by September 2013.
- APL-3 will be taken up after triggers agreed with the World Bank will be achieved.

3) PROGRESS OF THE PROJECT

A. Land Acquisition and Social Safeguards Measures

DFC alignment is passing through 9 states in the Country. On Eastern Corridor, DFC alignment passes through the states of West Bengal, Bihar, Jharkand, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab. The Western Corridor will traverse the distance from Dadri in Uttar Pradesh, via Haryana, Rajasthan, Gujarat to JNPT in Maharashtra.

DFC requires 10667 hectares of land spread over 3338 Kms for both corridors. On the Eastern DFC, it is spread over a length 1301 Kms spread over an area of about 3805 hectares (excluding Sonnagar-Dankuni which is spread in a route of 538 Kms covering an area of 1002 hectares) and on Western DFC, it is spread over a length of 1499 Kms, and an area of about 5860 hectares. Being notified as a Special Railway Project, land acquisition for the project is governed by the Railways (Amendment) Act, 2008 (RAA 2008).

Progress of land acquisition during the financial year is approximately 90% excluding Sonnagar-Dankuni section and above 81% on overall basis. During the year, Award u/s 20F of RAA-2008 has been declared for 1915 hectare. A total Award for 8657 hectares of land (WDFC: 5022 ha out of 5860 ha and EDFC: 3635 ha out of 4807 ha) with compensation amounting to ₹ 4863 Crores. (WDFC: 2697 Crores, EDFC: 2166 Crores) has been issued.

Notifications under section 20A and 20E of RAA 2008 have been completed for the entire EDFC except Sonnagar-Dankuni section, the land acquisition of which started late, but 20A for 367 hectare has been issued out of 1002 hectare. Similarly, the notification u/s 20A of RAA-2008 has been completed for the entire WDFC.

As per section 20-O of the Railway (Amendment) Act, the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007 is to be adopted. The Ministry of Railways has issued Entitlement Matrix which covers category wise various entitlements to be given to Project Affected Areas (PAPs) based on the relevant provisions of NRRP-2007. The compensation package offered by DFCCIL is one of the best in the Country includes, e.g. additional assistance to take special care of weaker sections like SC/ST/Vulnerable groups.

With the active participation of the affected families, due care has been taken to avoid or minimize land acquisition and involuntary resettlement impacts by exploring all viable alternatives and to ensure adequate rehabilitation package and expeditious implementation of rehabilitation process. DFC has a well formulated Resettlement Policy Framework (RPF) to take appropriate resettlement and rehabilitation measures for persons/household adversely affected due to implementation of DFC project. Social Impact Assessment studies have been conducted for EDFC & WDFC to meet the World Bank & JICA safeguard policy. SIA and EA reports of Dadri-Khurja section were prepared. SIA and EA reports were updated for Mughalsarai-Bhaupur (APL-2), Assessment (ESIA) has been carried out and finalized for Wamaj-Iqbalgarh section, Rewari Loco Maintenance Depot, Rewari. RRP of WDFC for Phase-I was updated and that of Phase-II was finalized.

Needs and concerns of the Project Affected Persons (PAPs) are addressed by emphasizing their participation and by extending necessary support to them in the R&R process. The Grievance Redressal Mechanism provides for addressing legitimate concerns / problems of affected individuals and groups who may consider themselves deprived of appropriate compensation, resettlement or rehabilitation benefits as available under the Resettlement Policy Framework designed for the implementation of DFC project. For grievance redressal, an Ombudsman was appointed during the year. Grievance Redressal Committee (GRC) has been constituted for Khurja-Bhaupur section at Project level and district level. The Committee constituted at project level is posted at DFCCIL website.

The Social and Environment Management Units (SEMU) headed by General Manager for each of the corridors are responsible for monitoring at the project level and the CPM offices are responsible for monitoring at the field level.

B. Major Contracts

1. Progress of Ongoing Contracts

During the period under review, the company has the following major contracts under progress:

WESTERN CORRIDOR

(A) Works Contracts: IR Funded

Design and Construction of Important and Major Bridges (54) of Western Freight Corridor between Vairarna and Utran (approx.200Kms) on Vasai-Baruch section in the states of Maharashtra and Gujarat, India on lump sum contract basis. (Contract Agreement No.HQ/EN/WC/Bridges/D&B/1/Soma, dated 17-03-2009). The Physical progress as on 31-03-2013 is 56%.

(B) Consultancy Contracts: IR Funded

The contract Agreement (Contract Agreement No.HQ/EN/WC/Bridges/PMC/1/Span, Dated 12-06-2009) for Project Management Consultancy for Design and Construction of Important and Major Bridges (54) of Western Freight Corridor between Vairarna and Utran (approx.200Kms.) on Vasai-Baruch section in the states of Maharashtra and Gujarat has been executed on 12-06-2009. The Currency of the Contract has been extended upto December, 2014 and the work is in continuation.

(C) Consultancy Contract: JICA Funded (Phase-I)

Engineering Service Consultancy Services Contract for the work of Construction of WDFC from Rewari to Vadodara (Phase-1 of the project) has commenced on 13-06-2010.

- (1) In Case of combined Civil Contract Package – CTP-1&2, Technical Evaluation Completed by ES Consultants.
- (2) In Case of Special Bridge Package-3A, Prequalification Evaluation Completed.
- (3) In Case of Civil Contract Package-CTP-3, Prequalification Evaluation Completed.

(D) Consultancy Contract: JICA Funded (Phase-II)

In Case of Civil Contract Packages CTP-12&13, Special Bridge Package-15A, 15B & 15C, Pre-Qualification Documents finalized.



(E) **Works tenders: JICA Funded**

WDFC Phase-I (Rewari- Vadodara)

1. Combined Package CTP-1&2 (Rewari-Iqbalgarh, WDFC-Phase-I)

- Pursuant to successful completion of Prequalification process, the Bid Documents were issued to prequalified Bidders on 30-06-2012.
- The Bids were submitted on 19-02-2013. Evaluation of technical Bids commenced from 20-02-2013. Technical Evaluation Report sent to JICA on 31-03-2013.

2. Special Bridge Package-3A (Steel Bridge across River-Mahi & Sabarmati)

- Pre-Qualification process was successfully completed with PQ results being declared on 04-10-2012. The Bid documents were issued to Prequalified Bidders on 07-11-2012. The Bids were submitted on 05-02-2013.

3. Contract Package-CTP-3 (Iqbalgarh-Vadodara)

- Pre-Qualification Process was completed with PQ results being declared on 09-11-2012. The Bid documents were issued to Prequalified Bidders on 19-11-2012.
- Expression of Interest was invited (Project Management Consultancy-WDFC-Phase-I) and short listing of Applicants was completed on 12-12-2012.

WDFC Phase-II (JNPT- Vadodara & Rewari – Dadri)

1. Contract Package-CTP-12 & 13 (Vaitarana-Sachin & Sachin-Vadodara)

- PQ Documents issued on 12-11-2012. The PQ Applications were submitted on 06-03-2013.

2. Special Bridge Package-15A, 15B & 15C


- PQ Documents issued on 23-11-2012. The PQ Applications were submitted on 26-02-2013.

Eastern Corridor

A) Works Contracts (Civil, Structures and Track) :

1. Design and Construction of formation including Blanketing, Major Bridges, Minor Bridges, RUBs, ROBs, supply and spreading of Ballast and other related infrastructural works for Dedicated Freight Corridor from chainage 14.108 Km (near new Karwandiya) to chainage 119.437 Km. (Near New Ganj Khwaja) (Approximate 105 Kms) on Mughalsarai-Sonnagar section of Eastern Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh.
 - Physical work of Earthwork & Bridges between New Karwandiya to Durgawati stations is on completion stage except two Major Bridges No.611 & 615A for which work is under progress.
 - Earthwork in Durgawati – Ganjkhwaja section is under progress.
2. Design, procurement, Construction of Track and track related works and its testing & commissioning for double track electrified railway line on a Design Build Lump Sum Basis from New Karwandiya (Rly. Km. 564) to Durgawati (Rly. Km. 630) approx. 66 Kms on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Welding Depot has been established. Rails from Bhilai Steel plant are being transported. Welding work is under progress.
 - Sleepers manufacturing has started.
 - New Track Construction Machine will be placed soon for track laying.

ANNUAL REPORT 2012-2013



B) Consultancy Contracts:

1. Project Management Consultancy Services to facilitate Construction of formation including blanketing, Major Bridges, Minor Bridges, RUBs, ROBs, Supply and Spreading of Ballast and other related infrastructural works for Dedicated Freight Corridor from Chainage 14.108 Km (Near New Karwandiya) to Chainage 119.437 Km (Near New Ganj Khawaja) (Approx.105 Kms.) on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh in India.
 - PMC work is in progress for execution of the civil work.
2. Project Management Consultancy for Design and Construction of Track, Signaling & Telecom works, traction power supply, SCADA, OHE and General Electrical works and its testing and commissioning for double line electrified Railway track from New Karwandiya (Rly. Kms-564) to Durgawati (Rly. Km-630) approx. 66 Kms on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor
 - PMC for track works is under progress.
3. Consultancy services for Engineering Construction Survey, Preparation of GAD, Preparation of Cost Estimate and Preparation of Employers requirements for inclusion in the bid document in connection with Design and Construction of Important Bridge across river Sone (approximate length 3.06 Kms), its approaches (on both sides) and other miscellaneous works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis between Sonnagar (Rly.Km.549) and Dehri-on-Sone (Rly.Km.554) Railway Stations on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Completed.
4. General Consultancy Services for the Work of Double Line Electrified Railway track along with Signaling and Telecommunication system and related infrastructure for Bhaupur–Khurja section of Eastern DFC.
 - Technical evaluation of first stage proposal for CST works completed. Financial proposal received and evaluation completed. Contract for Lot 101, 102 & 103 awarded. Contract Agreement also signed. KD-5 and KD-6 for CST Works Completed.
 - Pre-Qualification document for Signaling, Telecommunication and Electrical Works for Khurja-Bhaupur section finalized in consultation with World Bank. PQ applications received during February, 2013. PQ evaluation by GC completed. Bid document for System Work under finalization by GC.

C) Works Tenders:

Civil, Structure and Track Works - Phase I of Eastern Corridor (Bhaupur to Khurja 343 Kms.)-World Bank Funded

1. Civil, Structure and Track Works:

1. Design and Construction of Important Bridge across river Sone (approximate length 3.06 Kms), its approaches (on both sides) and other miscellaneous works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis between Sonnagar (Rly.Km.549) and Dehri-on-Sone (Rly.Km.554) Railway Stations on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor

- Pre-Qualification process was completed during the year. Fourteen firms were declared pre-qualified for bid submission.

2. Design and Construction of Rail Flyover near Ganjkhwaja, Formation in Embankments/Cuttings including blanketing, Bridges (Major, Minor & RUBs), Supply and Spreading of Ballast and other related infrastructural works for double track electrified railway line on Design Build Lump Sum Basis in different stretches between Dehri-on-Sone & Mughalsarai of Eastern Dedicated Freight Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh in India.

- Pre-qualification process for above works completed. Eight firms were declared pre-qualified for bid submission.

2. Contracts Awarded

During the Financial Year

A. Works :

- i) Civil System & Track Contract Bhaupur – Khurja Lot 101 from Bhaupur village to Bhatara village KM 1040-1170. The Cost of the work awarded is ₹ 1329.49 crores and the contract signed on 24.01.2013.
- ii) Civil System & Track Contract Bhaupur – Khurja Lot 102 from Bhatara village to Birauni village KM 1170-1266. The Cost of the work awarded – ₹ 925.90 crores and the contract signed on 24.01.2013.
- iii) Civil System & Track Contract Bhaupur – Khurja Lot 103 from Birauni village to Khurja village KM 1266 to 1367.9. The cost of the work awarded – ₹ 1012.15 crores and the contract signed on 24.01.2013.

B. Consultancy:

General Consultancy services for Bhaupur – Mughalsarai section and Khurja – Dadri and Khurja – Ludhiana section of Eastern DFC. Cost of the work ₹ 18.18 crores and contract signed on 24.01.2013.

C. System Works:

Design, Construction, Supply, Installation, Testing and Commission of 2x25 KV Electrification, Signalling & Telecommunication and associated works for double track electrified Railway line on a Design Build Lump Sum Basis from New Karwandiya (Rly. Km. 564) to Durgawati (Rly. Km. 630) approx. 66 Kms on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Dedicated Freight Corridor.

After the closure of Financial Year

The consultancy contract to M/s RITES, Gurgaon have been awarded for a contract value of ₹96,92,476/- vide LOA No. HQ/EN/PPP/Contractual/Pt-II, dated 02.05.2013 for drafting manual of standards and specifications.

3. Future Contracts

The following major consultancy services are planned to be engaged on different sections of Eastern Corridor. The progress of each consultancy services to be hired is given below:

Bhaupur-Khurja Section - APL-1

- i) Project Management Consultancy services Bhaupur – Khurja - For supervision of work for Lot 101, 102, 103 & 104 and management of contract, it was planned to engage Project Management Consultancy services. Short listing of consultants has been completed and RFP has been issued to short listed consultants.
- ii) SESMRC consultant – For maintenance of Social and Environmental issues SESMRC consultant was planned to be engaged to prepare quarterly reports to cover social, environmental issues for APL-1 project. Short listing of consultants finalized and RFP issued.
- iii) Quality and Safety Audit Consultant – To ensure and monitor quality and safety at project site, it was planned to have QSAC consultancy services. Short listing of consultants finalized and RFP issued. Consultant will be in place by October 2013.

- iv) Heavy Haul Program Development and Management Consultant for Institutional Strengthening Task of DFCCIL (HHPDISM) – For institutional strengthening of DFCCIL, a consultant was planned to be engaged for institutional strengthening module of Heavy Haul Study. Short listing has been completed and RFP issued. Consultant will be in place by November 2013.
- v) Heavy Haul Program Development and Management Consultant for Marketing and Commercial Strategies for Heavy Haul Rail Transport in India (HHPDMCS) – To finalize marketing and commercial strategies for heavy haul transport in India, it was proposed to engage a consultant. Short listing has been completed and RFP issued. Consultant will be in place by December 2013.
- vi) Heavy Haul Program Development and Management Consultant for technical assistance of technologies research and evaluation of heavy haul capacity development of MOR and DFCCIL (HHPDTREM) – This consultancy is under planning stage and TOR is being finalized.
- vii) Enterprise Risk Management Frame Work Consultant for DFCCIL - For Risk Management framework study for DFCCIL consultant was planned to be engaged. Short listing of consultants completed and RFP issued to shortlisted consultants. Consultants will be in place by October 2013.

Bhaupur – Mughalsarai Section - APL-2

- i) Triggers for project negotiation for APL-2 were agreed with World Bank during project negotiation for APL-1 i.e. May 2011. World Bank preparation mission reviewed the progress of project preparation during December 2012. Pre-appraisal missions of World Bank also reviewed status of the project during February & April 2013. All items in the trigger have been achieved and project negotiation is now planned in September 2013. General consultant for APL-2 has been engaged during January 2013. Contract Strategy for APL-2 has been finalized and prequalification document for CST works issued during April 2013. GC is preparing Bid document for CST works. It is expected that CST bids will be invited during August/September 2013 after finalization of PQ evaluation and bid document. Project Appraisal negotiation is planned during September 2013.

Khurja – Ludhiana and Khurja – Dadri Section - APL-3

This section will be taken up after review of the triggers agreed during project negotiation for APL-1.

C. DANKUNI-SONNAGAR PPP PROJECT

The overall progress of the project and initiatives taken are detailed below:

- **Land Acquisition: The Phase wise position of Land acquisition are as under:**

LA section	Dankuni-Gomoh section (276Kms)		Gomoh- Sonnagar section (264Kms)	
	Required	Progress upto 31.03.2013	Required	Progress upto 31.03.2013
20A	278.39Kms (388.77Ha)	225Kms (340Ha)	259.72Kms (613.48Ha)	167Kms (210 Ha)
20E	-Do-	142Kms (177Ha)	-Do-	43Kms(55Ha)
20F	-Do-	Nil	-Do-	Nil

Of late, the local inhabitants of Balarambati mauza of Singur police station of Hoogly District, West Bengal i.e., Project Affecting People (PAP) are agitating and have demanded additional compensation package for land acquisition w.r.t. specified Entitlement Matrix for DFCCIL based on RAA 2008 and NRRP 2007 (revised on 13.06.2011) circulated by Railway Board's letter no.2009/Infra/3/1/10/Pt.I dated 13.06.2011. The matter is being negotiated in co-ordination with State Govt. of West Bengal dealing with land acquisition including State Level Monitoring Committee to sort out the issues and proceed further accordingly.

- **Detailed Project Report (DPR):**

The DPR of Dankuni- Gomoh section (276Kms) - Ph-I has been prepared. DPR of Gomoh-Sonnagar section (264Kms) - Ph-II has also been prepared except for Koderma detour where decision regarding alignment between Gurpa – Gujhandi stations via detour with 1 in 200 (C) gradients or via parallel to GC line with 1 in 100 (C) gradient to be adopted is still awaited from Railway Board for which the detailed Engineering survey report have already been submitted to Railway Board.

- **Project Estimated Cost:**

The project estimated cost of Dankuni- Gomoh section (276Kms)- Ph-I is ₹ 6489.30 crores which has been sent to Railway Board for sanction and for Gomoh-Sonnagar section (264Kms) - Ph-II is under preparation.

- **RFQ & RFP documents:**

Draft RFQ document for Dankuni-Gomoh section (276Kms)- Ph-I has been prepared based on Elevated Rail Corridor, Mumbai. However, the same is required to incorporate Financial Modeling and Concession Agreement pertaining to DFC PPP project (awaited finalization). RFP document will be prepared after finalization of draft RFQ as above. The RFQ & RFP documents finalized as above will be modified for Gomoh-Sonnagar section (264Kms) - Ph-II.

- **Utility shifting:**

The Lump Sum estimated cost of shifting of utilities is ₹ 287.24 crores for Dankuni-Gomoh section (276Kms) - Ph-I and that for Gomoh-Sonnagar section (264Kms) - Ph-II is under survey & preparation. Railway Board has been approached for 'In Principal' approval for shifting of utilities at the cost of Railways.

- **Financial Modeling & Draft Concession Agreement:**

The Terms of Reference (TOR) for Financial Modeling, establishing financial viability and bankability of the project have been finalized by Railway Board. The tender enquiry have been finalized for taking necessary follow up action based on Railway Board's letter No. 2011/Infra/12/32 dated 10.12.2012 regarding participative model for rail connectivity and capacity augmentation. The outcome will follow draft concession agreement.

D. FUTURE CORRIDORS:

Railway Board has entrusted the work of PETS (Preliminary Engineering and Traffic Survey) of following four future corridors:

- i) East – West Corridor (Kolkata – Mumbai) – 2000 Km
- ii) North – South Corridor (Delhi – Chennai) – 2173 Km
- iii) East Coast Corridor (Kharagpur – Vijayawada) – 1100 Km
- iv) Southern Corridor (Chennai – Goa) – 890 Km

The work of PETS is being carried out by M/s. RITES. During the year traffic study report and field data collection for North-South and East-West corridor have been completed. The detailed alignment and report is being prepared for these 2 corridors. Work on Southern corridor and East-Coast corridor will be taken up during 2013-14.

E. Elimination of Level crossings on Dedicated Freight Corridor

There are 1156 level crossings on Eastern and Western Corridors and these are of major irritant in train operation and safety. A very important decision was taken by Ministry of Railways to replace all level crossings where DFC and Zonal Railways are parallel with grade separations (ROBs/RUBs). DFC has made estimated provision of RUBs and ROBs.

The associated works in this regard have been sanctioned in Railway's Pink Book 2013-14. The planning and execution in co-ordination with Zonal Railways have been taken up and all the works have been transferred to construction organization of the Zonal Railways. The joint inspections involving construction and open line of the Zonal Railways and DFCs are in progress for Planning and execution of the works.

4. COMPLIANCES

A. Rajbhasha (Official Language)

In DFCCIL Corporate Office, special emphasis is being given to ensure maximum use of Hindi in official dealings i.e. in office noting and communication with other constituents. During the period from 01.04.2012 to 31.03.2013, a number of activities to promote use of Hindi were initiated. The following activities need special mention here:

- The second Sub Committee of Parliament committee on official language inspected the DFCCIL Corporate Office on 01-11-2012. During the inspection, the Honorable Committee members praised for coordinated efforts made to promote Hindi.
- Official Language Implementation Committee meets every quarter. In DFCCIL, these meetings were held regularly in Corporate Office. Members of the Railway Hindi Salahkar Samiti along with the senior officers of DFCCIL participated to review the work of official language. The members of the Railway Hindi Salahkar Samiti were quite satisfied with the progress and initiatives taken in DFCCIL to promote the use of Hindi and also given the important suggestions to improve the use of Hindi in corporate office.
- At the end of each quarter, quarterly progress report regarding use of Hindi is prepared and sent to Railway Board for necessary action.

Rajbhasha Pakhwada was organized in DFCCIL from 14.09.2012 to 28.09.2012. During the Pakhwada, different competitions like Hindi Word Knowledge, Hindi Essay and Hindi Typing were organized, in which a number of employees participated enthusiastically. Prizes were distributed among the winners by Shri Dheeraj Basoya, the Honorable Member of Railway Hindi Salahkar Samiti, and Shri R.K. Gupta, the Managing Director. Hindi workshops were organized regularly in an effort to inculcate the habit of doing more and more work in Hindi by the officers and staff of DFCCIL.

To ensure the compliance of Section 3(3) of Official Languages Act, all the office orders, land acquisition and gazette notifications are issued Hindi and English bilingually. The Hindi version of HR Manual/DFCCIL is compiled. The website of DFCCIL is updated time to time in Hindi also.

B. Right to Information Act, 2005.

The Right to Information Act seeks to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority.

The Company has appointed Central Public Information Officer, whose names are posted on the website of the Company. During the year under review company received

approx. 386 RTI applications and all cases were disposed off within the stipulated time. All the replies are available on Company's website which is updated on fortnightly basis.

During the year, total 29 parliament questions related to DFCC were received and all replied timely to the Ministry of Railways.

C. MCA 21 E -filing

In terms of Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006 and Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules 2012, the Company has filed all the statutory forms and returns electronically during the year under review.

D. Memorandum of Understanding

During the period under review, in terms of the MoU Guidelines issued by Department of Public Enterprises, a Memorandum of Understanding (2013-14) was signed on 15.03.2013 with Ministry of Railways after discussion with the Task Force of Transport & Tourism Syndicate.

In terms of the MoU (2013-14) between Ministry of Railways and DFCCIL, the Company is to achieve Project related Parameters, Dynamic parameters, Corporate Social Responsibility Parameters, Human Resource Management, Sustainable Development, Sector Specific and Enterprise Specific Variables.

The Company has been ranked under the "Good" grading of MoU for the year 2011-2012 by the Department of Public Enterprises.

E. Vigilance

Vigilance connotes watchfulness and is an integral part of any Organization. The purpose of vigilance is to enhance efficiency of the Organization as well as image building by enhancing transparencies, curbing scope of corrupt practices, strengthening and streamlining systems and processes, and enforcing guidelines and policies issued by the Government and the Management. It is an important management tool and its effectiveness ensures good health of an organization in the long run. Effective vigilance can prevent lapses and can act as safety net. Effective vigilance also seeks to ensure hassle free services to its clients by the Company.

The vigilance organization of DFCCIL consists of CVO, assisted by one Dy. CVO, one Dy.GM/Vigilance, two Managers/Vigilance & one Assistant Manager/Vigilance. The post of CVO is lying vacant since 05.12.2012

The year 2012-13 was a significant year from the point of view of vigilance activities in the organization and the following manuals were adopted and implemented during the year-

- Manual of Office Procedure
- Finance Reporting Manual
- Finance Accounting Manual
- Human Resource manual
- Vigilance Manual
- Works Manual

Complaints: -

A total of 16 complaints were received through CVC/Railway Board/Individuals during the year. Out of which 14 complaints were finalized and only two complaints i.e one pertaining to submission of fake credentials by an agency to obtain a contract with DFCCIL and other pertaining to the compensation of land in the Vadodara Unit were under investigation at the end of the year.

Recommendations after investigation:-

Major penalty against 02 officers have been recommended by the CVC in the case pertaining to irregularities in Finance and draft charge sheets have been sent to Railway Board for taking further necessary action.

Preventive Checks:-

A total of 11 preventive checks were carried out during the year, out of which 08 were finalized and balance three were under investigation at the end of year.

Recommendations as result of Check:

Instructions were issued to all CPMs for the protection of acquired land from encroachments and theft of acquired assets viz. soil, trees etc.

Awareness Building and Participative Vigilance:

Vigilance Awareness Week from 29th October, 2012 to 03rd November, 2012 was inaugurated with an interactive conference on "Transparency in Public Procurement". Pledge ceremony was also held under the leadership of MD/DFCCIL. An Essay Competition on the subject of "Transparency in Public Procurement" was conducted and the winners were suitably awarded.

The ceremony for adoption and implementation of Vigilance Manual & Works manual was organized under the noble guidance of MD/DFCCIL on 04.12.2012 in which Hon'ble Members of Railway Board were also present.

5. INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT

The year under review saw significant progress in implementation of world class integrated IT system in DFCCIL. System Integrator (SI) for its IT project was selected in March 2012. SAP was selected as the integrated solution to cater to the needs of Project Management, Asset Management, Financial Management and Human Resource Management. The solution is envisaged to provide Dashboard and GIS based reporting, enabling effective decision making by senior management. After project kick-off, Process Owners were nominated and Core Teams were identified. Through extensive discussions between SI and Process Owners / Core Teams requirements are crystallized in the form of Business Blueprints. 53 Business Blue Prints covering most processes in DFCCIL were signed off by the Process Owners.

The Data Centre of DFCCIL housed on the 4th Floor of Corporate Office was inaugurated by MD,DFCCIL on 7th June 2013. Most of the components installed in the Data Center like Blade Servers, Firewalls and Intrusion Prevention System are state of the art and configured in redundant failover configuration. Data center would primarily be utilized for running SAP based ERP solution.

DFCCIL has conducted multiple Change Management program and sensitization workshops covering over 200 employees to prepare them for the change and envisaged challenges ahead.

Work in under progress for LAN installation at CPM offices. Connectivity of all CPM offices with Corporate Office will soon be achieved through MPLS based WAN.

Master Data Collection for Land, Projects, Finance, Human Resources is in hand. System Testing is planned to start shortly. Officials are nominated for OEM training which is planned to start soon. These team leaders will support the system functioning during and after Go-Live of the system. Users are learnt to be eagerly waiting for the start of training. Organizational support is required for data collection, training and quick adoption of system.

6. INDUSTRIAL RELATIONS

During the year under review, the industrial relation remained peaceful and harmonious. The 6th foundation day of DFCCIL was celebrated on 30th October, 2012 with great zeal and enthusiasm in the presence of various dignitaries, DFCCIL Officers and Employees. The Company observed 21st May, 2012 as Anti-Terrorism Day and 7th August, 2012 as Sadbhavana Divas. The Pledge was taken by all the officers/staff of the Company. The 7th December, 2012 was observed as Armed Forces Day and two minute silence was observed by the officers and employees of the Company.

7. BOARD OF DIRECTORS

During the year under review, there were changes in the composition of the Board of Directors of the Company on account of appointments and cessation, which are as follows:

- a. Sh. R.S. Sharma, Ex-CMD, ONGC joined as part time non official Director on the Board of DFCCIL w.e.f. 25.04.2012.
- b. Vide Railway Board letter No 2007/Infra/6/4 Pt. I, dated 14.11.2012, the President of India nominated Sh. Girish Pillai, Adviser (Infrastructure) Railway Board as a Part time Director in place of Sh. R.K. Jain, ex Adv (Infra).
- c. Vide DFCCIL letter no. HQ/HR/P.File/554 dated 29.11.2012, after having being relieved on 29.11.2012 (AN) by Railway Board vide Memorandum No. ERB-I/2008/2/36 dated 29.11.2.012, Sh. H. D. Gujarati, SAG/IRTS, ED, TT(S) Railway Board joined as Director (OP & BD), DFCCIL on 29.11.2012 (AN).

The following Directors cease to be hold office during the financial year 2012-2013

- a. Vide Railway Board letter No. 2007/E(O)II/40/07, dated:06.09.2007 read with DFCCIL's letter No.GM/HR/Posting, dated:18.09.2007, Sh. R.K. Sinha, ex-Dir/Fin ceased to hold the office of whole time Director w.e.f. 16.09.2012 after completing the tenure of five years.
- b. Vide Railway Board letter No 2007/Infra/6/4 Pt. I dated 14.11.2012, Sh. R.K Jain, ex-Advisor (Infra) ceased to hold the office of part time official Director w.e.f. 14.11.2012 on account of retirement.
- c. Vide Railway Board letter No. 2011/E(O)II/40/34, dated: 04.10.2012, Sh. P.N. Shukla, ex-Dir/OP & BD ceased to hold the office of whole time Director w.e.f. 15.10.2012 on account of retirement.

- d. Vide Railway Board letter No. 2010/E(O)II/40/26, dated:28.01.2013, Sh. Bharat Salhotra, ex-Dir/Fin ceased to hold the office of whole time Director w.e.f. 28.01.2013.

The following Directors hold the office after the closure of the financial year 2012-2013.

- a. Vide Railway Board's letter 2009/Infra/6/2 dated 05.07.2013, the President of India appointed Sh. Arunendra Kumar, Chairman Railway Board as part time Chairman on the Board of DFCCIL with immediate effect from 05.07.2013 vice Sh. Vinay Mittal Ex Chairman Railway Board till he hold the post of Chairman, Railway Board or further orders whichever is earlier.

The following Directors ceased to hold office after the closure of the financial year 2012-2013

- a. Sh. D. T. Joseph ceases to hold office on completion of his tenure on 13.05.2013.
b. Sh. Vinay Mittal, Ex Chairman Railway Board ceases to hold office as a part time Chairman on the Board of DFCCIL on his superannuation on 30.06.2013.

The following Directors are holding office as on the date of this Report:

S.No	Name of the Director	Designation	Date of holding office w.e.f.
1	Sh. Arunendra Kumar	Part Time Chairman (Official)	05.07.2013
2	Sh. R. K. Gupta	Managing Director	10.05.2011
3	Sh. A. K. Dutta	Director (Infrastructure)	01.04.2010
4	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning)	05.04.2011
5	Sh. H.D. Gujrati	Director (Operations & Business Development)	29.11.2012
6	Sh. Girish Pillai	Part time Director (Official)	14.11.2012
7	Sh. Gajendra Haldea	Part time Director (Official)	02.05.2008
8	Sh. Bhaskar Gupta	Part Time Director (Non-official)	23.11.2010
9	Sh. R.S. Sharma	Part Time Director (Non-official)	25.04.2012

8. Auditors

M/s. Jain Chopra & Co. Chartered Accountants, New Delhi, were re-appointed as Statutory Auditor of the Company by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India for the financial year 2012-2013.

9. Auditors' Report

The Auditors' Report submitted by M/s Jain Chopra & Co. Chartered Accountants, along with Notes to the Financial Statements is self-explanatory.

10. Comments of the Comptroller & Auditor General of India

The comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2013 forms an integral part of Annual Report 2012-2013.

11. Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo

The particulars required to be disclosed pursuant to section 217 (1) (e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of Particulars in the Report of the Board of Directors) Rules, 1988 in respect of the Conservation of Energy and Technology Absorption shall be treated as Nil.

However, the Foreign Exchange Earnings and Outgo during the period under review are

Foreign Exchange Earnings	-	NIL
Foreign Exchange Outgo	-	₹ 62.45 lacs out of which
Subscription fees for IT	-	₹ 22.68 lacs
Tour & Travel Expenses	-	₹ 6.57 lacs
L.C. Opening Charges	-	₹ 13.42 lacs
Bank Charges JICA Loan	-	₹ 19.78 lacs

12. Particulars of Employees/Directors' Remuneration

Information as per section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975 as amended from time to time is not required to be disclosed as none of the employees and Directors was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed therein.

The total cost of managerial remuneration during the financial year 2012-13 is ₹ 122.26 lacs out of which total remuneration value is ₹ 96.91 lacs and the value of perquisites is ₹ 25.35 lacs.

13. Directors' Responsibility Statement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956

As required in terms of section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors confirm that:

- i. In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures.
- ii. The Directors have selected such accounting policies, applied them consistently, and made judgment and estimates that are reasonable and prudent so as to give true and fair view of the state of affairs of the company at the end of financial year and of the profit or loss of the Company for that period.
- iii. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- iv. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

14. Corporate Governance

As per the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, following forms an integral part of this Directors' Report.

A "Corporate Governance Report placed at **Annexure "A"** highlighting the philosophy of the Company on the Corporate Governance, composition of Board of Directors as well as their attendance in various meetings, remuneration of directors etc. and other relevant disclosures.

Certificate of compliance of Corporate Governance obtained from practicing Company Secretary placed at **Annexure "B."**

A "Management Discussion and Analysis Report" placed at **Annexure "C."**

15. ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere thanks to Ministry of Railways, State Governments, Zonal Railways, the Statutory Authorities and Government agencies for their support and patronage.

The Board would also like to acknowledge with thanks the co-operation extended by C&AG, the Statutory Auditors and the Bankers of the Company.

The Board of Directors acknowledge and wish to place on record their appreciation for the co-operation and support extended by the associates, the DFCCIL employees and others who have extended their valued co-operation, support and guidance to the Company, from time to time.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Arunendra Kumar)

Chairman

Place: New Delhi

Date: 27.08.2013

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. A brief statement on Company's philosophy on Corporate Governance

The Company believes in achieving the Company's Goal and objectives through the highest levels of transparency, accountability and equity in all spheres of its operations and in all its dealings. The Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of Laws, rules, regulation and adherence standard to achieve the objects of the Company.

The key value is to believe in **“Speed, Sincerity and Success.”** The Cardinal principles such as Accountability, Responsibility, Transparency and Fair Disclosures serve as the means for achieving this.

2. Board of Directors:

2.1 Composition of the Board of Directors:

In terms of Article 80 of the Articles of Association of the Company, the President of India has determined in writing that there shall be a total of 12 Directors on the Board of DFCCIL. The President of India vide letter no. 2008/Infra/6/1 dated 04.05.2010 has approved the composition of the Board of Directors of DFCCIL as follows:

- Chairman Railway Board (CRB) as Part Time Chairman.
- Five full time Functional Directors including Managing Director.
- One Nominee of Ministry of Railways.
- One Nominee of Planning Commission.
- Four Independent non-official Directors including one from financial institutions depending on requirement.

2.2 Strength of the Board

On the date of the report, the total strength of the Board of Directors of the Company is Nine comprising of four whole-time Directors, one part time Chairman, two part-time official Directors (nominee) from Ministry of Railways and Planning Commission respectively and two part time non-official Directors (Independent). In terms of Article 81(1) of the Articles of Association of the Company, The President of India has the power to appoint Directors of the Company.

Following directors have joined the Board during the financial year 2012-13.

- a. Sh. R.S. Sharma, Ex-CMD, ONGC joined as part time non official Director on the Board of DFCCIL w.e.f. 25.04.2012.

- b. Vide Railway Board letter No 2007/Infra/6/4 Pt. I dated 14.11.2012, the President of India nominated Sh. Girish Pillai, Adviser (Infrastructure) Railway Board as a Part time Director in place of Sh. R.K. Jain, ex Adv (Infra).
- c. Vide DFCCIL letter no. HQ/HR/P.File/554 dated 29.11.2012, after having being relieved on 29.11.2012 (AN) by Railway Board vide Memorandum No. ERB-I/2008/2/36 dated 29.11.2012, Sh. H.D.Gujrati, SAG/IRTS, ED, TT(S) Railway Board joined as Director (OP & BD), DFCCIL on 29.11.2012 (AN).

The following Directors cease to be hold office during the financial year 2012-2013

- a. Vide Railway Board letter No. 2007/E(O)II/40/07, dated:06.09.2007 read with DFCCIL's letter No. GM/HR/Posting, dated: 18.09.2007, Sh. R. K. Sinha, Ex-Dir/Fin ceased to hold the office of whole time Director w.e.f. 16.09.2012 after completing the tenure of five years.
- b. Vide Railway Board letter No 2007/Infra/6/4 Pt. I dated 14.11.2012, Sh. R. K Jain, ex-Advisor (Infra) ceased to hold the office of part time official Director w.e.f. 14.11.2012 due to retirement.
- c. Vide Railway Board letter No. 2011/E(O)II/40/34, dated: 04.10.2012, Sh. P. N. Shukla, ex-Dir/OP & BD ceased to hold the office of whole time Director w.e.f. 15.10.2012 due to retirement.
- d. Vide Railway Board letter No. 2010/E(O)II/40/26, dated:28.01.2013, Sh. Bharat Salhotra, ex-Dir/Fin ceased to hold the office of whole time Director w.e.f. 28.01.2013

The following Directors hold the office after the closure of the financial year 2012-2013.

- a. Vide Railway Board's letter 2009/Infra/6/2 dated 05.07.2013, the President of India appointed Sh. Arunendra Kumar, Chairman Railway Board as part time Chairman on the Board of DFCCIL with immediate effect from 05.07.2013 vice Sh. Vinay Mittal ex-Chairman Railway Board till he hold the post of Chairman, Railway Board or further orders whichever is earlier.

The following Directors ceased to hold office after the closure of the financial year 2012-2013

- a. Sh. D. T. Joseph ceases to hold office on completion of his tenure on 13.05.2013.
- b. Sh. Vinay Mittal, ex-Chairman Railway Board ceases to hold office as a part time Chairman on the Board of DFCCIL on his superannuation on 30.06.2013.

The composition of the Board of Directors, on the date of report, along with Directorships held by them and their attendance in the Board meetings held during the financial year 2012-2013 and the last Annual General Meeting is tabled below:

S. No.	Category of Directors	Name of Directors/ Date of Appointment	Number of Directorships /Chairmanships in public companies including DFCCIL and excluding private Companies 1& 5	Total No. of Committee Memberships/ chairmanships in public companies including DFCCIL and excluding private companies (*4 & 5)	No of Board Meetings held during 2012-2013 (during their respective tenures)	No. of Board meetings attended (during their respective tenures)	Last AGM attended
(I) Chairman (Part-time official)							
1.	Chairman/ Railway Board	Sh. Arunendra Kumar (Held office from 05.07.2013)	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Chairman/ Railway Board held office upto 30.06.2013)	Sh. Vinay Mittal (Held office from 08.07.2011)	As Chairman-1 As Member-3	NA	8	8	Yes
(II) Whole-time Director							
1	Managing Director	Sh. R. K. Gupta (held office from 10.05.2011)	1	Nil	8	8	Yes
2(a)	Looking after Director (Finance) (held office up to 15.03.2013)	Sh. R.K. Gupta (Held office from 01.04.2012 to 16.09.2012 and from 29.01.2013 to 14.03.2013)	NA	NA	NA*	NA**	Yes
2(b)	Director (Finance) (held office upto 28.01.2013)	Sh. Bharat Salhotra (Held office from 17.09.2012)	1	Nil	2	2	Yes
2(c)	Looking after Director (Finance)	Sh. H.D. Gujrati (Held office from 15.03.2013)	1	NA	NA*	NA**	NA
3 (a)	Director (Operations & Business Development) (held office upto 15.10.2012)	Sh. P.N. Shukla (Held office from 15.10.2009)	1	Nil	6	6	Yes
3 (b)	Director (Operations & Business Development)	Sh. H.D. Gujrati (Held office from 29.11.2012)	1	Nil	1	1	NA

4.	Director (Project Planning)	Sh. Anshuman Sharma (Held office from 05.04.2011)	1	Nil	8	8	Yes
5.	Director (Infrastructure)	Sh. A.K. Dutta (Held office from 01.04.2010)	1	Nil	8	8	Yes
(III) Director (Part-time official)							
1.	Adviser (Infra) Railway Board(held office up to 30.09.2012	Sh. Ranjan Kumar Jain (held office from 08.04.2011)	1	Audit Committee (Member)-1	6	5	Yes
2.	Advisor (Infra structure) /Railway Board	Sh. Girish Pillai (held office from 14.11.2012)	1	Audit Committee (Member) -1	1	1	NA
3.	Advisor of Deputy Chairman, Planning Commission	Sh. Gajendra Haldea (held office from 02.05.2008)	1	Nil	8	7	NO
(IV) Independent Directors (Part Time non official)							
1.	Part Time non-official (held office up to 13.05.2013)	Sh. D.T. Joseph (held office from 14.05.2010)	7	Audit Committee (Member) -4 Audit Committee (Chairman)-1 Shareholders Grievance (Member)-1	8	6	No
2.	Part Time non-official	Prof. Sh. Bhaskar Gupta (held office from 23.11.2010)	1	Audit Committee (Member) - 1	8	6	Yes
3.	Part Time non official	Sh. R.S. Sharma (held office from 25.04.2012)	3	Audit Committee (Member) – 3	7	6	Yes

NOTES:

1. The Directorships and memberships in the Committees being held by the Directors are within the limits laid down under Companies Act, 1956. For the purpose of Section-275 of Companies Act 1956, the Directorship in a private company which is neither a subsidiary nor a holding company of a public company is excluded.
2. The term "part-time official" indicates the Government nominee Directors on the Board of DFCCIL who are the officials of the Ministry of Railways and Planning Commission.
3. The term "part time non official" means the Independent Directors.
4. For the purpose of considering the limit of the Committees on which a Director can serve , all public limited companies, whether listed or not, is included.
5. For the purpose of reckoning the limit for chairmanship/membership, the Audit Committee and the Shareholders' Grievance committee alone is taken.
6. The word "NA" denotes "Not Applicable" as either the concerned Directors have joined the Board after the financial year 2012-13 or the relevant parameter has not fallen due during their tenure.
7. The NA* in column-II (2) above indicates "Not Applicable" as during the year under review, in the absence of Shri R.K. Sinha, Director (Finance), the functions of the post were looked after by the Managing Director from 01.04.2012 to 16.09.2012 and after the resignation from Shri Bharat Salhotra from 29.01.2013 to 14.03.2013, respectively. Sh.H.D.Gujrati is looking after the charge of Dir (Fin) from 15.03.2013 onwards.

During the financial year 2012-2013, the Board of Directors met eight times to transact the business and have complied with the provisions of Companies Act, 1956 read with the DPE guidelines relating to Board Meetings. In all cases of absence of Director, Leave of Absence was granted under clause (g) of sub section (1) of section 283 of the Companies Act, 1956.

The meetings of the Board of Directors of DFCCIL were held on following dates as mentioned below:

S.No.	Quarter	Dates
1.	For the quarter ended June 2012	18.04.2012, 14.05.2012, 11.06.2012, 29.06.2012
2.	For the quarter ended September 2012	07.08.2012, 03.09.2012
3.	For the quarter ended December 2012	30.10.2012
4.	For the quarter ended March 2013	15.01.2013

Brief Resume of Directors appointed during the financial year 2012-2013.**i) Sh. Girish Pillai, Part Time Official Director, DFCCIL, w.e.f. 14.11.2012**

Shri Girish Pillai, Officer of 1981 batch on Indian Railway Traffic Service (IRTS) has joined as Executive Director (Infrastructure), Railway Board on 17.10.2012. He is a Post Graduate in Mathematics from the University of Delhi. Sh. Girish Pillai is the nodal officer for the Dedicated Freight Corridor Project in Railway Ministry. His current assignment includes long term planning for Infrastructure creation over Indian Railways, Coordination for implementation of PPP projects, International Railway cooperation and developing Long Range Decision Support System (LRDSS) for Railways. In his career of over 30 years with Indian Railways, he has worked extensively at Divisional, Zonal Railway and Railway Board level. Before joining as Executive Director (Infrastructure), he has worked as Chief Operating Manager/Western Railway, Divisional Railway Manager/Mumbai and Executive Director (Perspective Planning), Railway Board.

ii) Sh. H. D. Gujrati, Director (OP & BD), DFCCIL, w.e.f. 29.11.2012

Shri H. D. Gujrati took over as Director (Operations & Business Development), DFCCIL on 29.11.2012. Prior to this Sh. Gujrati, an Indian Railway Traffic Service officer of 1985 batch, was working as Executive Director, Traffic Transportation (Steel) in Railway Board, Ministry of Railways.

A post-graduate in Physics, he also holds PGDIM in Marketing and MBA in Finance, He has extensive experience in the bulk and container transportation. After joining the IRTS, he had held various important positions in the Ministry of Railways (Railway Board), erstwhile undivided South Eastern Railway (The blue chip Railway of Indian Railways), Northern Railway, Konkan Railway and Container Corporation of India. He has worked as Executive Director–Freight Marketing, Director–Traffic Transportation, Director–Safety in Railway Board and Group General Manager for strategic Planning, International Marketing and Operation in Container Corporation of India.

Recipient of Railway Minister's Award for his contribution in freight operation, Mr. Gujrati's areas of interests include Supply Chain Management and Transport Planning for bulk and containerized cargo. He passionately worked for use of information technology in rail transport for transparency and efficient management to make it responsive to the needs and aspirations of the communities.

iii) Sh. Arunendra Kumar, Chairman/ DFCCIL, w.e.f. 05.07.2013

Shri Arunendra Kumar, Member Mechanical with additional charge of Chairman Railway Board, a Mechanical Engineer joined Indian Railways through the prestigious Special Class Railway Apprentice Examination in 1972. He has been in charge of maintenance of a

variety of locomotives, coaches and wagons over a career of more than 35 years both in Workshops and open line. He has several innovations to his credit in the area of locomotive and coaching maintenance. He has displayed great leadership qualities and managerial skills which has enabled him to deliver results in crisis situations. Prior to his present assignment he has worked as General Manager, South East Central Railway, where he managed the heaviest freight operation in the Country. As Divisional Railway Manager, Mumbai Central he successfully managed maintenance and operation of all trains and infrastructure over Mumbai Division.

Shri Kumar has contributed significantly in various policy formulation at Railway Board Level while working as Advisor (CC) & Additional Member Production unit. He has attended advanced management and training programmes at Paris, Germany, South Korea, China, Switzerland, Canada, Namibia.

Shri Kumar is an outstanding athlete and excellent player of Badminton. Shri Kumar has featured on National Geographic Channel in the serial "Seven Mega Cities of the World" and holds a record of longest Live TV Interview by a Railway Officer on National TV Channel.

3. Audit Committee

Composition of the Audit Committee

Audit Committee of the Board of Directors was originally constituted on 14.03.2008 and was reconstituted from time to time. During the year under review, the Audit Committee was re-constituted in line with section 292A of the Companies Act, 1956 read with the DPE guidelines. The composition and the Terms of Reference (ToR) of the Audit Committee were reviewed at the 34th Board meeting held on 07.08.2012 and Sh. R.S. Sharma was introduced as a Member of the Audit Committee.

In terms of Railway Board letter No. 2008/Infra/6/1, dated 14.05.2010, Shri D.T. Joseph, Part time non-official Director completed his tenure for a period of 3 years on 13.05.2013. As a result, the Audit Committee of the Board was reconstituted at 39th meeting of the Board held on 14.06.2013.

S.No.	Member	Position	Date of holding the membership of the Committee
1.	Sh. D.T. Joseph	Chairman	25.06.2010 to 13.05.2013*
2.	Sh. Ranjan Kumar Jain	Member	23.04.2011 to 30.09.2012*
3.	Sh. Bhaskar Gupta	Member	23.04.2011
4.	Sh. R.S. Sharma	Member	07.08.2012
5.	Sh. Girish Pillai	Member	15.01.2013

The Committee acts in accordance with the terms of reference of the Board (14.03.2008) which are:

- To discuss with the auditors periodically about internal control systems.
- To discuss and decide about the scope of audit including the observations of auditors.
- To review the half-yearly and annual financial statements before submission to the Board and ensure compliance of internal control systems.
- To investigate into any matter relating to financial management including the audit report.
- Any other matter brought to the notice of the Audit Committee by Board of Directors.
- To appoint an internal Auditor and to set the terms and conditions of appointment, including the remuneration payable **(added vide item no. 4 of 12th Board Meeting held on 16.6.2009)**

Additional Terms of Reference for the Audit Committee re-constituted on 25.06.2010

The role of the Audit Committee shall include the following:

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient, and credible.
2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.
3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
4. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval.
5. Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of clause (2AA) of section 217 of the Companies Act, 1956;
 - Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - Compliance with legal requirements relating to financial statements;
 - Disclosure of any related party transactions; and
 - Qualifications in the draft audit report.

6. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
7. Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
8. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing, and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
9. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.
10. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
11. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
12. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non -payment of declared dividends) and creditors.
13. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
14. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.
15. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.
16. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors
17. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.
Explanation: The term “**related party transactions**” shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
18. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
19. Consider and review the following with the independent auditor and the management:
 - The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and

- Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.
20. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
 - Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.
21. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit.

Additional Terms of Reference for the Audit Committee re-constituted on 07.08.2012.

Chapter-4 of the DPE guidelines on Corporate Governance deals with the Audit Committee. Clause 4.5 of the chapter requires that the following information shall be reviewed by the Audit Committee.

- a) Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations.
- b) Statement of related party transactions submitted by Management.
- c) Management letters/letters of internal control weakness issued by the statutory auditors.
- d) Internal audit reports relating to internal control weakness.
- e) The appointment and removal of the Chief Internal Auditor shall be placed before the Audit Committee; and
- f) Certification/declaration of financial statements by the Chief Executive / Chief Finance Officer.

During the year under review, the Committee met 4 times on the following dates 18.04.2012, 03.08.2012, 21.12.2012, 28.03.2013.

The attendance of the members of the Committee during 2012-2013 is produced below:

Member	Position	Meeting held**	Meeting attended ***
Sh. D. T. Joseph	Chairman	4	4
Sh. Ranjan Jain	Member	2	2
Sh. Bhaskar Gupta	Member	4	4
Sh. R.S. Sharma	Member	2	2
Sh. Girish Pillai	Member	1	1

** "Meeting held" - denotes the number of meetings held during the tenure of the member of the Committee.

*** "Meeting attended" - denotes the number of meetings attended by the member during his tenure.

4. Remuneration Committee

- i) In terms of Chapter 5 of the DPE guidelines on Corporate Governance, the Remuneration Committee of the Board was reconstituted in line with the DPE guidelines at 39th meeting of the Board held on 14.06.2013 and 40th meeting held on 22.07.2013.

As on date of the report, the Remuneration Committee of the Board comprises of Sh. R.S.Sharma as Chairman, Sh. Bhaskar Gupta and Sh. Girish Pillai, Part Time Directors of the Company as its members. Remuneration Committee will decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors, within the prescribed limits. The Committee will be headed by an Independent Director.”

ii) Remuneration of Directors

DFCCIL, being a wholly owned Government Company under Companies Act, 1956, the whole-time Directors of the Company are appointed by the President of India through Ministry of Railways. The functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scale pre-determined by the Government and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The IDA Pay scales (2007) and basket of allowances has been implemented in DFCCIL.

The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They draw remuneration from the Government only as Government officials. The part time non-official Directors (Independent) draws the sitting fee for the Board/Sub-Committee meetings attended during the financial year.

The detail of sitting fee paid to the Part-time non official Directors for the financial year 2012-13 is detailed below:

S.No.	Name of the Director	No. of Board/Sub-Committee Meetings attended*	Sitting Fee (In ₹)
1	Shri D.T. Joseph	10	2,00,000
2	Shri Bhaskar Gupta	10	2,00,000
3	Shri R.S. Sharma	8	1,60,000

*This includes No. of Board meetings/Sub-Committee meeting (Audit Committee Meetings and HR Committee Meetings) attended by the Part time official Directors.

Disclosure on Remuneration package of whole time Directors for the year 2012-13:

S.No.	Name of the Director	Salary & Allowances (In ₹)	Other Benefits Perks (In ₹)	Performance Linked Incentives (In ₹)	Retirement Benefits	Bonus/ Commission /ex-gratia	Total (in ₹)
1	Sh. R.K. Gupta Managing Director	25,21,516	870,000	0.00	0.00	00.00	33,91,516
2	Sh. H.D Gujrati Director (Opn. & BD)	775,500	260,000	0.00	0.00	00.00	10,35,500
3	Sh. P.N. Shukla Ex-Director (Opn. & BD)	20,58,986	356,613	0.00	0.00	00.00	24,15,599
4	Sh. A.K. Dutta Director (Infra)	23,50,285	0.00	0.00	0.00	00.00	23,50,285
5	Sh. A.K. Dutta Director (Infra)	23,02,200	780,000	0.00	0.00	00.00	30,82,200
6	Bharat Salhotra, (Ex-Director Finance)	818,809	267,920	0.00	0.00	0.00	10,86,729

Note:

1. Salary and Allowances includes Basic, DA, CTA, Sumptuary, tour allowance, medical allowance, magazine, tadhk, electricity, furnishing, personal pay and arrear on salary.
2. Other Benefits and Perquisites include payment for lease accommodation.

5. General Meetings
Annual General Meetings

The Annual General Meetings of the Company are held at New Delhi, where the registered office of the Company is situated. The details of such meetings held during the last three years are as under:

AGM	Year	Venue	Date	Time
4th	2009-2010	Registered Office-Committee Room, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001.	29.09.2010	5.00 PM
5th	2010-2011	Corporate Office-Board Room, 5 th Floor Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-110001	17.09.2011	12.30 P.M
6th	2011-2012	Corporate Office-Board Room, 5 th Floor Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-110001	26.09.2012	15.30 P.M

Detail of special resolutions passed in the previous three AGMs.

AGM	Year	Subject Matter of the Special Resolution	Date	Time
4 th	2009-2010	Pursuant to the provisions of Section 293(1)(d) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 1956, the consent of the Company was accorded to the Board of Directors of the Company to borrow money.	29.09.2010	5.00 PM
5 th	2010-2011	Nil	17.09.2011	12.30 P.M
6 th	2011-2012	Nil	26.09.2012	15.30 P.M

6. Disclosures

- A. There has not been a materially significant related party transaction.
- B. The Company has not been imposed penalty by any statutory authority as a result of non-compliance.
- C. The Company has complied with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises. In accordance with the guidelines, DFCCIL evolved a Code of Business Conduct and Ethics for its Board Members and Senior Management Personnel and has included Corporate Governance and Management Discussion and Analysis Report in the Directors Report for the year 2012-2013.
- D. All items of expenditure debited in the books of accounts of DFCCIL are for the purpose of project execution entrusted to DFCCIL and are related to project execution.
- E. There are no personal expenses incurred for the Board of Directors.

- F. The Net administrative expenses as a percentage of total expenses have decreased from 13.45% in 2011-12 to 12.23% in 2012-13.

7. Means of Communication

- 7.1 Annual Results - The audited annual financial results and Annual Report are displayed on DFCCIL website at www.dfccil.org.
- 7.2 Information and latest updates on Tenders/EOIs, details of tenders/contracts awarded, press releases, Job openings, Mission and objectives of the Company can be accessed at company's website.
- 7.3 The Company publishes its quarterly Newsletter.
- 7.4 Public Information Brochure, February 2012 uploaded on the website of the Company explains main features of Dedicated Freight Corridor (DFC) Project, the policy framework of land acquisition, entitlement matrix, basic compensation policy, Resettlement and Rehabilitation mechanism and grievance redresses mechanism. This brochure is distributed to Public as an information dissemination process under the project by the Company as project implementing agency.

8. Audit Qualifications

The Company has been putting all the efforts towards ensuring that financial statements are prepared in the most transparent manner resulting in unqualified financial statements. There have been no significant qualifications.

9. Training of Board Members

DFCCIL is concerned to take various training programs for its officers/ employees. In order to acquaint the Board Members, presently the Corporation has adopted the practice of furnishing a set of documents/ booklets to a Director on his/ her joining the Board. The set of documents provided includes Annual Reports for the last financial years, Memorandum and Articles of Association, a copy of the Memorandum of Understanding alongwith MOU targets and its achievements. This provides the basic information about the Company to the incumbent. Besides that Board members and Senior Management personnel are nominated for various training programs, from time to time.

10. Code of Business Conduct & Ethics

The Company has in place the Code of Conduct for Board Members and Senior Level Management duly approved by the Board of Directors. At 36th meeting of the Board, the

Code of Business Conduct and Ethics for Board members and Senior Management which came into force w.e.f. 1st day of April 2009 was replaced by the Model Code of Conduct as suggested in DPE guidelines. In terms of Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel, the annual affirmation that Code of Conduct has been complied with has been obtained from all the Board members and Senior Management Personnel. A declaration signed by the Managing Director affirming the compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel during 2012-2013 is placed at Annexure "D". The Code of Conduct is also posted on the Website of the Company www.dfccil.org

11. Whistle Blower Policy

DFCCIL believes in conduct of its affairs with highest standards of professionalism, honesty and integrity and is committed to ensure ethical behaviour by all its employees. The company therefore believes in creating a culture where it should be safe for all employees to raise concerns about any unethical practices or misconduct. The Company had formulated a Whistle Blower Policy. This policy provides a framework to enable employees wishing to raise a concern about serious irregularities within the Company without fear of victimisation and covers protected disclosures by employees of DFCCIL including those on deputation.

12. Compliance Certificate

The Certificate from a practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms the part of the Annual Report.



Ashish Kumar Gupta

Company Secretary

Address: A-16, Jitar Nagar, Parwana Road, Delhi-110051

Phone: 011-22025417, 9312210264

E-mail: guptaashish75@gmail.com

To the Members of

M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

Regd Office: Room No 101/A,

Rail Bhawan, Raisina Road,

New Delhi-110001

REG: COMPLIANCE CERTIFICATE WITH REFERENCE TO COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE FOR CENTRAL PUBLIC SECTOR ENTERPRISES 2010

1. This Certificate is in accordance with compliance of conditions of Corporate Governance by **M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. (Hereinafter referred to as “Company”)** for the Financial year ended on **31st March, 2013** as stipulated in the **Guidelines issued for Central Public Sector Enterprises 2010 effective from May 2010 (Hereinafter referred to as “Guidelines”)**.
2. The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination is limited to review of procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the said guidelines. It is neither an audit and nor an expression of opinion of the financial statement of the Company. My responsibility is to carry out an examination, on the basis of my professional judgment so as to award a reasonable assurance of the correctness and completeness of the records for the purpose of this certificate.
3. I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of certification and have been provided with such records, documents, certifications etc as had been required by me.
4. I certify that in respect of the aforesaid financial year ended 31st March 2013, the company has complied with various provisions of the Guidelines in its Corporate Governance Report except:
 - a) **Clause No. 3.2 relating to composition of Board of Directors – Nominee Directors**
 - b) **Clause No. 3.6 relating to integration and alignment of Risk Management System.**
5. I hereby state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place : Delhi

Date : 28.08.2013

Sd/-

Ashish Kumar Gupta

Company Secretary

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Industry Structure and Developments

The overall economic development of the Country could be measured with the development of different sectors of the economy. Transport sector plays an important role in accelerating the economic development by facilitating timely transportation of people and goods. Railways are the main artery of inland transport in an economy. Indian Railway (IR) is the largest rail network in Asia as well as the world's second largest under a single management. Indian Railways carries almost billion tones of freight over its network and accounts for about 70 percent of revenue, while the rest comes from passenger traffic.

In India, the Ministry of Railways is the nodal authority for development and maintenance of rail transport. It is actively engaged in formulation of various policies and looking after the overall functioning of the railway system. In order to deal with its different business aspects, IR has set up several Public Sector Undertakings for consultancy services, construction activities, IT sector, commercial activities, etc to enable IR to focus on its key activity of train operations and maintenance. This has also brought about efficiency in other non-core activities because of focused working of these PSUs on individual specific area of operation.

Under same principle, to segregate passenger and freight traffic on railway network and to augment the carrying capacity of railway network, "Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL)" was created as Special Purpose Vehicle to undertake planning & development, construction, maintenance and operation of Dedicated Freight lines. The Western DFC from JNPT to Dadri (1483 Kms.) with the superimposition of Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Ltd (DMICDC) has evinced keen interest for industrial development. DFCCIL is required to provide the matching rail transport logistics. The Eastern Corridor from Ludhiana to Dankuni (1834 Kms.) is lifeline for power sector and other essential commodities like food grain & fertilizer serving mineral rich states of India. Ministry of Urban Development (MoUD) has prepared a report advising for developing Special Primary Economy Region (SPER) along the Eastern Corridor on the lines of DMICDC on Western Corridor. Recently, an Inter-Ministerial Group (IMG) was also formed for development of Industrial Corridor from Amritsar-Dankuni along the Eastern Corridor.

Strength

Land Acquisition in the project continues to be its hallmark of strength. Even in difficult areas in Maharashtra, especially Greater Mumbai, the acquisition process has been moving smoothly as a result of a cautious and sensitive approach with the Project Affected People (PAPs) and intense frequent engagement with the State revenue and other officials. Similarly, the land acquisition in densely urbanized pockets of NCR in the Rewari-Dadri section of Western DFC Phase-2, which had

fierce resistance in the beginning, is now proceeding smoothly. The help and assistance available from Haryana state officials and the efforts by the DFC Project officials with utmost restraint and patience have yielded very rich dividend and the acquisition in this stretch has also been progressing well.

On the social and environmental front also, all the environmental clearances for DFC relating to Sanjay Gandhi National Park, Balaji Ambaji Wildlife Sanctuary and Thol Bird Sanctuary (on Western DFC), and ASI clearance for Budhia ka Taal and forest clearance in Taj Trapezium Zone (TTZ) (on Eastern DFC) alongwith related forest clearances and environmental clearances in other smaller pockets of the project, have been addressed and no impediments on this account to the project implementation are anticipated.

Apart from the strength in land acquisition, the fact of external funding by JICA for entire Phase-1 & Phase-2 of WDFC, concluded during the current financial year covering the debt portion of the project financing, is a major achievement. With the equity provisioning by Ministry of Railways, the entire project financing for WDFC has been tied up. At the same time, while external funding for Appraisal Project Loan (APL-1) (Bhaupur-Khurja) on Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) has been in place, considerable progress has been made to negotiate loan from World Bank for APL-2 (Bhaupur-Mughalsarai). With this, funding for around 850 kms out of around 1839 kms section on EDFC shall also be in place.

All the Rehabilitation & Resettlement Plan (RRP), Social Impact Assessments (SIA) and other activities of social management relating to land acquisition as prescribed by Japan International Cooperation Agency (JICA) for Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) have been completed except identification of NTH (Non Title Holders), which is ongoing. Further, in EDFC, SIA and Environment Assessment (EA) reports of Dadri-Khurja section were prepared. SIA and EA reports were updated for Mughalsarai-Bhaupur (APL-2). Forest clearance has been obtained for forest land diversion in APL-1 & APL-2. Assessment (ESIA) has been carried out and finalized for Wamaj-Iqbalgarh section, Rewari Loco Maintenance depot, Rewari. RRP of WDFC for Phase-I was updated and that of Phase-II was finalized.

During the year under review, Vigilance Manual and Works Manual were issued in November 2012. The Manual of Office Procedure for DFCCIL, Finance Reporting Manual, Finance Accounting Manual, Human Resource Manual were also implemented. These manuals will put in place the systems and procedures for day to day functioning of the organisation.

Weakness

As reflected in previous year's management discussion, discussions on the key soft parameters within the organization of clarity, conviction, confidence, courage and communication (5 C's) to handle the

project of this complexity and magnitude continues with marginal improvement. The courage and conviction deficit had been significantly influenced by the current environment and the historical background of events in the organization. Lack of these parameters obviously combines to result into confidence deficit in any endeavor of the organization. The leadership of the company would need to continue its efforts to demonstrate necessary boost to the courage and confidence at every level in the organization.

In continuation with the emphasis on 5C's, while there has been visible improvement in the external communication by way of DFCC efforts and resulted in periodically being covered in the media. It has also improved amongst other stakeholders within & outside of the Govt. domain. Efforts have been made in the organization during the year to improve these through internal procedures and external assistance as well. A program on "Leadership skills and Strategic Management" was also conducted at ISB, Mohali from 07.12.2012 to 08.12.2012 to familiarize officials with latest management technique and to increase bonding and bonhomie amongst them. However, further focused inputs in the coming year would be required as an important ingredient for smooth execution in the field works.

DFC requires 10703 hectares of Land spread over 3338 Kms for both Corridor. On the Eastern Corridor, DFC alignment passes through the States of West Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, and Punjab. The Western Corridor passes through the State of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. The Acquisition of Land being the subject matter of the concerned States is a biggest challenge faced by the Company. The Land is to be acquired in terms of various guidelines issued by State Governments/Zonal Railways, Central Government, provision of NRRP 2007, and requirement of funding agencies with respect to environmental and social considerations and expectations of project affected parties. Time bound execution of the project is hindered on account of delays in getting approvals from the concerned authorities.

Due to very specialized nature of work, the organization continues to experience lack of adequate professional resources as a result of non-availability of officials from the parent professional source, i.e. Ministry of Railways. The work has been progressing with the help of various consultants and some of the retired experienced rail and transport professionals engaged as Advisers for various activities.

Opportunity

DFC project will bring about a quantum leap in rail transport capacity, efficient technology, and operational efficiency, contributing to national economy both directly and indirectly. Even during the construction phase, this project is a major boost for the national economy which is currently flailing and various Industries and infrastructure sector is pinning its hope on successful and timely

execution of the project. Most importantly, DFCCIL has a great opportunity to build world class infrastructure that will have the capability of bringing about a paradigm shift in the transportation sector in India.

The DFC will be a game changer in transport logistics. Speedier, Scheduled services is expected to bring down logistics cost significantly. The network is expected to provide long awaited total logistics solution to trade utilizing energy efficient rail transportation.

Threats

In order to ensure delivery of the project on time, coordinated efforts are required among all the stake holders and the parties involved in the projects i.e. Ministry of Railways, Planning Commission, Ministry of Finance, State Governments, Japan International Co-operation Agency, World Bank - and each must perform its obligations in time to ensure that DFCs get constructed in time and within the estimated completion cost. Further, short tenures in DFCCIL by staff deputed from Railways may pose a challenge of continuity.

The company continues to suffer lack of institutional strength as a result of non-availability of adequate resources at middle level. The post of all the Directors and Managing Director constituting the functional board has been short of its strength since 2011 continuously and in absence of full strength of functional directors various roles are already clubbed, which is affecting smooth functioning of Company .

Strategies

Land Acquisition in the project shall continue to be a challenge but at the same time hallmark of strength of the organization, and to further enhance the acquired capabilities of the organization learnt over a period of time through trials & tribulations, the Company has adopted and pursued the simple strategy of ensuring compliance with National Rehabilitation and Resettlement Policy adopted by the Government of India. DFC addresses needs and concerns of the Project Affected Persons (PAPs) by emphasizing their participation and by extending necessary support to them in Resettlement and Rehabilitation process. For redressal of grievances related with Rehabilitation and Resettlement Plan, an Ombudsman was appointed during the year under review. The process of Land Acquisition is stretched over 9 States. In order to ensure the timely and hassle free acquisition, the State Level Coordination Committee have been formed headed by Chief Secretaries of the states for monitoring the progress of land acquisition in the states and to have a better liaisoning with the state machinery.

To intensify on all the five 'Cs' of the Corporation, Company is stepping ahead in streamlining the current system and procedures. As a step ahead towards the good Corporate Governance for carrying out the activities in transparent manner, a number of Office manuals & procedures namely Finance Manual, Vigilance Manual, Finance Accounting Manual, Finance Reporting Manual and

Works Manual have been issued. By way of organizing “Change Management Workshop” and “Brain Storming Sessions”, efforts have been made to bring on the participative management and to instill sense of ownership in all involved with the project.

Outlook

The outlook of the Corporation continues to be the another area requiring intense inputs as it appears to be building and growing in the direction of developing as a bureaucratic government organization rather than a vibrant commercial enterprise characterized due to various historical factors which have had serious impact on the morale and the work culture in the Corporation. However, during the year under review, there was a steady improvement in the Corporate Culture with the direct induction of professionals from other organizations and direct recruits from open market and implementation of various office procedures and Manuals.

DFCCIL is committed to its motto of '**SSS**' – '**Sincerity, Speed and Success**' which would lead to fulfillment of Organization's Mission, Vision and Objectives.

Risks and Concerns

The Eastern Dedicated Freight Corridor is to be funded by World Bank. There is a need to ensure compliance with the covenants agreed with the World Bank in the Project Appraisal Document i.e. signing of Concession Agreement, various other issues like fixing of license fee for the land, seeking exemption in customs and excise duties under deemed export for JICA funded WDFC, etc. It needs to be expedited at the level of Ministry of Railways.

There are concerns related to availability of land in time in some areas. There are serious difficulties in terms of payment of compensation or other benefits under NRRP (National Rehabilitation and Resettlement Policy). Further the specialized legislation meant for this purpose is yet to be completed as the subordinate legislation i.e. framing of rules under Railway Amendment Act 2008 even after 2 years of enactment, is a serious deficiency. In a linear acquisition covering over 3000 Kms passing through 9 States presents varied problems which cannot be addressed within the limited framework of principles enunciated in the Act.

Internal Control Systems

In any organisation, internal control being an integral process, effected by an entity's Management and personnel is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of entity's mission, the general objectives of executing the operations more orderly, ethically, economically, efficiently and effectively is achieved and the resources are safeguarded against loss, misuse and damage.

The company has internal systems and processes in place, which ensures the execution of operation more orderly, ethically, economically, efficiently, and effectively, which is adequate and

commensurate with the size of the Company. However, Internal Control being the ongoing process, the Management is committed towards its continuous improvement. The Audit Committee of the Board of Directors also reviews the reports of the Internal Auditor, comments of the Statutory Auditor and the Comptroller and Auditor General of India. The Management reviews the findings and recommendations of the auditors, takes corrective actions wherever necessary, and monitors the implementation of the recommendations.

Human Resource Development and Industrial relations

DFCCIL's HR perspectives:

Human Resource is the building block of any organization. In this direction, the endeavor of HR Department of DFCCIL has been to attract & retain talents by way of offering of an attractive pay package, providing optimal work environment also ensuring smooth career progression. The primary focus has been to devise various HR policies & training modules in line with the fast pace technological advancements, eventually leading to an effective and efficient work culture. The HRD Plan of DFCCIL not only mandates the organizational structure of DFCCIL for both construction and operational phases but also lays down the road map for achieving the organizational goals of the company.

Manpower Mobilization:

As a part of manpower induction strategy, the initial emphasis was on taking experienced personnel on deputation from Indian Railways. However, keeping in view the long term requirements of the organization, direct recruitment from open market and permanent absorption of deputationists besides immediate absorption of serving Govt./PSU employees has been followed. In year 2012-13, open market recruitment of **200** employees was initiated and the joining & training of these direct recruits are in progress. For immediate absorption, an advertisement for induction against **140** posts from amongst serving Govt. /PSU employees was floated and the selected personnel are in the process of joining DFCCIL. Another proposal for induction on immediate absorption against **17** posts in Finance department is under progress.

Keeping in view the specific need of DFCCIL, Department of Public Enterprise has been periodically granting exemption to DFCCIL from the rule of immediate absorption. The present exemption is valid till 29.12.2015 with permission to induct 200 gazetted officers and 200 non-gazetted employees on deputation terms. During the period, **71** Govt. employees joined DFCCIL and another **50** proposals are under consideration for deputation. From amongst the existing deputationists, 67 opted/inducted on permanent absorption in DFCCIL till March, 2013.

Besides the above manpower already in the process of induction, another proposal for induction of **156** personnel in various departments at various levels is actively under consideration. For operational phase requirement also the specific skill-set manpower requirement is under consideration for their induction before we enter into the operational phase.

Appreciation by Funding Agencies of DFCCIL:

The funding agencies of DFCCIL especially World Bank during their various meetings have appreciated and placed on record the efforts made by HR department towards building up of the organization, formulation & development of various HR policies and organizing training programs.

Training:

Technical trainings have been planned for professional upgradation of staffs and officers of DFCCIL.

Training of DFCCIL is broadly divided into 4 groups:

- (i) Induction Training for direct recruits
- (ii) Induction Training for absorbees
- (iii) World Bank Approved Trainings
- (iv) Other Professional Trainings

World Bank approved Training:

Based on the Training need Analysis done by HR involving Chief Project Managers (Field Officers) and GGM/GMs of Corporate Office, a detailed Training Plan was prepared which was also approved by World Bank. The target kept in World Bank Plan was for **275 officers and 651 mandays**. **The target has already been achieved.**

Few Highlights of the Training Plan:

Leadership skills and Strategic Management – ISB

- **Based on pre- diagnostic done through ISB** of expectations from the training programme of the officers of DFCCIL involving senior level officers and Directors a tailor-made training plan was organized for 37 AGM and above level officers wherein MD/Directors have also participated.
- Training course at ISB Mohali helped officers in understanding various leadership styles, role of Personal traits to understand own strengths and weakness, to imbibe other's perspectives and its influence on decision making, prioritisation of tasks and time management.

Training in FIDIC Conditions:

- International FIDIC Trainer Mr. James Perry was engaged for giving training in Yellow and Silver Book as per the requirement of DFCCIL. The training was organized in two groups one for 40 senior level officers and one for 40 middle and junior level officials (against a target of 20).

- Training in FIDIC has given valuable input regarding international level tendering and its execution. This training has enabled the participants to understand the standard practices being used in World Bank aided projects. This training will groom the officers to understand and analyze the logics and rationale behind various set of tender conditions.

Training in Land Acquisition and Resettlement & Rehabilitation Programme:

- Programme on Land Acquisition and Resettlement & Rehabilitation programme through ASCI, Hyderabad for 20 persons was organised.
- The course of LARR conducted by ASCII was extremely helpful to field engineers as it provided a comprehensive understanding of good practices in LARR, market value of land, land valuation techniques, negotiated settlements, care in drafting terms of References for Baseline/Social Impact Assessment studies, operational knowledge to plan and monitor LA and Resettlement Action Plans. **The Trained officers further gave in house training on the subject to around 30 officers of DFCCIL.**

Training in Best Practices in HR:

- In house training for 2 days on Best Practices in HR was organized through MDI, Gurgaon for 12 (against a target of 4 officers) Manager and above level officers.
- The training was highly appreciated by the participants as it presented various HR practices in vogue at national as well as international level.

Trainings Abroad

To provide exposure in International Practices in heavy haul procedures in various countries. Following trainings abroad were organised/are being organised:

- **Innotrans 2012** - 2 GM level and 1 AGM level officers participated in Innotrans 2012 at Germany
- **12th Professional Development Course on Electric Traction Systems-1** GM level officer participated in 12th Professional Development Course on Electric Traction Systems at London, U.K

Construction Law-Contracts & Dispute Management:

- GM/GGM level participation is planned for Construction Law – Contracts & Dispute Management training at London, UK.

Important Trainings organized for DFCCIL officials:

- International Heavy Haul Conference in Delhi.
- Workshop on Tenders and Contract Management 2012
- Short-term training programme on 'Social Impact Assessment
- Dispute Resolution in Engineering Contracts
- International Conference on RAIL @ 2020: Public Private Partnership
- 9th Programme on Corporate Governance
- Seminar on Development of Industrial & Dedicated Freight Corridors
- Workshop on total Quality in Vigilance
- HR Summit 2013-Theme Role in Building Business Leadership
- Green Energy Summit 2013
- Workshop on Financial Modelling
- MDP on Foreign Currency Changes & Risk Management

Corporate Social Responsibility

As per the guidelines issued time to time by Department of Public Enterprises, Government of India on Corporate Social Responsibility (CSR), all the CPSEs have to create a CSR budget as a percentage of net profit through a Board resolution. The amount of the budget depends on the net Profit after Tax (PAT) achieved by the Company.

Since, DFCCIL is in construction phase, it was not mandatory for DFCCIL to go for CSR. However, it was decided that a small amount can be kept for CSR and to be tried as on an experimental basis, so as to benefit PAPs (Project Affected Persons) in the project areas. Therefore, DFCCIL decided to provide Vocational/Technical Trainings to PAPs with a view to enhance their employability among them under CSR during the year 2012-13 through Government agencies (Jan Shikshan Sansthan, ITIs) & NGOs.

Following four field units of DFCCIL under the control of respective CPM were selected for implementation of CSR activities i.e. imparting of various vocational/technical trainings to enhance the employment skills among PAPs during the year 2012-13:

1. Project Implementing Unit (PIU), **Surat**
2. Project Implementing Unit (PIU), **Allahabad (W)**
3. Project Implementing Unit (PIU), **Tundla**
4. Project Implementing Unit (PIU), **Ajmer.**

Gender Equality was given due consideration to provide equal opportunity to women. To give special focus on the skill training development of women, DFCCIL launched facilities exclusively for women that aim at promoting participation of women in skill training. Various courses were designed and introduced under different schemes for target group of young women.

The main vocational training schemes comprises of Craftsman Training, Apprenticeship Training, Training for Skilled workers. The key areas in which the trainees were given training are as follows:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Construction | 7. Automotive & Motor Winding |
| 2. Electrical | 8. Box and Candle making |
| 3. Refrigeration & Repair of Home Appliances | 9. Typing and Stenography |
| 4. Production & Manufacturing | 10. Electrician |
| 5. Information Technology | 11. Fabrication & Welding |
| 6. Garment Making | |

As a total **891 PAPs** were trained in the above job oriented trades with allotted amount of ₹ 18 Lakh for CSR in 2012-13.



MD/DFCCIL interacting with trainees, course by Jan Shikshan Snsthan at Kharwa (Rajasthan)



MD/DFCCIL's inspection of training classes at ITI, Beawar (Rajasthan)

To support the institute as well as students, some equipments such as, drilling/welding machines, drawing boards, tables, etc. have been provided by DFCCIL.

DFCCIL in consultation with the funding agency of the Dedicated Freight Corridor adopted a proactive strategy in establishing contacts and building confidence of PAPs by not only disseminating information on compensation policy, entitlement matrix etc. but also educating them about their rights and privileges in the form of discourse available to them in case they are not satisfied with the awards/compensation. Main aim of taking such an initiative is to fill the communication gap and implement the RRP policy in a transparent manner and raising stakeholder's awareness regarding the project, procedures for getting their rights and entitlement under the

Resettlement and Rehabilitation plan of DFCC. For this purpose, all project officials have been communicating with PAPs during their site visits as well as specialized NGOs have been appointed for monitoring and implementation of RRP in the project areas. During the visit of World Bank auditors, these efforts were appreciated by the visiting officials.

Environment Protection and Conservation

Environmentally proactive approach of DFCCIL is reflected from the initiatives taken that DFC alignments have been selected carefully to avoid or minimize damage to the environment by avoiding of sensitive forest land and social impacts. Social Impact Assessment studies have been conducted for Eastern and Western Freight Corridor to meet the World Bank & JICA safeguard policy. All the environmental clearances for WDFC relating to Sanjay Gandhi National Park, Balaji Ambaji Wildlife Sanctuary and Thol Bird Sanctuary, along with related forest clearances and other environmental clearances in smaller pockets of the project, have been addressed and no impediments on this account to the project implementation are anticipated. All the RRP, Social Impact Assessments and other activities of social management relating to land acquisition as prescribed by JICA for WDFC have been completed except identification of NTH (Non Title Holders), which is ongoing. SIA and EA reports of Dadri-Khurja section were prepared. SIA and EA reports were updated for Mughalsarai-Bhaupur (APL-2), Assessment (ESIA) has been carried out and finalized for Wamaj-Iqbalgarh section, Rewari Loco Maintenance depot, Rewari. RRP of WDFC for Phase-I was updated and that of Phase-II was finalized.

EIA studies have revealed negligible impact on the habitat of water bodies, wildlife, flora & fauna, ambient air quality, soil and not significant noise & vibration pollution due to DFC. Suitable mitigation measures and Environment Management Plan have been recommended in the reports. Cutting of trees to clear Right of Way (RoW), compensatory tree plantation and silicosis exposure reduction strategy have been adequately addressed in the EIA reports.

At implementation level, DFCCIL has already committed itself to take all necessary steps to mitigate the unavoidable impacts due to the construction and operation of the freight corridor. All such steps and the measures required to improve the quality of flora and fauna, wildlife and water-bodies; etc has been made integral parts of its procurement plans. A SHE manual to provide minimum yardstick for safety, Health and Environment protection on and around the project has also been issued for all the parties to ensure.

On the energy conservation front, as a result of concerted efforts by all the occupants and the concerned officials managing energy consumption in the Office building, the average consumption in the building achieved considerable reduction and helped to achieve 4 STAR rating for the office building by Bureau of Energy Efficiency being the 4th such building in Delhi. A further reduction of more than 4 KWH per sq. mtr. would pave the way to obtain the 5 STAR rating the highest to join the list of select office buildings in National Capital Region/DLI in this category (at present only two).

Annexure –“D”

Declaration by Managing Director regarding compliance with the Code of Business and Ethics Conduct by Borad members and Senior Management during financial Year 2012-2013.

I, Ram Kumar Gupta, Managing Director, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, do hereby declare that all the members of the Board of Directors and the Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Business and Ethics Conduct during 2012-2013.

Place : New Delhi
Date : 28.05.2013

Sd/-
(Ram Kumar Gupta)
Managing Director

Balance Sheet as at March 31, 2013

Amount in ₹ Lakh

Particulars	Note No	As at March 31,2013	As at March 31, 2012
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	3	196,505.00	77,429.00
(b) Reserves and Surplus	4	-	-
(2) Share application money pending allotment	5	74,269.00	39,076.00
(3) Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	6	9,427.74	9,348.94
(b) Other Long Term Liabilities	7	2,141.43	666.78
(c) Long Term Provisions	8	47.84	9.87
(4) Current Liabilities			
(a) Other Current Liabilities	9	10,742.04	9,882.96
(b) Short Term Provisions	10	4.71	0.13
TOTAL		2,93,137.75	1,36,413.68
II. ASSETS			
(1) Non-Current Assets			
(a) Fixed assets	11		
(i) Tangible assets		672.41	772.38
(ii) Intangible assets		41.10	33.66
(iii) Capital work in progress		98,438.49	65,711.78
(iv) Capital Stores in Hand		1,572.72	-
(v) Assets under development		268.92	47.66
(b) Long-term loans and advances	12	131,222.07	22,858.70
(2) Current Assets			
(a) Cash and Cash Equivalents	13	54,192.34	41,898.48
(b) Short-term loans and advances	14	5,227.87	2,932.43
(c) Other current assets	15	1,501.84	2,158.59
TOTAL		2,93,137.75	1,36,413.68

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date
For M/s Jain Chopra & Company
Chartered Accountants

For and on Behalf of The Board of Directors

Sd/-
CA Rajesh Kumar
Partner
M.No. 501860
Firm Registration No: 002198N

Sd/-
(R.K.Gupta)
Managing Director

Sd/-
(H.D.Gujrati)
Director OP & BD

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date: 22.07.2013

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013

Particulars	Note No.	Amount in ₹ Lakh	
		For the Year ended March 31, 2013	For the Year ended March 31, 2012
REVENUE			
I. Revenue from operations		-	-
II. Other Income	16	1,992.66	984.57
III. Total Revenue (I +II)		1,992.66	984.57
EXPENSES			
Employee Benefit expense	18	-	-
Finance cost	18	-	-
Depreciation and amortization expense	18	-	-
Other expenses	18	-	-
IV. Total Expenses		-	-
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		1,992.66	984.57
VI. Exceptional Items		-	-
VII. Profit before extraordinary items and tax (V - VI)		1,992.66	984.57
VIII. Extraordinary Items		-	-
IX. Profit before tax (VII - VIII)		1,992.66	984.57
X. Tax expense:			
(1) Current tax		642.22	310.53
(2) Income Tax (Earlier Year)		0.90	0.91
(3) Deferred tax		-	-
XI. Profit(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)		1,349.54	673.13
(A) Transferred to Development Account		1,349.54	673.13
XII. Profit from discontinuing operations		-	-
XIII. Tax Expenses of discontinuing operations		-	-
XIV. Profit/(Loss) for the period from continuing operations (XII-		-	-
XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV - (A))		-	-
XVI. Earnings Per Share (Face Value ` 1000 each)		-	-

The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit and Loss.

For and on Behalf of The Board of Directors

This is the Statement of Profit and Loss referred to in our report of even date.

For M/s Jain Chopra & Company
Chartered Accountants

Sd/-
CA Rajesh Kumar
Partner
M.No. 501860
Firm Registration No: 002198N

Place : New Delhi
Date: 22.07.2013

Sd/-
(R.K.Gupta)
Managing Director

Sd/-
(H.D.Gujrati)
Director OP & BD

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2013

Amount in ₹ Lakh

S.N.	PARTICULARS	2012-13	2011-12
1	Cash Flow from Operating Activities		
	Net profit after tax		
	Adjustment for Depreciation		
	Adjustment for Tax Expenses		
	Adjustments for changes in Working Capital:		
	(Increase)/Decrease in other receivables	(6,012.10)	(2,651.74)
	Increase (Decrease) in current liabilities	2,376.27	(1,360.80)
	(Decrease) Increase in Provision	-	-
	Cash Generated from/(used in) Operations	(3,635.83)	(4,012.54)
	Income Taxes Paid/Received	(868.99)	(353.70)
	Net Cash generated from / (used in) Operating Activities (A)	(4,504.82)	(4,366.24)
2	Cash Flow from Investing Activities :-		
	Purchase of Fixed assets Including Capital work in progress	(34,357.93)	(29,213.77)
	Sale of Fixed Assets	8.57	16.74
	(Increase)/Decrease in Capital Advances	(107,494.38)	(3,980.66)
	Net Cash generated from / (used in) Investing activities (B)	(141,843.74)	(33,177.69)
3	Cash flow from Financing Activities :-		
	Proceeds from issuance of Share capital	80,000.00	10,716.00
	Proceeds from Share Application Money	74,269.00	39,076.00
	Proceeds from long -term borrowings	-	5,599.73
	Net Cash generated from / (used in) Financing activities	154,269.00	55,391.73
	Net Increase/(Decrease) in cash & cash equivalent (A+B+C)	7,920.44	17,847.80
	Cash & Cash equivalent at the beginning of the year	41,036.64	23,188.84
	Cash & Cash equivalent at the closing of the year	48,957.09	41,036.64
	Cash and Cash equivalents comprise:		
	Cash and Cheques in Hand	-	-
	Balance with Scheduled Banks		
	In Current Account	(9,856.91)	16,157.03
	In term Deposit Account	58,814.00	24,879.61
		48,957.09	41,036.64

Notes :

1. The Cash and Cash Equivalents does not include Term Deposits/Current Account balance held on behalf of MOR in SLAO Accounts ₹ 855.53 Lakhs, FDRs pledged as Security ₹ 379.72 Lakh and FDR (with original maturity of more than 3 months) ₹ 4000.00 Lakh (Previous Year ₹ 482.12 Lakh, ₹ 379.72 and ₹ Nil respectively). The changes in their balances over the previous year have been reflected in (Increase)/Decrease in other receivables.

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

For and on Behalf of The Board of Directors

For M/s Jain Chopra & Company
Chartered Accountants

Sd/-
CA Rajesh Kumar
Partner
M.No. 501860
Firm Registration No: 002198N

Sd/-
(R.K.Gupta)
Managing Director

Sd/-
(H.D.Gujrati)
Director OP & BD

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date: 22.07.2013

Notes to the Financial Statements

1 General Information

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) is set up under the administrative control of Ministry of Railway for construction, maintenance and operation of the Dedicated Freight Corridors.

2 Summary of Significant accounting policies

2.1 Basis of Preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared on an accrual basis unless otherwise stated under historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles generally accepted in India and complying with the mandatory Accounting Standards as applicable under section 211(3C) of the Companies Act, 1956.

2.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles (GAAP), require management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statement and the reported amounts of revenues and expenses for the years presented. Actual results could differ from those estimates. Any variation in the estimates and actual are adjusted in current and future accounting periods.

2.3 Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard "3" on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows from operating, investing and financing activities of the company.

2.4 Prior Period Items

Prior period items which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of prior periods financial statements are separately disclosed in the current financial statements. However differences in actual income/expenditure arising out of over or under estimation in prior period are not treated as prior period income/expenditure.

Income/Expenses up to ₹ 50,000/- in each case pertaining to prior years is treated as income/expenses of the current year and only income/expenses beyond ₹ 50,000/- in each case pertaining to the prior years is treated as the prior period expenses.

2.5 Revenue Recognition

Revenue is recognized based on the nature of activity when consideration can be reasonably measured and there exists reasonable certainty of its recovery.

- (i) Interest on Bank Deposits is booked on a time proportion basis.

- (ii) Other items of income are accounted for as and when the right to receive is established.
- (iii) Service charges income is recognized as per the terms of the contracts.
- (iv) Liquidated Damages are recognised at the time of actual recovery.

2.6 Fixed Assets & Depreciation

- a) Fixed assets are stated at historical cost and all directly attributable expenses relating to the acquisition of the assets are capitalized along with respective assets.
- b) All development cost being incurred on construction and acquisition of Assets forming part of the railway infrastructure will be capitalized by distributing the same over completed Assets.
- c) Depreciation on additions/deletions to Fixed Assets is provided on pro-rata basis from/to the date of addition/deletions.
- d) Depreciation is provided on the written down value method at the rates specified in Schedule XIV to The Companies Act, 1956 except in the following cases where depreciation is provided on pro-rata basis on straight-line method at the following rates considering the estimated useful lives of the assets determined :

Laptop	30.00%
Mobile	90.00%

e) Intangible Assets and Amortization

- i) Computer Antivirus Software is amortized over its useful life i.e. one year on pro-rata basis.
- ii) Other Computer software is amortized over a period of three years on pro-rata basis.

f) Leasehold Premises Improvement

Leasehold Premises improvements are amortized over the residual period of lease from the month in which such leasehold improvements are put to use.

2.7 Foreign currency transactions

Transactions in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transactions. All Monetary items outstanding at the end of the year are translated at the rates prevailing at the end of the year.

2.8 Employees' Benefits

a) Short term employee benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits. Benefits such as short- term compensated absences, etc. are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b) Long term employee benefits

- (i) The provision/liabilities towards Gratuity and Leave Encashment are made on the basis of actuarial valuation at the end of the year and charged to the development Account.
- (ii) Provision/liabilities towards Foreign Service Contribution are made in terms of Government Rules & Regulation for employees on deputation and charged to development Account on accrual basis.

2.9 Borrowing Costs

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets will be capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as expenses in the period in which these are incurred.

2.10 Accounting for Lease

The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases for premises (residential and office). The aggregate lease rentals payable are charged as rent for the year.

2.11 Taxes on Income

Tax on income for the current year is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, and based on the expected outcome of the assessment/appeals.

Deferred tax is recognized on timing differences between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws substantially enacted as on the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized to the extent there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

2.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset

Provisions are recognized for liabilities that can be measured only by using a substantial degree of estimation, if

- a) The Company has a present obligation as a result of a past event.
- b) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
- c) The amount of the obligation can be reliably estimated.

Contingent liability is disclosed in case of

- (a) A present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation;
- (b) A present obligation arising from past events, when no reliable estimate is possible;

(c) A possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.

Contingent assets are not recognized, Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

3 Share Capital

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Authorized Share Capital		
4,00,00,000 (Previous Year 4,00,00,000) Equity Shares of Rs.1000/- each	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00
	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00
Issued, Subscribed & Paid up Capital		
1,96,50,500 (Previous Year 4,00,00,000) Equity Shares of Rs.1000/- each	1,96,505.00	77,429.00
	1,96,505.00	77,429.00

3.1 Reconciliation of the Number of Equity Shares

Particulars	As at March 31, 2013		As at March 31, 2012	
	Number of shares	Amount in ₹ Lakh	Number of shares	Amount in ₹ Lakh
Balance as at the beginning of the year	77,42,900	77,429.00	55,91,300	55,913.00
Add: Equity Shares issued during the Year	1,19,07,600	1,19,076.00	21,51,600	21,516.00
Balance as at the end of the year	1,96,50,500	1,96,505.00	77,42,900	77,429.00

3.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

Particulars	As at March 31, 2013		As at March 31, 2012	
	Number of shares	% of Holding	Number of shares	% of Holding
Equity Shares :				
The President of India (Ministry of Railway)	1,96,50,494	99.99%	77,42,894	99.99%

3.3 Rights & Preferences attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares referred to as equity shares having par value of ₹1000/-. Each holder of one equity share is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the company, the holders of shares shall be entitled to remaining assets of the company, after distribution of all preferential amounts.

4 Reserves And Surplus

The company being in the construction stage, the Surplus arising out of interest income and facility management charges income is being set off against the Capital Work In Progress (CWIP), hence there is no balance in Reserves & Surplus.

5 Share Application Money Pending Allotment

(a) Equity shares are to be issued at par in respect of share application money received from Ministry of Railways amounting to ₹ 74,269 Lakh (Previous Year ₹ 39,076 Lakh). The said share application money was received on 22.02.2013.

(c) The Company has sufficient Authorized Share Capital to cover the share capital amount on allotment of shares against such share application money received. There is no overdue amount of share application money pending allotment as on 31.03.2013.

6 Long Term Borrowings

Amount in ₹Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Term Loans From Others		
Unsecured Loan		
Loan from Ministry of Railways for EAP/ JICA Projects (Loan from Ministry of Railway For External Aided Project	8,102.00	8,102.00
Loan from Ministry of Railways for EAP/IBRD Projects	1,325.74	1,246.94
Total	9,427.74	9,348.94

6.1 Terms of Repayment (EAP/JICA LOAN)

Loan from JICA is being passed to Ministry of Railways as Externally Aided components of Gross Budgetary Support by Ministry of Finance. This amount will be passed on to DFCCIL as a Loan on the same terms and conditions. Dividend will be paid by Ministry of Railway to the Ministry of Finance @ 7% over the period of the loan. Therefore, DFCCIL has to provide for simple interest @7% on loan amount. This interest will accrue for first ten years (Period of Moratorium) and will be payable to MOR only after the first ten years in ten equal installments along with regular interest of 11th year onward. Accordingly the Company has made a provision of simple interest at the rate of 7% on the loan received from MOR.

6.2 Terms of Repayment (EAP/IBRD LOAN)

The Government of India (GOI) through the Ministry of Finance has entered into a Loan Agreement dated: 27/10/2011 with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to avail a loan of USD 975 Million which shall be utilized towards, Institutional Development Activities and design, construction and commissioning of 343 Kms of double track electrified railway on the Khurja-Kanpur section of the Eastern Dedicated Freight Corridor.

In terms of the Loan Agreement, DFCCIL has been identified as the Project Implementing Entity. DFCCIL has also entered into a Project Agreement with the Bank, dated 27/10/2011 for

implementation of project. Further, to facilitate the carrying out of the project by DFCCIL, GOI through the MoR is required to make the proceeds of the Loan available to DFCCIL by way of MOR Loan under a Subsidiary Loan Agreement between the GOI through MoR and DFCCIL, under terms and conditions satisfactory to the Bank.

The repayment of Loan along with interest will be made by DFCCIL to MOR in Rupee equivalent of the USD Loan/interest amount.

The loan outstanding as on 31st March 2013 is in respect of Front-end Fee amounting to USD 2437500 charged in previous year, and as restated at exchange rate prevailing as on 31st March 2013.

7 Other Long Term Liabilities*

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Trade payables	-	
Others		
(i) Interest accrued but not due on Loan from MoR on EAP	977.50	410.36
(ii) Misc. Deposits (Security Deposits received from Supplier & Service Providers)	1,138.40	256.41
(iii) Advance received from customers against Deposit Work	25.52	-
Total	2,141.43	666.78

***On the basis of Information available there are no dues towards Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the "The Micro, Small & Medium Enterprise Development Act 2006" to whom the company owes dues.**

8. Long Term Provisions

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
(A) Provision for Employee Benefits		
Provision for Gratuity	24.21	9.87
Provision for Leave Encashment	23.63	-
(B) Other Provisions		
Total (A)+(B)	47.84	9.87

8.1 Employee Benefits.

a) Gratuity:

Provision for gratuity liability for the year has been made as per Actuarial Valuation as on 31-03-2013.

Gratuity Benefit is payable to employees on separation from the corporation. The amount of gratuity payable is based on past service and salary at the time of separation as per Payment of Gratuity act, 1972. There is a vesting period of 5 years on the benefit.

A reconciliation of opening & closing Balances of the present value of the retirement benefit (Gratuity) obligation and the effects during the period attributable to each are the following:

Change in present value of obligation:

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Opening Balance	10.01	3.13
Interest Cost	0.80	0.27
Current service cost	8.95	2.93
Benefit paid	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	6.18	3.68
Closing Balance	25.94	10.01

Expenses recognized:

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Interest Cost	0.80	0.27
Current service cost	8.95	2.93
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	6.18	3.68
Net Gain/ (Loss) (transferred to Development Account)	15.93	6.88

Movement in the liability recognized in the Balance sheet:

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Opening net liability	10.01	3.13
Expenses as above	15.93	6.88
Benefit Paid	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Closing net liability	25.94	10.01
Recognized as under:		
Long Term Provision	24.21	9.87
Short Term Provision	1.73	0.13
Total	25.94	10.01

Actuarial Assumptions:

	For the Year ended March 31, 2013	For the Year ended March 31, 2012
Method Of Valuation :	Project Unit Credit Method	Project Unit Credit Method
Discount Rate :	8.00%	8.50%
Salary Escalation Rate:	3.00%	3.00%
Mortality rate	IALM (1994-96)	IALM (1994-96)

b) Leave Encashment:

Provision for leave encashment liability for the year has been made as per Actuarial Valuation as on 31-03-2013.

Employees are entitled to encashment of earned leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same.

A reconciliation of opening & closing Balances of the present value of obligation and the effects during the period attributable to each are the following:

Change in present value of obligation:

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Opening Balance	-	-
Interest Cost	-	-
Current service cost	26.61	-
Benefit paid	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	-	-
Closing Balance	26.61	-

Expenses recognized:

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Interest Cost	-	-
Current service cost	26.61	-
Actuarial Loss / (Gain) on obligation	-	-
Expenses recognized and transferred to Development Account	26.61	-

Movement in the liability recognized in the Balance sheet:

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Opening net liability	-	-
Expenses as above	26.61	-
Benefit Paid	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Closing net liability	26.61	-
Recognized as under:		
Long Term Provision	23.63	-
Short Term Provision	2.98	-
Total	26.61	-

Actuarial Assumptions:

	For the Year ended March 31, 2013	For the Year ended March 31, 2012
Method Of Valuation :	Project Unit Credit Method	-
Discount Rate :	8.00%	-
Salary Escalation Rate:	3.00%	-
Mortality rate	IALM (1994-96)	-

9. Other Current Liabilities

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
(i) Earnest Money & Performance Security Deposit	320.50	46.58
(ii) Advance for Land (Pending for transfer to SLAO A/c)	905.41	114.39
(iii) Advance received from customers against Deposit Work	6.48	6.48
(iv) Payable to MoR (For interest and TDS on SLAO Bank A/C)	672.27	481.10
(v) Others Payables*	8,750.53	8,745.83
(vi) Misc. Deposits (Security Deposits received from Supplier & Service Providers)	82.21	485.19
(vii) Interest accrued on Loan from MoR on IBRD	4.63	3.38
Total	10,742.04	9,882.96

* On the basis of Information available there are no dues towards Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the "The Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006" to whom the company owes dues.

10. Short Term Provisions

Amount in ₹ Lakh

Particulars	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
(A) Provision for Employee Benefits		
Provision for Gratuity	1.73	0.13
Provision for Leave Encashment	2.98	-
(B) Other Provisions	-	-
Total (A)+(B)	4.71	0.13

ANNUAL REPORT 2012-2013

11 Fixed Assets

Amount in ₹ Lakh

Particulars	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			
	Cost as at 1st April 2012	Additions during the Period	Deletions / adjustments during the Period	Cost as at 31st March 2013	As at 1st April 2012	Charge for the Period	Deletions during the Period	As at 31st March 2013	As at 31st March 2013	As at 31st March 2012
(i) Tangible Assets										
(i) Leasehold Premises Improvement	1,003.22	71.22	-	1,074.44	782.75	244.98	-	1,027.73	46.71	220.47
(ii) EDP Assets	330.78	98.92	10.93	418.77	189.53	65.79	6.74	248.58	170.20	141.25
(iii) Office equipment	459.80	87.46	5.40	541.86	193.19	59.03	3.94	248.28	293.57	266.60
(iv) Furniture and fixtures	225.97	54.74	1.58	279.13	81.91	35.62	0.34	117.19	161.94	144.06
Total (A)	2,019.76	312.34	17.91	2,314.20	1,247.38	405.42	11.01	1,641.79	672.41	772.38
(ii) Intangible Assets										
(i) Computer software	97.52	23.09	-	120.61	63.85	15.66	-	79.51	41.10	33.66
Total (B)	97.52	23.09	-	120.61	63.85	15.66	-	79.51	41.10	33.66
Total (A) + (B)	2,117.28	335.44	17.91	2,434.81	1,311.24	421.08	11.01	1,721.30	713.51	806.04
Previous Year	1,828.47	315.34	26.53	2,117.28	840.61	483.17	12.54	1,311.24	806.04	

(iii) Capital Work In Progress

Particulars	Amount in ₹ Lakh			
	As at April 1, 2012	Additions during the Year	Deletions / adjustments during the Year	As at March 31, 2013
(i) Earthwork	13,606.50	3,900.66	-	17,507.16
(ii) Bridges under progress	17,462.34	16,290.40	-	33,752.74
(iii) Other Project Expenditure	21,166.50	7,666.95	-	28,833.45
(iv) Formation	41.29	32.39	-	73.68
(v) Overhead Electric Equipment	8.22	-	-	8.22
(vi) Incidental expenditure During construction period (Development A/c Pending Capitalisation) (Note No. 17)	13,426.93	4,836.31	-	18,263.23
Total	65,711.78	32,726.71	-	98,438.49

(iv) Capital Stores in Hand

Particulars	Amount in ₹ Lakh			
	As at April 1, 2012	Additions during the Year	Issued during the Year	As at March 31, 2013
(i) Rail Supply	-	1,572.72	-	1,572.72
Total	-	1,572.72	-	1,572.72

(v) Assets Under Development

Particulars	Amount in ₹ Lakh			
	As at April 1, 2012	Additions during the Year	Deletions / adjustments during the Year	As at March 31, 2013
Tangible				
(i) Air Conditioning System Installation Under Progress	-	8.42	-	8.42
(ii) Leashold Improvements Under Progress	-	98.84	-	98.84
Intangible				
(iii) Software Under Progress IT	47.66	114.00	-	161.66
Total	47.66	221.26	-	268.92

12 Long Term Loans & Advances *

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
(a) Capital Advance		
Secured Considered Good		
Mobilisation Advance (Secured against hypothecation of Plant & Machinery in favour of DFCCIL)	4,830.81	4,830.81
Unsecured Considered Good		
Advance to Railway	919.17	862.39
Advance for Electric Substation	10,907.57	830.14
Advance for Shifting of Utilities	85,890.27	2,484.01
Advance For Construction of Officer Flats & Guest House	1,401.50	899.00
Mobilisation Advance	26,779.10	12,837.12
Total (a)	1,30,728.42	22,743.46
(b) Security Deposit		
Security Deposit-Electricity,	20.95	18.25
Security Deposit - Lease Rent	19.77	16.16
Security Deposit Against-Telephone & Others	0.42	0.31
Security Deposit Against-Cutting of Trees	36.02	-
Total (b)	77.15	34.72
(c) Others		
Advance Income tax & TDS (Net of Provision)	416.50	80.51
Total (c)	416.50	80.51
Total (a+b+c)	1,31,222.07	22,858.70

* In the opinion of the Board, value of loans & advances if realized in the normal course of the business, shall not be less than the value stated in the accounts.

12.1 Security Deposit :

The Company has obtained security deposits amounting to ₹ 197.33 Lakh (Previous Year ₹ 178.29 Lakh) from Contractors and Sub Tenants in the shape of Fixed Deposit Receipts. Accordingly the same has not been shown as part of assets or liabilities.

13 Cash and Cash Equivalents

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
(a) Cash and Cash Equivalents		
Bank Balances		
-- Current Accounts *	(9,851.38)	16,163.05
-- Flexi & Fixed Deposit Accounts **	63,664.00	25,355.71
(b) Other Bank Balances		
-- Fixed Deposit Accounts under Lien (Note 13.1)	379.72	379.72
Total (a) + (b)	54,192.34	41,898.48

* Negative balance in Current Accounts with banks represents cheques issued pending clearance against Flexi Deposits.

** Includes ₹ 4000 Lakh in Fixed Deposits with original maturity of more than 3 months.

13.1 Fixed Deposits under Lien represents ₹ 329.41 Lakh (Previous Year ₹ 329.41 Lakh) given to DMRC and ₹ 50.31 Lakh (Previous Year ₹ 50.31 Lakh) given to Central Railway Mumbai as security deposit against Leases. Interest accrued thereon amounting to ₹ 37.35 Lakh (Previous Year ₹ 34.52 Lakh) is included in Interest on Fixed Deposits in Development Account.

14 Short Term Loan & Advances *

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Unsecured, considered good		
(a) Loan and advances to related parties		
(i) Advance to Director for Expenses	-	-
(b) Other Loans & Advances		
(i) Expenditure on Land Acquisition -Recoverable from MOR	3,858.42	2,847.51
(ii) Expenditure on Pets Survey -Recoverable from MOR	1,194.74	-
(iii) Employee advances:	16.31	0.58
(iv) Prepaid Expense	34.50	19.37
(v) Service Tax Input Credit	1.06	0.08
(vi) Security Deposit - NDMC	10.87	9.98
(vii) Security Deposit - Lease Rent	32.36	18.11
(viii) Others	79.61	36.80
Total	5,227.87	2,932.43

* In the opinion of the Board, value of loans & advances if realized in the normal course of the business, shall not be less than the value stated in the accounts.

14.1 Expenditure on Land Acquisition :

(a) As per Directions of Ministry of Railways (MOR), the Company is acquiring Land on behalf of MOR in association with Competent Authority nominated by MOR. The Company has incurred expenses amounting ₹ 38.54 crore (Previous Year ₹ 28.48 crores) in connection with acquisition of Land up to 31.03.2013. The same has been shown as recoverable from MOR subject to their confirmation.

(b) (i) Further, Bank accounts have been opened and operated jointly by the Competent Authority & a nominee of the Company. Such Bank Accounts do not form part of the Company's accounts.

(ii) Bank balances include flexi fixed deposit with banks amounting to ₹ 8.50 crores (Previous Year ₹ 4.76) crores held on behalf of State Land Acquisition Officer (SLAO) and 0.06 crores (Previous year ₹ 0.06) crores in current account in SLAO Bank accounts.

14.2 Advance Tax & Provision For Income Tax :

(a) As per paragraph 27 of AS 22 "Accounting for Taxes on Income " issued by The Institute of Chartered Accountants of India, The Advance Tax has been disclosed Net of Provision. Provision for Income tax has been made in respect of Income from Interest on Fixed Deposits and Service Charges recovered. However no provision has been made on Interest on Mobilization Advance given to Contractor and on the Liquidated damage (LDA) recovered as the same has been considered as Capital Receipt based on opinion obtained from Consultants. No adjustment has been made for deferred taxes on income as per AS 22, as the Company is in construction stage.

15 OTHER CURRENT ASSETS*

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	As at March 31, 2013	As at March 31, 2012
Unsecured, considered good		
(a) Interest accrued on Fixed Deposit and Mobilization advance		
On Fixed Deposit	167.91	31.71
On Mobilisation Advance	470.70	1,530.11
(b) Other Recoverable (Represents Rent & Facility Management charges etc. receivable on account of sub-lease)	863.23	596.77
Total	1,501.84	2,158.59

* In the opinion of the Management, the value of Other Current Assets, loans & advances if realized in the ordinary course of the business, shall not be less than the value stated in the accounts.

16 Other Income (See Also Note No 22)

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	For the Year ended March 31, 2013	For the Year ended March 31, 2012
(A) Interest Income		
Interest on FDR	1,865.03	834.78
Total (A)	1,865.03	834.78
(B) Other Non Operating Income		
Misc. Income	1.35	0.95
Security Deposit & Earnest Money Deposit Forfeited	15.69	8.88
Bank Guarantee encashed	-	3.41
Rent Recovery on Sub Lease (See below note No. 16.1)	454.91	481.32
Housekeeping	25.27	22.28
Office Security Exp.	41.93	43.87
Electricity Exp. Office	40.60	38.89
Office Repair & Maintenance	0.04	0.01
Repair & Maintenance - A.C.	-	12.70
Pantry	-	0.54
Annual Maintenance Charges	16.31	4.37
Repair & Maintenance	-	0.58
Composite Rent & Facility Management Charges Received	224.00	283.50
Total (B)	820.09	901.31
(C) Less : Direct expenses		
Housekeeping Expenses	22.47	23.79
Rent	454.91	481.32
Composite Rent & Facility Management Exp	127.16	143.38
Office Security Expenses	37.29	45.72
Electricity Exp. Office	36.11	39.97
Office Repair & Maintenance	0.03	0.01
Repair & Maintenance - A.C.	-	11.31
Pantry	-	0.48
Annual Maintenance Charges	14.50	3.89
Repair & Maintenance	-	0.51
Internet Expenses	-	1.14
Total (C)	692.47	751.52
(D) Net Other Non Operating Income [(B) - (C)]	127.63	149.79
Net Other Income [(A) + (D)]	1,992.66	984.57

16.1 Sub Lease :

Sub lease receivables recognised in the Statement of Profit & Loss for the year 2012-13 is ₹ 454.91 (Previous year ₹ 481.32)

17 Development Account (Pending Capitalisation)

Amount in ₹ Lakh

Particulars	Note No	For the year ended	For the year ended
		31.03.2013	31.03.2012
Employee Benefit expense	18	3,983.81	2,404.58
Finance cost	18 A	583.62	1,680.86
Depreciation and amortization expense	18 B	421.08	481.53
Other expenses	18 C	4,561.81	2,936.37
Total (A)		9,550.33	7,503.35
Less:			
Liquidated Damage (LDA)		1,615.94	1,041.50
Interest on Mobilization Advance		1,799.08	1,521.25
Foreign Currency Fluctuation Gain / (Loss)		(78.81)	50.91
Sale of Tender		28.26	33.96
Total (B)		3,364.47	2,647.62
Net Expenditure (A-B)		6,185.85	4,855.73
Profit Transferred From Statement Of Profit And Loss		1,349.54	673.13
Total Transferred To Capital Work In Progress (CWIP)		4,836.31	4,182.60

18 Employee Benefits Expense

Amount in ₹ Lakh

Particulars	For the year ended	For the year ended
	31.03.2013	31.03.2012
Salary	2,214.34	1,288.02
Salary Arrear A/C	4.43	3.72
TA/DA - Allowance	191.23	98.19
TADK-Allowance	64.22	45.30
Salary Arrear (IDA To CDA)	-	3.07
Tax On Perquisites	49.22	30.54
Foreign Service Contribution	215.80	181.00
Furnishing Allowances	118.34	76.14
House Rent Allowance	25.29	11.86
Leave Encashment	39.62	11.77
Gratuity	15.93	6.88
EPF Employer Contribution	55.54	15.78
Administrative Charges On EPF	5.46	1.52
Transport Allowance	74.78	35.58
Consolidated Travelling Allowances	32.02	22.45
Composite Transfer Grant	20.61	20.33
Honorarium	0.98	0.57
Sumptuary Allowance	76.18	51.42
Leave Travel Concession	1.18	0.11
Computer Training Fee	0.04	0.64
Medical Indoor	8.20	14.57
Medical Outdoor	154.81	95.04
Tuition Fee	40.95	27.40
License Fee	127.76	109.80
Lease Rent	401.61	226.46
Professional Updation Allowances	9.77	5.33
Club Membership Fees Staff	6.78	4.58
Special Professional Allowances	5.85	1.94
Canteen Allowances	1.37	0.44
Charge Allowances	0.71	0.63
NPS Contribution	0.80	0.31
Electricity -Staff	19.96	13.15
Interest on FSC	-	0.07
Total	3,983.81	2,404.58

18 A Finance Cost

Amount in ₹ Lakh

Particulars	For the year ended 31.03.2013	For the year ended 31.03.2012
Interest on EAP/JICA Loan	567.14	379.76
Interest on IBRD Loan	16.48	3.38
Upfront Fees	-	1,297.73
Total	583.62	1,680.86

18 B Depreciation & Amortization Expenses

Depreciation- EDP Assets	81.45	67.00
Depreciation - Office Equipment	59.03	55.48
Depreciation-Furniture & Fixture	35.62	26.60
Depreciation-Leasehold Improvement	244.98	332.44
Total	421.08	481.53

18C Other Expenses

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	For the year ended 31.03.2013	For the year ended 31.03.2012
Advertisement Expenses	243.84	123.33
Staff Welfare	154.02	117.74
Communication Expenses	58.95	41.69
Printing & Stationary	146.16	120.59
Misc. Expenses	84.18	50.97
Books & Periodicals	30.46	21.19
Legal & Professional Charges	115.51	77.48
Directors Sitting Fee (Includes Service Tax ` 29,664)	5.90	5.20
Consultancy Fees to Consultants	221.54	121.76
Placement Consultancy Charges	255.70	176.07
Recruitment Expenses	151.73	-
Electricity Expenses	70.32	74.12
Power & Fuel	4.67	2.87
Housekeeping Expenses	169.47	102.53
Auditor's Remuneration	-	-
Statutory Audit Fees	4.49	4.49
Tax Audit Fees	-	1.10
Meeting & Conference	13.72	6.73
Rates & Taxes	120.54	21.96
Rent*	987.25	891.64
Tours ,Travels and Conveyance	1,132.42	742.47
Seminar & Training Expenses	402.08	25.73
Repair & Maintenance-others	84.12	40.84
Annual Subscription Fees-IT Consultancy & Software	11.86	22.42
Office Expenses	14.44	9.26
Hospitality Expenses	15.64	12.46
Office Security Expenses	45.07	33.30
Loss on Sale of Fixed Assets	1.68	2.75
Interest on Service Tax & TDS	2.25	2.28
Foreign Currency Expenditure	13.15	4.73
Prior Period Adjustment (Note No. - 19)	0.65	78.68
Total	4,561.81	2,936.37

* **Lease Rent :**

The Company has taken premises for its corporate office on operating lease effective from 15th February 2008. The lease is cancellable during the current term of lease. Further company has also sub-leased part of the premises which is not non-cancellable during the current term of lease.

Lease payments recognised in the statement of Development Account for the period of Apr'12 to Mar'13 is ₹ 1,555.74 (Previous year ₹ 1,516.34)

Notes to the Financial statements

19 Prior Period Adjustment

Particulars	Amount in ₹ Lakh	
	For the year ended 31.03.2013	For the year ended 31.03.2012
Consultancy Fee	-	(4.08)
Vehicle Hiring Charges	-	0.51
Misc. Prior Period Adjustments	(0.57)	0.78
Repair & Maint. - Others	-	(0.82)
Professional Charges	-	3.32
Annual Maintenance Charges	-	(0.79)
Annual Subscription Fee	-	6.03
Office Security	-	(3.29)
Interest on FDR	-	1.30
Depreciation	0.62	-
Lease Rent	0.60	75.72
Total	0.65	78.68
Prior Period Adjustment 2012-13	0.65	
Prior Period Adjustment 2011-12		78.68

Notes to the Financial Statement

20. Contingent Liabilities

- i) The Company is contesting no. of legal cases on behalf of MoR in matters involving compensation in connection with acquisition of land in Courts of Law and in Arbitration. The Company does not anticipate any liability on this account. Further some parties have referred their claims to Arbitration in respect of contracts with them. The amount of claims underlying these contracts is ₹ 29,296.31 Lakh (Previous Year ₹624.61 Lakh). Pending finalization of proceedings, which are at a preliminary stage, no provisions have been made in this behalf.
- ii) Income Tax Demand contested in appeals : ₹ 11.90 Lakh (Previous Year ₹ 11.90 Lakh)

21. Capital Commitments

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for ₹ 4,42,320.94 Lakh (Previous Year ₹ 1,43,736.43 Lakh).

22. The Company is in construction stage for work relating to Eastern Section and Western Section for Dedicated Freight Corridor Project. Operation has yet not been started and no operational income has been earned during the year hence Statement of Profit & Loss is being drawn only for non operational income i.e. Interest on Bank deposits & Service charges income on Facility Management Services provided on sub-lease. Balance in the Statement of Profit & Loss has been transferred to Development Account.

23. Related Party Disclosures:

(a) Directors

Key Management Personnel

Mr. R.K.Gupta	Managing Director
Mr. A. K.Dutta	Whole Time Director (INFRA)
Mr. Bharat Salhotra	Whole Time Director (Finance) from 17-09-2012 to 28-01-2013
Mr. P. N. Shukla	Whole Time Director (OPR & BD) upto 15-10-2012
Mr. H.D. Gujrati	Whole Time Director (OPR & BD) from 29-11-2012
Mr. Anshumaan Sharma	Whole time Director (PP)

Other Directors

Mr. Vinay Mittal	Part Time Chairman
Mr. Ranjan Jain	Part Time Director upto 30-09-2012
Mr. Gajendra Haldea	Part Time Director
Mr. D.T Joseph	Part Time Director
Mr. Bhaskar Gupta	Part Time Director
Mr. R.S. Sharma	Part Time Director from 25-04-2012
Mr. Girish Pillai	Part Time Director from 14-11-2012

24. (a) Managerial Remuneration

Amount in ₹ Lakh

Particulars	Year Ended 31/03/2013	Year ended 31/03/2012
Salary & allowances (Including PC & IDA Arrear)	96.91	113.02
Value of Perks	25.35	27.04

(b) Director Sitting Fee to Part Time Directors

Amount in ₹ Lakh

Particulars	Year Ended 31/03/2013	Year ended 31/03/2012
Director Sitting Fee	5.60	5.20

25. Expenditure in Foreign Currency

Amount in ₹ Lakh

Particulars	Year Ended 31/03/2013	Year ended 31/03/2012
Subscription fees for IT	22.68	18.12
Tour & Travel expenses	6.57	4.73
Project Consultancy Services	-	43.93
L.C. Opening Charges	13.42	17.78
Bank Charges JICA Loan	19.78	3.08
Seminar Training Fee	-	5.92

26. An amount of ₹ 47,768.38 Lakh (Previous Year ₹ 24,879.61 Crore) out of Share Application money received remained unutilized, and kept in Flexi Deposits/Fixed Deposits with Scheduled Banks as on 31st March 2013.
27. The Company has sent letters to obtain confirmation from respective parties to which few parties have responded. The rest of personal balances are subject to their respective Confirmation.
28. One of the contractor has raised a claim of ₹ 573.41 Lakh in respect of GVAT paid to its Sub-contractors. However, the company is contesting the same, and accordingly, no provision has been made in the accounts pending final settlement.
29. The Company has given advances to various parties for creation/shifting of utilities along the freight Corridors under construction. The total amount of such advances as on 31.03.2013 is ₹ 97,717.01 lakhs (Previous Year ₹ 4,176.53 Lakh). The works are under various stages of progress and the same will be accounted for on completion of respective works by the concerned parties.
30. The figures in the financial statements have been rounded off to ₹ Lakh. The previous year figures have been recast and regrouped so as to make them comparable with the current year figures.

These are the Notes referred to in our report of even date.

**For M/s Jain Chopra & Company
Chartered Accountants**

For and on Behalf of The Board of Directors

**Sd/-
CA Rajesh Kumar
Partner
M.No. 501860**

**Sd/-
(R.K.Gupta)
Managing Director**

**Sd/-
(H.D.Gujrati)
Director OP & BD**

Firm Registration No: 002198

**Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary**

**Place : New Delhi
Date: 22.07.2013**

Jain Chopra & Company

Chartered Accountants

105, Jyoti Bhawan, Commercial Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -110009
Phone: 27652776, 27652091 Fax: 011-27650155
E-mail: jc_company@sify.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED**, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

The company has not recovered taxes pertaining to earlier years paid by the company on remuneration by way of perquisites paid to its employees. The management has however expressed that efforts are being made in this regard to make the recoveries.

Attention is drawn as under to:

- a) *Note No. 13.1 regarding recognition of an income of ₹ 32.11 Lacs (cumulative figure up to 31st March 2013 of ₹134.42 Lacs) being interest on security deposit given as per lease agreement with Delhi Metro Railways Corporation Limited (DMRC) by way of a fixed deposit. The terms of lease however provides that an interest free deposit will be provided as security deposit. In absence of a written confirmation from DMRC we are unable to comment on the recognition of the said income. Likewise no income has been recognized in respect of such deposits obtained from the sub tenants.*
- b) *Note No. 14.1(a) regarding claim of a sum of ₹38.54 crores from Ministry of Railways (MOR) towards expenses incurred by the company till 31st March 2013 and shown recoverable from MOR, is subject to the approval, reconciliation and confirmation by MOR.*
- c) *Note No. 14.2 regarding non provision of Income Tax on Interest on mobilization advances and liquidated damages recovered from contractors;*
- d) *Not No. 28 regarding non provision of claim of ₹573.41lacs from one of the contractor in respect of GVAT.*

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements subject to the consequential effect of, on account of our observations as above, the amount whereof could not be determined, give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,:

- i). in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;
- ii). in the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit/ loss for the year ended on that date; and
- iii). in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) order, 2003 and read together with the Companies (Auditor's Report) Amendment Order, 2004, issued by the Central Government of India in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order:
2. As required by section 227(3) of the Act,
We report that:
 - a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d) in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in subsection (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956;
 - e) The requirement of clause (g) of sub-section (1) of Section 274 of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of directors are not applicable to the Company, being a wholly owned subsidiary company of a Government Company, in terms of Notification No. G.S.R.829 (E), dated 21.10.2003 issued by Ministry of Finance, Department of Company Affairs; and
 - f) Since the Central Government has not issued any notification as to the rate at which the cess is to be paid under section 441A of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which such cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company

Sd/-

Rajesh Kumar

Partner

Membership No. 501860

For Jain Chopra & Company

Chartered Accountants

FRN 002198N

Place : New Delhi

Dated : August 8, 2013

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT

[Referred to in Paragraph 3 of our report of even date]

1.
 - a) The Company has generally maintained proper records to show the full particulars including quantitative details of fixed assets. *However details of exact locations are not available in all cases.*
 - b) As explained to us, the fixed assets have been physically verified by the Management during the year. We are informed that no material discrepancies were noticed on such verification. The discrepancies noticed have been properly dealt with in the books of account.
 - c) The company has not disposed off substantial part of its fixed assets during the year.
2. As informed to us, no loan has been granted or taken, secured or unsecured, to/from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
3. As per information and explanations given to us, the internal control procedures are generally adequate and commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventories and fixed assets except for making investments in deposit and payment of advance for purchase of immovable property without obtaining approval of competent authority, reconciliation of balances with Ministry of Railways in respect of SLAO accounts. However we have been informed that steps are being taken for reconciliation of balances with Ministry of Railways in respect of SLAO accounts and to obtain necessary approval. During the course of our audit, we have not noticed any continuing failure to correct major weaknesses in internal controls.
4.
 - a) According to the information and explanation given to us, there are no contracts or arrangements referred to in section 301 of the Companies Act, 1956 that need to be entered into the register maintained under the said section.
 - b) According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any transaction in pursuance of contracts or arrangements required to be entered in the registers maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
5. During the year, the Company has not accepted any deposit from the public.
6. The company has internal audit system performed by external firm of Chartered Accountants. However keeping in view the size of the Company and nature of its business the scope of such internal audit needs improvement.

7. The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employee's state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, custom duty, excise duty and cess except that the company had delayed the payment of income tax on perquisites provided to employees under the Income Tax Act, 1961 including service tax and non deduction of income tax at source in certain cases. According to the information and explanations given to us, there are no undisputed amounts payable in respect of income-tax, wealth tax, sales tax, customs duty, excise duty and cess.

8. In respect of disputed demands the status is as under:

Assessment Year	Nature	Amount (₹)	Forum
2009-10	Income Tax	11,89,823/-	Before ITAT

9. The Company does not have accumulated losses at the end of the financial year and has not incurred cash losses during the year and in the immediately preceding year, the company being in development stage.

10. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has no dues towards any financial institution or bank.

11. Based on our examination and according to the information and explanation given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities except grant of mobilization advances against hypothecation of plant and machinery acquired by the contractors.

12. The Company is not a chit fund, nidhi, mutual benefit fund or a society.

13. The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments.

14. On the basis of the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantees.

15. On the basis of the information and explanations given to us, the Company has obtained term loan from Ministry of Railways and the same have been used for the purpose for which it has been raised.

16. In our opinion and on the basis of the information and explanations given to us, the Company has raised long term funds which have been used for long term purposes.
17. During the year, the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act.
18. The Company has not issued any debentures during the year.
19. The Company has not raised any money by public issues during the year.
20. We are informed that there has been no fraud committed by or on the company during the year.

Sd/-

Rajesh Kumar

Partner

Membership No. 501860

For Jain Chopra & Company

Chartered Accountants

FRN 002198N

Place : New Delhi

Dated : August 08, 2013

Jain Chopra & Company

Chartered Accountants

105, Jyoti Bhawan, Commercial Complex,

Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -110009

Phone: 27652776, 27652091 Fax: 011-27650155

E-mail: jc_company@sify.com

REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members,

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED**, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

This report revised consequent upon observations of Comptroller of Auditor General of India during the course of audit u/s 619(4) of the Companies Act, 1956 for the year ended on March 31, 2013 which have required to include matters of Inventories & Cost Audit though not applicable to the company, in the Annexure to our report. This report therefore supersedes our earlier report dated August 08, 2013.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk

assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

The company has not recovered taxes pertaining to earlier years paid by the company on remuneration by way of perquisites paid to its employees. The management has however expressed that efforts are being made in this regard to make the recoveries.

Attention is drawn as under to:

- a) Note No. 13.1 regarding recognition of an income of ₹32.11 Lacs (cumulative figure up to 31st March 2013 of ₹134.42 Lacs) being interest on security deposit given as per lease agreement with Delhi Metro Railways Corporation Limited (DMRC) by way of a fixed deposit. The terms of lease however provides that an interest free deposit will be provided as security deposit. In absence of a written confirmation from DMRC we are unable to comment on the recognition of the said income. Likewise no income has been recognized in respect of such deposits obtained from the sub tenants.
- b) Note No. 14.1(a) regarding claim of a sum of ₹38.54 crores from Ministry of Railways (MOR) towards expenses incurred by the company till 31st March 2013 and shown recoverable from MOR, is subject to the approval, reconciliation and confirmation by MOR.
- c) Note No. 14.2 regarding non provision of Income Tax on Interest on mobilization advances and liquidated damages recovered from contractors;
- d) Note No. 28 regarding non provision of claim of ₹573.41 lacs from one of the contractor in respect of GVAT.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements subject to the consequential effect of, on account of our observations as above, the amount whereof could not be determined, give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,:

- i). In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;
- ii). In the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit/ loss for the year ended on that date; and
- iii). In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) order, 2003 and read together with the Companies (Auditor's Report) Amendment Order, 2004, issued by the Central Government of India in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order:

2. As required by section 227(3) of the Act,
We report that:
 - a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d) in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in subsection (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956;
 - e) The requirement of clause (g) of sub-section (1) of Section 274 of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of directors are not applicable to the Company, being a wholly owned subsidiary company of a Government Company, in terms of Notification No. G.S.R.829 (E), dated 21.10.2003 issued by Ministry of Finance, Department of Company Affairs; and
 - f) Since the Central Government has not issued any notification as to the rate at which the cess is to be paid under section 441A of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which such cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company

Sd/-

Rajesh Kumar

Partner

Membership No. 501860

For Jain Chopra & Company

Chartered Accountants

FRN 002198N

Place : New Delhi

Dated : September 17, 2013

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT

[Referred to in Paragraph 3 of our report of even date]

1.
 - a) The Company has generally maintained proper records to show the full particulars including quantitative details of fixed assets. However details of exact locations are not available in all cases.
 - b) As explained to us, the fixed assets have been physically verified by the Management during the year. We are informed that no material discrepancies were noticed on such verification. The discrepancies noticed have been properly dealt with in the books of account.
 - c) The company has not disposed off substantial part of its fixed assets during the year.
2. Clause No 4(ii)(a),(b),(c), does not apply to the company as the company did not hold any Inventories.
3. As informed to us, no loan has been granted or taken, secured or unsecured, to/from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
4. As per information and explanations given to us, the internal control procedures are generally adequate and commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventories and fixed assets except for making investments in deposit and payment of advance for purchase of immovable property without obtaining approval of competent authority, reconciliation of balances with Ministry of Railways in respect of SLAO accounts. However we have been informed that steps are being taken for reconciliation of balances with Ministry of Railways in respect of SLAO accounts and to obtain necessary approval. During the course of our audit, we have not noticed any continuing failure to correct major weaknesses in internal controls.
5.
 - a) According to the information and explanation given to us, there are no contracts or arrangements referred to in section 301 of the Companies Act, 1956 that need to be entered into the register maintained under the said section.
 - b) According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any transaction in pursuance of contracts or arrangements required to be entered in the registers maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.

6. During the year, the Company has not accepted any deposit from the public.
7. The company has internal audit system performed by external firm of Chartered Accountants. However keeping in view the size of the Company and nature of its business the scope of such internal audit needs improvement.
8. The provision of section 209(1)(d) of the companies Act, 1956 requiring maintenance of cost records are not applicable to the Company.
9. The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employee's state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, custom duty, excise duty and cess except that the company had delayed the payment of income tax on perquisites provided to employees under the Income Tax Act, 1961 including service tax and non deduction of income tax at source in certain cases. According to the information and explanations given to us, there are no undisputed amounts payable in respect of income-tax, wealth tax, sales tax, customs duty, excise duty and cess.

10. In respect of disputed demands the status is as under:

Assessment Year	Nature	Amount (₹)	Forum
2009-10	Income Tax	11,89,823/	Before ITAT

11. The Company does not have accumulated losses at the end of the financial year and has not incurred cash losses during the year and in the immediately preceding year, the company being in development stage.
12. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has no dues towards any financial institution or bank.
13. Based on our examination and according to the information and explanation given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities except grant of mobilization advances against hypothecation of plant and machinery acquired by the contractors.

14. The Company is not a chit fund, nidhi, mutual benefit fund or a society.
15. The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments.
16. On the basis of the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantees.
17. On the basis of the information and explanations given to us, the Company has obtained term loan from Ministry of Railways and the same have been used for the purpose for which it has been raised.
18. In our opinion and on the basis of the information and explanations given to us, the Company has raised long term funds which have been used for long term purposes.
19. During the year, the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act.
20. The Company has not issued any debentures during the year.
21. The Company has not raised any money by public issues during the year.
22. We are informed that there has been no fraud committed by or on the company during the year.

Place : New Delhi
Dated : September 17, 2013

Rajesh Kumar
Partner
Membership No. 501860
For Jain Chopra & Company
Chartered Accountants
FRN 002198N

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2013.

The preparation of financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the companies Act 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statement under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 17th September 2013.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the companies Act, 1956 of the financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2013. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the Comptroller
and Auditor General of India

Sd/-

(Dinesh Bhargav)

Pr. Director Audit (Railway Commercial)

Place: New Delhi
Dated: 19.09.2013

वार्षिक रिपोर्ट

2012-2013

सामान्य सूचना

पंजीकृत कार्यालय / कॉर्पोरेट आफिस

पंजीकृत कार्यालय
कमरा नं. 101-ए, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली – 110001

कॉर्पोरेट आफिस
5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110001

सांविधिक लेखा परीक्षक
मै. जैन चोपड़ा एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
105, ज्योति भवन,
कामर्शियल कांप्लेक्स, मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

आंतरिक लेखा परीक्षक
ए. आर. एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
पता : सी – 1, द्वितीय तल,
आर डी सी, न्यू राजनगर,
गाजियाबाद – 201002

बैंकर्स
यूनियन बैंक आफ इंडिया
स्टेट बैंक आफ इंडिया
एच डी एफ सी बैंक
आई सी आई सी आई बैंक

निदेशकों की सूची (27-9-2013 के अनुसार)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री अरुनेन्द्र कुमार	अंशकालिक अध्यक्ष (सरकारी)	05.07.2013
2.	श्री आर.के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक	10.05.2011
3.	श्री ए. के. दत्ता	निदेशक (अवसंरचना)	01.04.2010
4.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक (परियोजना नियोजन)	05.04.2011
5.	श्री एच. डी. गुजराती	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	29.11.2012
6.	श्री एम. के. मित्तल	निदेशक (वित्त)	16.09.2013
7.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	14.11.2012
8.	श्री गजेंद्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	02.05.2008
9.	श्री भास्कर गुप्ता	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	23.11.2010
10.	श्री आर. एस. शर्मा	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	25.04.2012

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष का संदेश	5-7
2.	सूचना एवं परोक्षी प्रपत्र	8-10
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	11-31
4.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (अनुबंध-क)	32-45
5.	प्रमाण पत्र (अनुबंध-ख)	46
6.	प्रबंध निदेशक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट (अनुबंध-ग)	47-58
7.	प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा (अनुबंध-घ)	59
8.	तुलन पत्र	60-85
9.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	86-90
10.	लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट	91-95
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	96

अध्यक्ष का संदेश

डीएफसीसीआईएल कंपनी की सातवीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित कंपनी के खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो पहले से ही आपको भेजी जा चुकी है।

मैं डीएफसीसीआईएल परियोजना के कार्यान्वयन के साथ जुड़े होने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे विश्वास है यह प्रतिष्ठित परियोजना हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक परिवहन क्षमता निर्माण के लिए वरदान साबित होगी।

डीएफसी परियोजना को नवीनतम प्रौद्योगिकी और संचालन क्षमता के साथ रेल परिवहन क्षमता में एक लंबी छलांग में लेगा, यह परियोजना रसद लागत और इस तरह दोनों में सीधे और परोक्ष रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देकर लागत को कम करने में सहायता प्रदान करेगी। यहां तक कि निर्माण फेज के दौरान, इस परियोजना के सफल और समय पर निष्पादन की उम्मीद है इससे निर्माण क्षेत्र और उद्योग और अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हमारे कंधों पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण, डीएफसीसीआईएल में भारत में परिवहन के क्षेत्र में एक बदलाव को लाने की क्षमता होगी कि विश्वस्तरीय अवसंरचना के लिए यह एक महान अवसर है।

किसी अन्य बड़ी अवसंरचना परियोजना की तरह, डीएफसीसीआईएल को निष्पादन की बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना में भूमि अधिग्रहण एक चुनौती है, जो कि संगठन द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वर्ष के दौरान आरएए 2008 के सेक्शन 20 एफ के तहत 1915 हेक्टेयर के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। कुल 8657 हेक्टेयर भूमि के लिए कुल अधिनिर्णय (5860 हेक्टेयर में से पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर में 5022 और पूर्वी फ्रेट कोरीडोर में 4807 में से 3635) रु. 4863 करोड़ की राशि का (पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर 2697 करोड़, पूर्वी फ्रेट कोरीडोर में 2166 करोड़) जारी कर दिए गए हैं। पूर्ण डीएफसी के लिए आरएए 2008 के सेक्शन 20 ई और 20 ए के तहत सोननगर-दानकुनी सेक्शन को छोड़कर, यहां पर 1002 हेक्टेयर में से 367 के लिए 20 ए में भूमि अधिग्रहण विलंब से प्रारंभ हुआ, की अधिसूचना पूर्ण हो गई है। इसी तरह आरएए-2008 के सेक्शन 20 एके तहत संपूर्ण डब्ल्यूडीएफसी के लिए अधिसूचना पूर्ण हो गई है।

मैंने महसूस किया है कि डीएफसीसीआईएल सफलतापूर्वक पश्चिम बंगाल से बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र (कुल 9 राज्य) तक विस्तार देने के लिए 8657 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सफलता की ऊंचाईयों को प्राप्त कर रहा है।

कंपनी ने भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय पुनर्वास और रिसेटलमेंट नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनाई है। पुनर्वास और रिसेटलमेंट संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए समीक्षाधीन वर्ष में एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। भूमि अधिग्रहण को सुचारु और समय में सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है।

कंपनी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रगति की है।

- मार्च 2013 वर्ष के अंत तक पूर्वी डीएफसी के मुगलसराय-सोननगर के बीच पुलों और ब्लास्ट आपूर्ति और डिजायन और निर्माण कार्य प्रगति पर है और अच्छा हो रहा है। संचयी लक्ष्य 90% के विरुद्ध 93% प्राप्त किया गया। 66 किमी की लंबाई में सभी अवरोधों को हटा दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

- पिछले वर्ष के दौरान पश्चिम डीएफसी के वेतरना और उत्तरन के मध्य डिजायन और निर्माण कंक्रीट पुलों का कार्य आगे प्रगति पर है। 21 पुलों का निर्माण पूरा हो गया है और 18 पुलों का निर्माण कार्य उन्नत चरण में है। वर्ष के दौरान ठेका और डिजायन संबंधी विभिन्न मुद्दों को सुलझा लिया गया है।
- पूर्वी डीएफसी में दुर्गावती-सोननगर के 66 किमी सेक्शन के लिए ट्रैक ठेकेदार ने अपने संसाधन जुटाए। यंत्रिकृत ट्रैक बिछाने के लिए यह काम भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला होगा।
- दिनांक 24.01.2013 को कंपनी ने (सिविल, स्ट्रक्चर और ट्रैक कन्ट्रैक्ट भाऊपुर-खुर्जा लॉट 101, 102 और 103 के लिए) रु. 3267.54 करोड़ के तीन बड़े कार्यों की संविदाओं पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी डीएफसी के (एपीएल-2 एवं3) रु. 18.18 करोड़ की भाऊपुर-मुगलसराय सेक्शन और खुर्जा-दादरी और खुर्जा-लुधियाना सेक्शन के लिए एक सामान्य परामर्श संविदा के लिए हस्ताक्षर किए गए।
- रेवाड़ी से इकबालगढ़ (सीटीपी 1 एवं 2 का सम्मिलित पेकेज) पश्चिम डीएफसी फेज-1 में सिविल बिल्डिंग ट्रैक कार्यों के लिए संविदा पर दिनांक 06.08.2013 को हस्ताक्षर किए गए और 19.08.2013 को कार्यान्वित किया गया।
- कंपनी ने फेज-1 के निर्माण के लिए जायका के साथ नब्बे बिलियन दो सौ बासठ मिलियन जापानी येन में लोन एग्रीमेंट आईडी-पी 209 पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- पश्चिम डीएफसी फेज-2 (मुख्य लोन) के लिए टोकियो, जापान में भारतीय उच्चायुक्त सुश्री वाधवा और श्री तानाका, अध्यक्ष, जायका द्वारा दिनांक 28.03.2013 को लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसी तरह एमओडी के लिए रेल मंत्रालय, डीएफसीसीआईएल और जायका के बीच 295 बिलियन येन के लिए दिनांक 09.11.2012 को हस्ताक्षर किए गए।
- आईसीआरए, मोदी की एक इकाई ने एलएएए-एसओ (जिसे एल टाइप स्ट्रक्चर ओब्लीगेशन के रूप में जाना जाता है) ने चालू वित्त वर्ष के लिए डीएफसीसीआईएल के लिए संरचना दायित्व रेटिंग के रूप में पुष्टि की है।
- मानव संसाधन किसी भी संगठन के लिए इमारत की भांति होता है। वर्ष के दौरान (2012-13) में ओपन मार्केट से 200 कर्मचारियों की भर्ती की गई और इन सीधी भर्ती के कर्मचारियों की ज्वाइनिंग एवं प्रशिक्षण प्रगति पर है। तत्काल समायोजन के लिए, 140 पदों के लिए सेवारत सरकारी/पीएसयू कर्मचारियों के प्रवर्तन के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया और चयननित किये गए कर्मचारियों की डीएफसीसीआईएल में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। वित्त में 17 अधिकारियों को तत्काल समायोजन के आधार पर प्रवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
- आईएसबी पर अधिकारियों के नेतृत्व कौशल और सामरिक प्रबंधन क्षमता के निर्माण एवं उसे बढ़ाने, एफआईडीआईसी स्थितियों में प्रशिक्षण, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्यक्रम में प्रशिक्षण निर्माण कानून ठेके और विवाद प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की डीएफसीसीआईएल की फन्डिंग एजेन्सियों द्वारा विशेष रूप से विश्व बैंक ने अपनी बैठकों के दौरान प्रशंसा की और विभिन्न मानव संसाधन नीतियों और आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण और विकास में डीएफसीसीआईएल द्वारा किए गए प्रयासों को रिकॉर्ड पर रखा है।
- डीएफसीसीआईएल ने अपनी कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान पीएपी के बीच रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न वोकेशनल/तकनीकी प्रशिक्षणों को प्रदान करने के लिए 4 फील्ड यूनिटों का चयन किया। महिलाओं को समान अवसर देने के लिए लिंग समानता पर उचित ध्यान दिया गया। महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। डीएफसीसीआईएल ने युवा महिलाओं को समूहवार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विविध पाठ्यक्रमों को बनाकर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष सुविधाओं का शुभारंभ किया। वर्ष के दौरान 891 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- कंपनी के पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी में दोनों परियोजना के लिए लगभग सभी वन्य जीवन और अन्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम हो गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी अंतिम मंजूरी लंबित थी, को इस माह में प्राप्त कर लिया गया है। सभी पुनर्वास (आरआरपी) योजना के सामाजिक प्रभाव आकलनों (एसआईए) और पश्चिमी फ्रेट कोरीडोर के लिए जायका द्वारा भूमि अधिग्रहण से सामाजिक प्रबंधन से संबंधित अन्य गतिविधियों को गैर शीर्षक धारकों (एनटीएच) की पहचान को छोड़कर पूरा हो चुका है। दादरी-खुर्जा सेक्शन की एसआईए और इए रिपोर्टों को तैयार कर दिया गया है। गंभीर सामाजिक मुद्दे जो कि गांधीनगर में 10 गांवों और फरीदाबाद जिले में 04 गांवों के थे, को सावधानीपूर्वक बातचीत और लोगों के अनुकूल दृष्टिकोण से सुलझा लिया गया है।
- एक पारदर्शी तरीके से गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा में एक कदम आगे के रूप में, कार्यालय पुस्तिकाओं और प्रक्रियाओं की संख्या यानि वित्त नियमावली, सतर्कता नियमावली, वित्त लेखा रिपोर्टिंग नियमावली और कार्य नियमावली को विकसित किया गया। "परिवर्तन प्रबंधन कार्यशाला" और "विचार मंथन सत्र" के द्वारा, सहभागी प्रबंधन और परियोजना से जुड़े सभी मामलों में स्वामित्व की भावना पैदा करने की दिशा में प्रयास किये गए हैं।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कार्पोरेट संचालन के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए मई, 2010 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में "कार्पोरेट संचालन रिपोर्ट" तथा "प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" सम्मिलित की गई है। निगम व्यवसायिक सिद्धांतों एवं मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आभार

कंपनी को सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए मैं रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेलों और भारत सरकार के अधीन अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और उसके विभागों को धन्यवाद देता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं कंपनी के हितधारकों को उनके कंपनी को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भविष्य में भी उनसे इस प्रकार के सहयोग की आशा करता हूं। मैं डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों और रेलवे बोर्ड के अवसंरचना निदेशालय के सहयोगियों का भी उनके बहुमूल्य सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं।

मैं अपने बैंकों, व्यापारिक संबंधियों को, डीएफसीसीआईएल को दिए गए उनके सहयोग और सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं कंपनी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समर्पित, संगठित और सच्चे प्रयासों के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के समर्पित प्रयासों से कंपनी के उद्देश्यों को, ईमानदारी, गति एवं सफलता के साथ प्राप्त करना संभव हो पाएगा।

दिनांक: 27.09.2013

स्थान: नई दिल्ली

ह/-
अरुनेन्द्र कुमार
अध्यक्ष

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 7वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितंबर, 2013 को दोपहर 12.30 बजे कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड़, नई दिल्ली-110001 में आयोजित होगी:

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ 31 मार्च, 2013 के अनुसार लेखा परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षित संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते के विवरण को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और स्वीकार करना।
2. वर्ष 2013-14 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा निम्नलिखित संकल्प का पालन करते हुए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर विचार करना।

संकल्प किया जाता है कि सदस्यों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स बवेजा और कौल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी के संविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति का जायजा लिया।

आगे संकल्प लिया जाता है कि सदस्य 27.08.2013 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2013-14 के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक पर जायजा लेंगे।

आगे संकल्प लिया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए अधिकृत होगा। इसके साथ-साथ वह भविष्य में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति / पुनः नियुक्ति के रूप में लेखा परीक्षा से संबंधित जेब से किए गए खर्चों के लिए अधिकृत होगा।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2013

बोर्ड के आदेश से
ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

टिप्पणी

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार कोई सदस्य अपने एवज में भाग लेने और मत देने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने के लिए हकदार है और परोक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी नियुक्त करने का प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरम्भ होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए।
2. परोक्षी प्रपत्र इसके साथ संलग्न

परोक्षी प्रपत्र

मैं निवासी.....
..... डेजीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का सदस्य होने के नाते
एतद् द्वारा श्री को या उनके उपस्थित न होने पर श्री
को शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2013 को दोपहर 12.30 बजे कमेटी रूम, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड़, नई दिल्ली-110001
में होने वाली कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक में और या उसके किसी स्थान पर मेरी ओर से भाग लेने और मेरा मत देने के
लिए परोक्ष प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त करता हूं।

दिनांक: 2013 को हस्ताक्षरित हस्ताक्षर

खाता पन्ना: शेयर धारण संख्या:

नाम:

पता:

एक रुपए
की राजस्व
टिकट

नोट:

कारगर सिद्ध होने के लिए परोक्षी प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले प्राप्त होनी चाहिए।
परोक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

निदेशकों की रिपोर्ट

देवियों/सज्जनों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा सहित कंपनी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वार्षिक लेखा 2012-13 का सार

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी नियमों, 2006 (लेखाकरण मानक नियमों) और कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान कार्पोरेशन ने निम्नलिखित खर्च किए हैं:-

(क) परियोजना निष्पादन पर व्यय

31 मार्च, 2013 तक परियोजना निष्पादन पर 2334.43 करोड़ रूपए का संचयी व्यय किया गया। जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों पर रु. 24.35 करोड़, पूंजीगत प्रगति कार्य पर रु. 984.39 करोड़, विकास के अंतर्गत परिसंपत्ति पर रु. 2.68 करोड़, हस्तगत पूंजी में रु. 15.73 करोड़ और पूंजी अग्रिम पर रु. 1307.28 करोड़ सम्मिलित है। वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना निष्पादन पर 1428.71 करोड़ रूपए का सकल व्यय किया गया जिसमें 2.94 करोड़ रु. की मूर्त परिसंपत्तियों पर, अमूर्त परिसंपत्तियों पर रु. 0.25 करोड़, हस्तगत पूंजी भंडार पर रु.15.73 करोड़, विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर रु. 2.69 करोड़, पूंजी अग्रिमों में रु. 1079.85 करोड़ को पूंजीगत कार्य प्रगति में रु. 327.25 करोड़ सम्मिलित है। वर्ष के दौरान विकास लेखे के शेष रु. 48.36 करोड़ को पूंजीगत प्रगति कार्य में स्थानान्तरित किया गया।

(ख) स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश

31 मार्च, 2013 तक स्थायी परिसंपत्तियों में 27.04 करोड़ रूपए निवेश किए गए जिसमें 4.19 करोड़ रूपए की ई डी पी परिसंपत्तियां, 1.21 करोड़ रूपए के कंप्यूटर साफ्टवेयर, 1.62 करोड़ रूपए के कंप्यूटर साफ्टवेयर विकास के आधीन, 2.79 करोड़ रूपए का फर्नीचर एवं फिक्सचर, 5.42 करोड़ रूपए का कार्यालय उपस्कर तथा 10.74 करोड़ रूपए लीज होल्ड परिसर सुधार हेतु तथा 1.07 करोड़ रु. विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं।

2. धन की व्यवस्था

क. पूंजीगत ढांचा

31, मार्च, 2013 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4000,00,00,000 (चार हजार करोड़ रूपए) थी जो कि 4,00,00,000 (चार करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/-रु. है।

दिनांक 31.03.2013 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी 19,65,05,00,000 (उन्नीस सौ पैंसठ करोड़ पांच लाख रूपए) थी जो कि 196,50,500 (एक करोड़ छियानवे लाख पचास हजार पांच सौ केवल) इक्विटी शेयरों में विभाजित थी और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/- रु. थी और शेयर आवेदन पूंजी 742.69 करोड़ रु. थी। रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी में योगदान के कारण कंपनी की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि हुई है।

ख. धन की व्यवस्था

(i) चरण। (वड़ोदरा-रेवाड़ी) 920 कि.मी. और चरण-।। (वड़ोदरा-जेएनपीटी और रेवाड़ी-दादरी) 564 कि.मी. (जायका) (JICA) – परामर्श

इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टेंसी (चरण-।) के लिए दो बिलियन छह सौ छह मिलियन जापानी येन का ऋण करार आई डी – पी 205 के तहत हुआ। और चरण-।। के लिए एक बिलियन छह सौ सोलह मिलियन जापानी येन के ऋण करार आई डी-पी 212 के तहत हुआ। हमने 31.03.2013 तक इस ऋण में से रु. 81.02 की राशि का उपयोग किया है।

(ii) चरण। (वड़ोदरा-रेवाड़ी) 920 कि.मी. (जायका) (JICA) – निर्माण

चरण-। में निर्माण के लिए नब्बे बिलियन दो सौ बासठ मिलियन जापानी येन का ऋण करार आई डी –पी 209 पर जायका के साथ हस्ताक्षर हो गये हैं। इस ऋण में से अभी खर्च किया जाना है।

(iii) डब्ल्यू डी एफ सी चरण-।। (मुख्य लाइन) के लिए ऋण करार मार्च, 2013 को जे आई सी ए को भेजा गया था, धन की यह व्यवस्था पूरी डब्ल्यू डी एफ सी के लिए की गई है।

(iv) ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-कानपुर-खुर्जा-लुधियाना सेक्शन (1131 कि.मी.) और खुर्जा दादरी सेक्शन के लिए धन की व्यवस्था

- विश्व बैंक ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-लुधियाना और खुर्जा-दादरी सेक्शन की फंडिंग के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है। परियोजना के लिए कुल 2.72 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर सहमति हुई थी जिसमें से ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा-भाऊपुर (343 कि.मी.) सेक्शन के चरण-। परियोजना के लिए लोन नं. 8066 आई एन द्वारा 975 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त किया गया है। पहले दी गई 12,46,93,969/-रु. की फीस वसूल की गई है और वित्तीय वर्ष 2012-13 में बुक की गई है।
- भाऊपुर-मुगलसराय (एपीएल-2) परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ बात चल रही है और 1200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए पहले ही सहमत हो गया है। बातचीत के सितम्बर 2013 में पूरी होने की संभावना है
- ए पी एल-3 विश्व बैंक की सहमति के बाद शुरू किया जाएगा।

3. परियोजना की प्रगति

क. भूमि अधिग्रहण और सामाजिक सुरक्षा उपाय

डीएफसी लाइन देश में 9 राज्यों से होकर निकलेगा। पूर्वी कोरीडोर पर, डीएफसी संरक्षण पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उ. प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों से गुजरेगा। पश्चिमी कोरीडोर उ. प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में से गुजरता हुआ उ. प्रदेश में दादरी से मुंबई-जवाहर लाल नेहरू पोर्ट तक दूरी तय करेगा।

डीएफसी को दोनों कोरीडोर के लिए 3338 कि.मी. क्षेत्र में फैली 10667 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर यह 1301 कि.मी. में लगभग 3805 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है (सोन नगर से दानकुनी को छोड़कर जो 538 कि.मी. क्षेत्र में फैली 1002 हैक्टेयर भूमि) तथा वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर यह 1499 कि.मी. में 5860 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है। विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किए जाने के कारण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (आर ए ए 2008) द्वारा शासित है।

सोननगर-दानकुनी सेक्शन को छोड़कर लगभग 90% भूमि अधिग्रहण की प्रगति और उपर्युक्त 81% की प्रगति हो चुकी है। वर्ष के दौरान 1915 हैक्टेयर के लिए आर ए ए 2008 की उप धारा 20 एफ के अंतर्गत अधिनिर्णय घोषित किया गया है। 4863 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति राशि के साथ 8657 हैक्टेयर भूमि (डब्ल्यू डी एफ सी: 5860 हैक्टेयर में से 5022 हैक्टेयर और ई डी एफ सी: 4807 हैक्टेयर में से 3635 हैक्टेयर) के लिए अधिनिर्णय दिया गया। (डब्ल्यू डी एफ सी: 2697 करोड़, ई डी एफ सी: 2166 करोड़) जारी किए गए।

सोननगर-दानकुनी सेक्शन को छोड़कर पूरी ई डी एफ सी के लिए आर ए ए 2008 की धारा 20ए और 20ई के अंतर्गत अधिसूचनाएं पूरी कर ली गई हैं। सोन नगर भूमि अधिग्रहण जो देरी से शुरू हुआ किंतु 1002 हैक्टेयर में 367 हैक्टेयर के लिए 20ए जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार आर ए ए 2008 की धारा 20ए के अंतर्गत पूरी डब्ल्यूडीएफसी के लिए अधिसूचनाएं पूरी कर ली गई हैं।

रेल (संशोधन) अधिनियम की धारा 20-ओ के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति 2007 अपनाई जानी है। रेल मंत्रालय ने इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स जारी किया है जिसमें एन आर आर पी 2007 के समकक्ष पैरा पर आधारित परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न एनटाइटलमेंट्स श्रेणी के अनुसार कवर होती है। डीएफसीसीआईएल द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति पैकेज देश में सबसे अच्छा है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित ज.जा./दुर्बल वर्ग जैसे कमजोर वर्गों की विशेष देखभाल के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है।

सभी व्यवहारिक विकल्पों को अपनाकर भूमि अधिग्रहण और अनिच्छुक पुनर्वास प्रभावों को कम करने तथा पर्याप्त पुनर्वास पैकेज को सुनिश्चित करने के लिए और प्रभावित परिवारों के सक्रिय योगदान से पुनर्वास प्रक्रियाओं के तेज कार्यान्वयन के लिए विशेष सावधानी बरती जाती है। डीएफसी ने परियोजना के कार्यान्वयन के कारण प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए उपयुक्त पुनर्वास और पुनः स्थापना उपाय अपनाने के लिए पुनर्वास नीति का निर्माण किया। विश्व बैंक और जायका की सुरक्षा नीति को पूरा करने के लिए ईडीएफसी और डब्ल्यू डीएफसी के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन संचालित किए गए हैं। दादरी-खुर्जा सेक्शन की पुनर्वास सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और ई ए रिपोर्ट तैयार की गई। मुगलसराय-भाऊपुर (एपीएल-2) के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और ई ए रिपोर्ट अद्यतन की गई, मूल्यांकन (ईएसआईए) किया गया और वमाज-इकबालगढ़ सेक्शन, रेवाड़ी लोको अनुरक्षण डिपो को अंतिम रूप दिया गया। चरण-। के लिए डब्ल्यू डीएफसी का आर आर पी अद्यतन किया गया और चरण-।। को अंतिम रूप दिया गया।

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की आवश्यकताओं और चिंताओं को पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रक्रिया में उनकी सहभागिता और उन्हें आवश्यक समर्थन देकर दूर किया जा सकता है। डीएफसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए शिकायत निवारण तंत्र के लिए बनाई गई पुनर्वास नीति के ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध उचित मुआवजा के रूप में पुनः स्थापना या पुनर्वास के लाभ से वंचित होने पर प्रभावित व्यक्तियों और समूहों की वैध चिंताओं/समस्याओं के समाधान करने के लिए वर्ष के दौरान एक लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। शिकायत निवारण समिति खुर्जा-भाऊपुर सेक्शन के लिए परियोजना और जिला स्तर पर गठित की गई है। परियोजना स्तर पर गठित समिति डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

महाप्रबंधक के नेतृत्व वाली सामाजिक एवं पर्यावरण प्रबंधन इकाई (सेमू) परियोजना स्तर पर निष्पादन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है और मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय फील्ड स्तर पर निष्पादन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

ख. मुख्य ठेके

1. जारी ठेकों की प्रगति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निम्नलिखित प्रमुख ठेके प्रगति पर हैं:

वेस्टर्न कोरीडोर

क. निर्माण कार्य के ठेके: आई आर द्वारा फंड

भारत के महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के वसई-भरुच सेक्शन पर वैतरना एवं उतरन के बीच (लगभग 200 कि.मी.) वेस्टर्न फ्रेट कोरीडोर के महत्वपूर्ण तथा प्रमुख पुलों (54) के डिजाइन एवं निर्माण का ठेका एकमुश्त आधार पर दिया गया है (ठेका करार सं. एच.क्यू./ई.एन./डब्ल्यू.सी./ब्रिज/डी एंड बी/1/सोमा दिनांक 17.03.2009)। 31.03.2013 के अनुसार वास्तविक प्रगति 56% हो चुकी है।

ख. परामर्श कार्य के ठेके: आई आर द्वारा फंड

महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के वसई-भरुच सेक्शन पर वैतरना एवं उतरन के बीच (लगभग 200 कि.मी.) वेस्टर्न फ्रेट कोरीडोर के महत्वपूर्ण तथा प्रमुख 54 पुलों के डिजाइन एवं निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए संविदा करार (संविदा करार सं. एच.क्यू./ई.एन./डब्ल्यू.सी./ब्रिज/पी.एम.सी./1/स्पैन दिनांक 12.06.2009) 12.06.2009 को किया गया। ठेके की अवधि दिसम्बर 2014 तक बढ़ा दी गई है और कार्य चल रहा है।

ग. परामर्श कार्य के ठेके: जायका द्वारा फंड (चरण- I)

रेवाड़ी से वड़ोदरा (परियोजना का चरण- I) पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवा का ठेका दिनांक 13.06.2010 से शुरू हो गया है।

1. मिश्रित सिविल कांट्रैक्ट पैकेज-सी टी पी-1 एवं 2 के मामले में, ई एस परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है।
2. विशेष पुल पैकेज-3ए के मामले में पूर्व योग्यता मूल्यांकन पूरा हो चुका है।
3. सिविल कांट्रैक्ट पैकेज-सी टी पी-3 के मामले में, पूर्व योग्यता मूल्यांकन पूरा हो चुका है।

घ. परामर्श कार्य के ठेके: जायका द्वारा फंड (चरण- II)

सिविल कांट्रैक्ट पैकेज-सी टी पी-12 एवं 13, विशेष पुल पैकेज-15ए, 15बी और 15सी के मामले में, पूर्व योग्यता दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया



ड कार्य निविदाएं: जायका द्वारा फंड
पश्चिमी डीएफसी चरण- | रेवाड़ी-वड़ोदरा

1. मिश्रित पैकेज सी टी पी 1 और 2 (रेवाड़ी-इकबालगढ़, पश्चिमी डीएफसी-चरण- |)

- पूर्व योग्यता प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के आधार पर बोली दस्तावेज 30.06.2012 को पूर्व योग्य बोलीदाताओं को जारी कर दिए गए।
- बोलियां 19.02.2013 को जमा कराई गई थी। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन 20.02.2013 को शुरू हुआ। तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट जायका को 31.03.2013 को भेजी गई।

2. विशेष पुल पैकेज-3ए (माही और साबरमती नदी के उपर लोहे का पुल)
 - पूर्व योग्यता प्रक्रिया पूर्व योग्यता के परिणाम 04.10.2012 को घोषित करने के साथ सफलतापूर्वक पूरी की गई। बोली दस्तावेज 07.11.2012 को पूर्व योग्य बोलीदाताओं को जारी कर दिए गए। बोलियां 05.02.2013 को जमा कराई गई थीं।
3. कांट्रैक्ट पैकेज-सीटीपी-3 (इकबालगढ़-वडोदरा)
 - पूर्व योग्यता प्रक्रिया पूर्व योग्यता के परिणाम 09.11.2012 को घोषित करने के साथ सफलतापूर्वक पूरी की गई। बोली दस्तावेज 19.11.2012 को पूर्व योग्य बोलीदाताओं को जारी कर दिए गए।
 - अभिरूचि की अभिव्यक्ति (परियोजना प्रबंधन परामर्श-पश्चिमी डीएफसी चरण- I) आमंत्रित की गई थीं और आवेदकों की छंटाई 12.12.2012 को पूरी कर ली गई थी।

पश्चिमी डीएफसी चरण- II (जेएनपीटी-वडोदरा और रेवाड़ी-दादरी)


1. कांट्रैक्ट पैकेज-सीटीपी-12 एवं 13 (वैतरना-सचिन और सचिन-वडोदरा)
 - पूर्व योग्यता दस्तावेज 12.11.2012 को जारी किए गए। पूर्व योग्यता आवेदन 06.03.2013 को जमा कराए गए थे।
2. विशेष पुल पैकेज-15ए, 15बी और 15सी
 - पूर्व योग्यता दस्तावेज 23.11.2013 को जारी किए गए। पूर्व योग्यता आवेदन 26.02.2013 को जमा कराए गए थे।

पूर्वी कोरीडोर

(क) निर्माण कार्य के ठेके (सिविल, स्ट्रक्चर्स और ट्रैक):

1. बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में ईस्टर्न कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर चेनेज कि.मी.14.108 (न्यू खरवंदिया के नजदीक) से चेनेज कि.मी. 119.437 (न्यू गंज ख्वाजा के नजदीक) (लगभग 105 कि.मी.) तक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए ब्लैकेटिंग, बड़े पुलों, छोटे पुलों, आर यू बी, आर ओ बी सप्लाई तथा गिट्टी बिछाने एवं अन्य संबंधित ढांचागत कार्यों सहित बनावट का डिजाइन एवं निर्माण।
 - न्यू खरवंदिया और दुर्गावती स्टेशनों के बीच वास्तविक कार्य दो बड़े नं. 611 और 615 ए जिनका कार्य प्रगति पर है, को छोड़कर पूरे होने के स्तर पर है।
 - दुर्गावती – गंजख्वाजा सेक्शन में कार्य प्रगति पर है।

कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए कुछ फोटो नीचे दिए गए हैं



2. पूर्वी कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर पर न्यू करवंदिया (रेलवे कि.मी. 564) से दुर्गावती (रेलवे कि.मी. 630) अनुमानित 66 कि.मी. पर लम्ब सम्प आधार पर दोहरी ट्रेक विद्युतीकृत रेलवे लाइन की टेस्टिंग और चालू करना और ट्रेक संबंधित कार्य और डिजायन, प्रापण, ट्रेक का निर्माण।

- वेल्डिंग डिपो को स्थापित कर दिया गया है। भिलाई स्टील प्लांट से रेलों को मंगवाया जा रहा है। वेल्डिंग कार्य प्रगति पर है।
- स्लीपरों का निर्माण प्रारंभ हो गया है।
- ट्रेक को विछाने के लिए नई ट्रेक निर्माण मशीन मंगवाई जाएगी।

(ख) परामर्श कार्य के ठेके

1. बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में ईस्टर्न कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर चेनेज कि.मी.14.108 (न्यू खरवंदिया के नजदीक) से चेनेज कि.मी. 119.437 (न्यू गंज ख्वाजा के नजदीक) (लगभग 105 कि.मी.) तक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए ब्लैकेटिंग, प्रमुख पुलों, छोटे पुलों, सड़क निचला पुलों, सड़क ऊपर पुलों, गिड्टी सप्लाई तथा अन्य संबंधित ढांचागत कार्यों सहित संरचना के सरल निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता सर्विस को सुगम बनाया है।

- सिविल कार्य के निष्पादन के लिए पी एम सी कार्य प्रगति पर है।

2. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर मुगलसराय-सोननगर सेक्शन का (लगभग 66 कि.मी.) न्यू करवंदिया (रेलवे कि.मी. 564) से दुर्गावती (रेलवे कि.मी. 630) तक दोहरी लाईन विद्युतीकृत रेलवे ट्रेक को चालू करने और विद्युत कार्य की सामान्य जांच और ओएचई, एससीएडीए, ट्रेक्शन पावर सप्लाई, सिगनलिंग एवं टेलीकाम कार्य, ट्रेक का निर्माण और डिजायन के लिए परियोजना प्रबंध परामर्श।

- ट्रेक कार्य के लिए पी एम सी कार्य प्रगति पर है।

3. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर दोहरे ट्रेक इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन के लिए सोननगर (रेलवे 549 कि.मी.) और डेहरी-ऑन-सोन (रेलवे 554 कि.मी.) रेलवे स्टेशनों के बीच एक मुश्त आधार (डिजायन बिल्ड लम्प सम बेसिस) सोन नदी के ऊपर महत्वपूर्ण पुल (अनुमानित लंबाई 3.06 कि.मी.) तथा दोनों तरफ के एप्रोचेज सहित की डिजायन और निर्माण तथा अन्य विविध कार्य के संबंध में बोली दस्तावेज सहित कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए अनुमानित लागत को तैयार करना, जीएडी को तैयार करना, इंजीनियरिंग निर्माण सर्वे के लिए परामर्श सेवाएँ।

- पूरा कर लिया गया है।

4. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के लिए दोहरी विद्युतीकृत रेलवे ट्रेक सहित सिगनलिंग और टेलीकम्यूनिकेशन प्रणाली और अवसंरचना संबंधी कार्य के लिए सामान्य परामर्श सेवाएँ।

- सीएसटी कार्य के लिए प्रथम स्तर के तकनीकी मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। लॉट 101, 102 और 103 के लिए संविदा पूरी कर ली गई है। संविदा करार पर भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। केडी 5 और केडी 6 के लिए सीएसटी कार्य को पूरा कर लिया गया है।
- विश्व बैंक के परामर्श से खुर्जा-भाऊपुर सेक्शन के लिए सिगनलिंग, दूर संचार और विद्युत कार्य के लिए पूर्व योग्यता दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। पीक्यू आवेदन फरवरी 2013 के दौरान प्राप्त हुए थे। जीसी द्वारा पीक्यू मूल्यांकन को पूरा किया गया है। सिस्टम कार्य के लिए बोली दस्तावेज को जीसी द्वारा अंतिम चरण में है।

(ग) कार्य निर्माण निविदाएं:

सिविल, स्ट्रक्चर और ट्रैक वर्क्स-ईस्टर्न कोरीडोर का चरण-। (भाऊपुर से खुर्जा 343 कि.मी.) विश्व बैंक द्वारा फंडड

1. सिविल, स्ट्रक्चर और ट्रैक कार्य

1. पूर्वी फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर दोहरे ट्रैक इलैक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन के लिए सोननगर (रेलवे 549 कि.मी.) और डेहरी-ऑन-सोन (रेलवे 554 कि.मी.) रेलवे स्टेशनों के बीच एक मुश्त आधार (डिजायन बिल्ड लम्प सम बेसिस) सोन नदी के उपर महत्वपूर्ण पुल (अनुमानित-लंबाई 3.06 कि.मी.) तथा दोनों तरफ के एप्रोचेज सहित की डिजायन और निर्माण तथा अन्य विविध कार्य।

- पूर्व योग्यता प्रक्रिया को वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है। आवेदन जमा कराने वाले 14 आवेदकों को योग्य और अर्हताप्राप्त घोषित किया गया।

2. भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-डेहरी-ऑन-सोन सेक्शन के बीच डबल ट्रैक इलैक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन के लिए गंज ख्वाजा के निकट एक मुश्त आधार (डिजायन बिल्ड लम्प सम बेसिस) रेल फ्लाई ओवर के निर्माण और डिजायन, मेजर, माइनर पुल एवं आरयूबी पुलों की आच्छादित (ब्लेन्किटिंग) करने सहित तटबंधों/कलमों (एमबैंकमेंट/कटिंग) का निर्माण बैलास्ट की आपूर्ति, और फैलाने और अन्य संबंधित ढांचागत (infrastructural) कार्य।

- पूर्व योग्यता प्रक्रिया को वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है। आवेदन जमा कराने वाले 08 फर्मों को योग्य और अर्हताप्राप्त घोषित किया गया।

2. वित्त वर्ष के दौरान दी गई संविदा

क. कार्य:

1) भाऊपुर गांव से भातूरा गांव तक किमी. 1040-1170 भाऊपुर-खुर्जा लॉट 101 सिविल सिस्टम और ट्रैक कान्ट्रेक्ट। कार्य की लागत रु. 1329.49 करोड़ एवार्ड की गई और दिनांक 24.01.2013 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए।

- ii) भातूरा गांव से बिरौनी गांव किमी. 1170-1266 तक भाऊपुर-खुर्जा लॉट 102-सिविल कान्ट्रेक्ट और ट्रैक कान्ट्रेक्ट। कार्य की लागत रु. 925.90 करोड़ एवार्ड की गई और दिनांक 24.01.2013 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए।
- iii) बिरौनी गांव से खुर्जा गांव किमी. 1266 से 1367.09 तक भाऊपुर-खुर्जा लॉट 103-सिविल कान्ट्रेक्ट और ट्रैक कान्ट्रेक्ट। कार्य की लागत रु. 1012.15 करोड़ एवार्ड की गई और दिनांक 24.01.2013 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए।

ख. परामर्श

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के भाऊपुर-मुगलसराय सेक्शन और खुर्जा-दादरी और खुर्जा लुधियाना सेक्शन के लिए सामान्य परामर्श सेवाएं। कार्य की लागत रु. 18.18 करोड़ और संविदा पर दिनांक 24.01.2013 को हस्ताक्षर किए गए।

ग. प्रणाली कार्य

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर न्यू करवंदिया (रेलवे किमी. 564) से दुर्गावती (रेलवे किमी. 630) तक लगभग 66 कि.मी. के विद्युतीकृत दोहरी रेलवे लाइन के लिए डिजाइन-बिल्ड एक मुश्त आधार पर उनका डिजाइन, प्रापण, ट्रैक के निर्माण और ट्रैक से संबंधित कार्यों और डिजायन का निर्माण, आपूर्ति, इन्स्टालेशन, 2 x 25 केवी विद्युतीकृत की जांच एवं चालू करना।

वित्तीय वर्ष के बंद होने के पश्चात।

मानकों के मसौदा मनुअल और विशिष्टताओं के लिए राइट्स, गुडगांव को एलओए सं. एचक्यू/ईएन/पीपीपी/कन्ट्रेक्च्यूल/पार्ट-2 दिनांक 02.05.2013 द्वारा रु. 96,92,476/- मूल्य का परामर्श संविदा का अधिनिर्णय किया गया।

3. भविष्य की संविदाएं

ईस्टर्न कोरीडोर के विभिन्न सेक्शनों पर निम्नलिखित मेजर परामर्श सेवायें की योजना बनाई गई है। प्रत्येक परामर्श सेवाओं की प्रगति निम्नानुसार है।

भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन-एपीएल-1

- i) भाऊपुर-खुर्जा-लॉट नं. 101,102,103 एवं 104 और संविदा के प्रबंधक का पर्यवेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं, यह योजना बनाई गई थी कि इसमें परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवायें ली जाएं। परामर्शदाताओं के चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है और चयनित हुए परामर्शदाताओं को आरएफपी जारी कर दी गई है।
- ii) एसईएसएमआरसी परामर्शदाता- सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के अनुरक्षण के लिए परामर्शदाता जो कि सामाजिक, पर्यावरणीय मुद्दों को कवर करते हुए एपीएल परियोजना के लिए तिमाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसईएसएमआरसी परामर्शदाता को काम में लगाने की योजना बनाई गई थी। चयनित परामर्शदाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और आरएफपी जारी कर दी गई है।

- iii) गुणवत्ता और संरक्षा आडिट परामर्शदाता— परियोजना स्थल पर संरक्षा और गुणवत्ता को मॉनीटर को सुनिश्चित करने के लिए क्यूएसएसी परामर्श सेवाएँ लेने के लिए योजना बनाई गई। चयनित परामर्शदाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और आरएफपी जारी कर दी गई है। अक्टूबर 2013 में परामर्शदाता को रखा जाएगा।
- iv) डीएफसीसी (एचएचपीडीआईएसएम) के संस्थागत सुदृढीकरण कार्य (इन्सटीट्यूशनल स्ट्रेन्थिंग टॉस्क) के लिए हेवी हॉल प्रोग्राम डवलपमेंट और प्रबंधन परामर्शदाता— डीएफसीसी के संस्थागत सुदृढीकरण कार्य के लिए, हेवी हॉल स्टडी के संस्थागत सुदृढीकरण के लिए, एक परामर्शदाता को काम पर लगाने की योजना बनाई गई थी। चयन का कार्य पूरा हो गया है एवं आरएफपी जारी कर दी गई है। परामर्शदाता को नवम्बर 2013 में रखा जाएगा।
- v) भारत (एचएचपीडीएमसीएस) में हेवी हॉल रेल परिवहन के लिए मार्केटिंग एवं वाणिज्य रणनीतियों के लिए हेवी हॉल प्रोग्राम डवलपमेंट एवं प्रबंधन परामर्शदाता— भारत में हेवी हॉल मार्केटिंग एवं वाणिज्य परिवहन की रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया था कि एक परामर्शदाता को काम पर लगाया जाए। चयन को पूरा कर लिया गया है और आरएफपी जारी कर दी गई है। परामर्शदाता को दिसंबर 2013 में रखा जाएगा।
- vi) डीएफसीसीआईएल (एचएचपीडीटीआईएम) एवं एमओआर के हेवी हॉल क्षमता विकास का मूल्यांकन और टेक्नॉलाजी रिसर्च की तकनीकी सहायता के लिए हेवी हॉल प्रोग्राम डवलपमेंट एवं प्रबंधन परामर्शदाता—यह परामर्शकार्य योजना के अंतर्गत है और टीओआर को अंतिम रूप दिया जाना है।
- vii) डीएफसीसीआईएल के लिए एन्टरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेम कार्य परामर्शदाता— डीएफसीसीआईएल के लिए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेम कार्य स्टडी के लिए परामर्शदाता को कार्य पर रखने के लिए योजना बनाई गई थी। परामर्शदाताओं का चयन पूरा कर लिया गया है और चयन किए गए परामर्शदाताओं को आरएफपी जारी कर दी गई है। परामर्शदाताओं को अक्टूबर 2013 में रखा जाएगा।

भाऊपुर—मुगलसराय सेक्शन—एपीएल—2

- i) मई 2011 में एपीएल—1 के लिए परियोजना बातचीत के दौरान विश्व बैंक के साथ एपीएल—2 के लिए परियोजना समझौता के लिए सहमति हो गई है। अक्टूबर 2012 के दौरान परियोजना के लिए विश्व बैंक तैयारी मिशन की समीक्षा की गई। फरवरी और अप्रैल 2013 के दौरान विश्व बैंक के पूर्व अनुमानित मिशन योजना के स्टेटस की भी समीक्षा की गई। सभी आइटम गति में पूरे कर लिए गए हैं और परियोजना बातचीत को अब सितम्बर 2013 किया जाना है। जनवरी 2013 के दौरान एपीएल—2 के लिए सामान्य परामर्शदाता को कार्य पर रख लिया गया है। एपीएल—2 के लिए संविदा रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और अप्रैल 2013 के दौरान सीएसटी कार्य के लिए पूर्व योग्यता दस्तावेज को जारी कर दिया गया है। सीएसटी कार्य के लिए बोली दस्तावेज जीसी तैयार की जा रही है। यह अपेक्षा की जाती है कि सीएसटी बोलियों को पीक्यू मूल्यांकन और बोली दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद अगस्त/सितंबर 2013 के दौरान आमंत्रित कर दिया जाएगा। परियोजना मूल्यांकन समझौता सितंबर 2013 में किया जाता है।

खुर्जा-लुधियाना और खुर्जा-दादरी सेक्शन-एपीएल-3

इसे एपीएल-1 के लिए परियोजना समझौता के दौरान सहमति के लिए समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

ग. दानकुनी-सोननगर पीपीपी परियोजना
परियोजना की कुल प्रगति और की गई पहल निम्नानुसार है।

एल ए सेक्शन	दानकुनी-गोमोह सेक्शन (267 किमी)		गोमोह-सोननगर सेक्शन (264 किमी)	
	आवश्यकता	दिनांक 31.03.2013 तक प्रगति	आवश्यकता	दिनांक 31.03.2013 तक प्रगति
20ए	388.77 किमी.	225 किमी. (340 हेक्टे.)	259.72 किमी. (613.48 हेक्टे.)	167 किमी. (210 हेक्टे.)
20ई	तथैव	142 किमी. (177 हेक्टे.)	तथैव	43 किमी. (55 हेक्टे.)
20एफ	तथैव	निल	तथैव	निल

- भूमि अधिग्रहण: फेजवार भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर पोलिस स्टेशन के बलरामवती मौजा के स्थानीय निवासियों द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्रित पत्र सं. 2009/इन्फ्रा/3/1/10 पार्ट-1 दिनांक 13.06.2011 (परियोजना प्रभावित लोग) (पीएपी) के लिए आरएए 2008 और एनआरआरपी 2007 (13.06.2011) को संशोधित) पर आधारित डीएफसीसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त कम्पनशेसन पेकेज की विशिष्ट पात्रता की मांग के लिए आंदोलन किया जा रहा है। मामले को भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी के साथ एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के समन्वय के साथ बातचीत करके सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और तदनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

दानकुनी-गोमोह सेक्शन (276 किमी) फेज-1 की डीपीआर तैयार हो गई है।

गोमोह-सोननगर सेक्शन (264 किमी.) फेज-2 की कोडरमा डिटूर को छोड़कर जहां गुरपा-गुजहांडी सेक्शन के बीच वाया डिटूर के साथ 200 (सी) ग्रेडियेंट एवं 100 (सी) ग्रेडियेंट में 1 के साथ जी सी लाइन के बराबर तक एलाइंमेंट के संबंध में निर्णय को रेलवे बोर्ड से स्वीकार किया जाने की अभी तक प्रतीक्षा है, जिसकी विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को पहले ही भेजा चुकी है, की भी डीपीआर तैयार कर ली गई है।

- परियोजना अनुमानित लागत

दानकुनी-गोमोह सेक्शन (276 किमी.) फेज-1 परियोजना की अनुमानित लागत रु. 6489.30 करोड़ है जिसकी स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है और गोमोह-सोननगर सेक्शन (264 किमी.) को तैयार किया जा रहा है।

- आरएफक्यू और आरएफपी दस्तावेज

ऐलीवेटेड रेल कोरीडोर, मुंबई पर आधारित दानकुनी-गोमोह सेक्शन (276 किमी.) फेज-1 के लिए आरएफक्यू दस्तावेज को तैयार कर लिया है यद्यपि डीएफसी पीपीपी (निर्णय की प्रतीक्षा) फाइनेन्सशियल मॉडलिंग इनकार्पोरेट और कन्सोसन एग्रीमेंट के लिए इसकी आवश्यकता है। उपर्युक्त आरएफक्यू ड्राफ्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद आरएफपी दस्तावेज तैयार किया जाएगा।

उपर्युक्त आरएफक्यू ओर आरएफपी दस्तावेजों को गोमोह-सोननगर सेक्शन (264 किमी) फेज-1 के लिए मोडिफाइड किया जाएगा।

- यूटीलिटी शिफ्टिंग

दानकुनी-गोमोह सेक्शन (276 किमी.) फेज-1 के लिए यूटीलिटी को शिफ्ट करने की एक मुश्त अनुमानित लागत रू. 287.24 करोड़ और गोमोह-सोननगर सेक्शन (264 किमी.) फेज-2 का सर्वेक्षण और तैयारी की जा रही है। यूटीलिटी को शिफ्ट करने के लिए रेलवे लागत पर प्रिन्सीपल अनुमोदन के लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क किया जा चुका है।

- फाइनेन्शियल मॉडलिंग और ड्राफ्ट रियायत करार

फाइनेन्शियल मॉडलिंग, फाइनेन्शियल वायाबिलिटी की स्थापना और परियोजना की बैंक-बिलिटी के विचारार्थ विषय को रेलवे बोर्ड द्वारा पूरा कर लिया गया है। रेलवे बोर्ड की पत्र सं. 2011/इन्फ्रा/12/32 दिनांक 10.12.2012 पर आधारित रेल कनेक्टिविटी और क्षमता बढ़ाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए टेंडर इन्क्वायरी को पूरा कर लिया गया है।

रियायत करार मसौदे के परिणामों का पालन किया जाएगा।

घ भविष्य के कोरीडोर

रेलवे बोर्ड ने डीएफसीसी को भविष्य के निम्नलिखित डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए पी ई टी एस प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं:

- पूर्व-पश्चिम कोरीडोर (कोलकाता-मुंबई)- 2000किमी
- उत्तर-दक्षिण कोरीडोर (दिल्ली-चैन्नै)-2173 किमी
- पूर्व तटीय कोरीडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा)- 1100 किमी
- दक्षिण कोरीडोर (चैन्नै-गोवा)-890 किमी

पीटीईएस के कार्य को मै. राइट्स लि. द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कोरीडोर के लिए यातायात अध्ययन रिपोर्ट और फील्ड डाटा कलेक्शन को तैयार कर लिया गया है। इन दोनों कोरीडोरों के लिए विस्तृत संरेखण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दक्षिण कोरीडोर और ईस्टकोस्ट कोरीडोर का कार्य वर्ष 2013-14 के दौरान किया जाएगा।

ड डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर समपारों का उन्मूलन

पूर्व और पश्चिम कोरिडोर पर 1156 समपार हैं और ये परिचालन और उनकी सुरक्षा में सबसे बड़ी परेशानी है। रेल मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि सभी समपारों को जहां डीएफसी और जोनल रेलवे के ग्रेड सेपरेशन के साथ (आरओबी/आरयूबी) समान्तर हैं, को बदल दिया जाए। डीएफसी ने सड़क निचला पुल और सड़क ऊपर पुल (आरयूबी/आरओबी) के लिए अनुमानित प्रावधान बनाया है।

इस संबंध में संबद्ध कार्यों को रेलवे की पिंक बुक 2013-14 में स्वीकृत दे दी गई है। जोनल रेलवे के साथ समन्वय करके योजना और निष्पादन किया जा रहा है और सभी कार्यों को क्षेत्रीय रेलवे के निर्माण संगठन को स्थानान्तरित किया जा रहा है। इन कार्यों निष्पादन और योजना के लिए डीएफसी की प्रगति और क्षेत्रीय रेलवे की ओपन लाइन और निर्माण का संयुक्त निरीक्षण शामिल हैं।

4. अनुपालन

(क) राजभाषा

डीएफसीसीआईएल, प्रधान कार्यालय में राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया जाता है जिसमें कार्यालय टिप्पणी और अन्य घटकों के साथ संचार शामिल है। 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सी गतिविधियां की गईं। निम्नलिखित विशेष गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है।

- संसदीय राजभाषा की दूसरी उपसमिति द्वारा डीएफसीसीआईएल कार्पोरेट कार्यालय का 01.11.2012 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरा समिति के माननीय सदस्यों द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
- डीएफसीसीआईएल में कार्पोरेट कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों के साथ डीएफसीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बैठकों में भाग लेकर राजभाषा के कार्य की समीक्षा की। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए डीएफसीसीआईएल में किए जा रहे प्रयासों में अपना संतोष व्यक्त किया तथा कार्पोरेट कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
- तिमाही के अंत में राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई भेजी गई।

राजभाषा के प्रयोग प्रसार को बढ़ावा देने हेतु 14.09.2012 से 28.09.2012 तक डीएफसीसी में राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी शब्द ज्ञान, हिंदी निबंध, और हिंदी टाइपिंग आयोजित की गईं जिसमें कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की माननीय सदस्य श्री धीरज बसोया तथा श्री आर.के.गुप्ता प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के लिए सभी कार्यालय आदेश, भूमि अधिग्रहण व गजट अधिसूचनाएं आदि हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। मानव संसाधन नियमावली का हिंदी अंक को संकलित कर दिया है। डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट को समय समय पर हिंदी में अपडेट किया जाता है।

ख. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को व्यवहारिक दृष्टि से शासन प्रणाली से सूचना प्रदान करने का प्रयास है जिसके तहत वे सार्वजनिक प्राधिकार के नियंत्रण के अंतर्गत नियम सूचना प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को प्रोत्साहन मिल सके।

कंपनी ने एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की है जिसका नाम कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी को लगभग 368 आर टी आई आवेदन प्राप्त हुए और सभी मामलों का निपटान निर्धारित समय में किया गया। सभी जबाब कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है जो कि पाक्षिक आधार पर अपडेट की जाती है।

वर्ष के दौरान डीएफसीसी से संबंधित 29 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए थे और सभी का समय से रेल मंत्रालय को जवाब दिया गया।

ग. एम सी ए 21 ई-फाइलिंग

कंपनी नियमों, 2006 (इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड आथेंटिकेशन आफ डाक्यूमेंट्स) और कंपनी (फाइलिंग आफ डाक्यूमेंट्स एंड फार्म व एक्सटेंसिबल बिजनस रिपोर्टिंग लेग्योगेज) नियम 2012 की शर्तों के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी संवैधानिक प्रपत्र और विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भरी हैं।

घ. समझौता ज्ञापन

समीक्षात्मक अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी समझौता के ज्ञापन दिशा निर्देशों के अनुसार एक समझौता ज्ञापन (2013-14) पर परिवहन एवं पर्यटन संघ के कार्य बल के साथ चर्चा करने के बाद रेल मंत्रालय के साथ दिनांक 15.03.2013 को हस्ताक्षर किए गए।

रेल मंत्रालय तथा डीएफसीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन (2013-14) की शर्तों के अनुसार कंपनी को परियोजना संबंधी प्राचल, सक्रिय प्राचल, निगमित सामाजिक जिम्मेदारी प्राचल, मानव संसाधन प्रबंधन, निरंतर विकास, सेक्टर विनिर्दिष्ट तथा उद्यम विनिर्दिष्ट परिवर्तन के लक्ष्य प्राप्त करने हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी को एम ओ यू के लिए "अच्छी" श्रेणी प्रदान की गई है।

ङ. सतर्कता

सतर्कता किसी संगठन का जागरुक भाव और एक अभिन्न अंग होता है। सत्यनिष्ठ प्रबंधन में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह सरकार और प्रबंधन द्वारा जारी नीतियों और दिशा निर्देशों को लागू करवाने और प्रणाली और प्रक्रियाओं में मजबूती प्रदान कर और उन्हें सरल बनाकर तथा भ्रष्ट नीतियों पर नियंत्रण रखकर, पारदर्शिता द्वारा संगठन की छवि सुधारने में मदद करता है। यह एक प्रभावशाली टूल होता है और दीर्घ अवधि में एक संगठन की

अच्छी छवि को प्रभावशाली रूप से सुनिश्चित करता है। सतर्कता सुरक्षा तंत्र के रूप में खामियों को रोक सकता है। सतर्कता कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को परेशानमुक्त सेवाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है।

डीएफसीसीआईएल के सतर्कता संगठन में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है, उनकी सहायता के लिए एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, उप महाप्रबंधक, दो प्रबंधक/सतर्कता और एक सहायक प्रबंधक/सतर्कता हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद 05.12.2012 से रिक्त चल रहा है।

वर्ष 2012-13 सतर्कता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा और वर्ष के दौरान निम्नलिखित मेनुअल अभिगृहीत गए:

- कार्यालय कार्यविधि की नियमावली
- वित्त रिपोर्टिंग नियमावली
- वित्त लेखा नियमावली
- मानव संसाधन नियमावली
- सतर्कता नियमावली
- कार्य नियमावली

शिकायतें

वर्ष के दौरान मुख्य सतर्कता आयोग/रेलवे बोर्ड/व्यक्तियों के माध्यम से कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें से 14 शिकायतें निपटा दी गईं और एक शिकायत जो कि एक एजेन्सी द्वारा डीएफसीसीआईएल के साथ संविदा प्राप्त करने के लिए फर्जी साख को प्रस्तुत करने से संबंधित थी और अन्य एक बड़ोदरा यूनिट में भूमि के मुआवजे से संबंधित है जिसकी वर्ष के अंत तक जांच चल रही थी।

जांच पड़ताल के बाद सिफारिशें

- 1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 02 अधिकारियों के खिलाफ बड़ी शास्ति की सिफारिश की गई है जो कि वित्त में अनियमितताओं से संबंधित है और मसौदा आरोप पत्रों को रेलवे बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

निवारण जांचें: वर्ष के दौरान कुल 11 निवारण जांचें की गईं जिसमें से 08 मामलों वर्ष के अंत तक निपटा दिए गए थे।

जांच के परिणाम के रूप में सिफारिशें:

- 1) अधिग्रहीत की गई भूमि से अतिक्रमण और मिट्टी और पेड़ों आदि परिसंपत्तियों की चोरी आदि की सुरक्षा के लिए सभी मुख्य परियोजना प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए थे।

जागरूकता और भागीदारी सतर्कता:

दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 से 03 नवम्बर 2012 तक "सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता" पर पारस्परिक सम्मेलन के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल के नेतृत्व में शपथ समारोह भी आयोजित किया गया। "सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता" विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजयी को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए।

सतर्कता नियमावली और कार्य नियमावली के लिए अभिग्रहण और कार्यान्वयन समारोह प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल के महान मार्गदर्शन में दिनांक 04.12.2012 को आयोजित किया गया जिसमें रेलवे बोर्ड के माननीय सदस्य भी उपस्थित थे।

5. सूचना प्रौद्योगिकी तथा विकास

डीएफसीसीआईएल में समीक्षाधीन वर्ष में विश्व स्तरीय एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। अपने आई टी प्रोजेक्ट के लिए सिस्टम इन्टीग्रेटर (एसआई) का मार्च 2012 में चयन किया गया। एसएपी को परियोजना प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत समाधान के रूप में चुना गया था। वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रभावी निर्णय लेने के लिए जीआईएस आधारित रिपोर्टिंग और डैसबोर्ड को प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के समाप्त होने के बाद, प्रक्रिया मालिकों/कोर टीमों को चिन्हित किया गया था। एस आई और प्रक्रिया मालिकों/कोर टीमों के बीच गहन विचार विमर्श के द्वारा आवश्यकताओं को व्यापार ब्ल्यू प्रिन्ट के रूप में धारण किया जाता है। डीएफसीसीआईएल में अधिकांश प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए 53 ब्ल्यू प्रिन्टों को प्रक्रिया मालिकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

कार्पोरेट कार्यालय के चौथे तल पर बनाए गए डीएफसीसीआईएल के डाटा सेंटर का डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक द्वारा 7 जून, 2013 को उद्घाटन किया गया। डाटा सेंटर में अधिकांश कंपोनेन्ट जैसे ब्लेड सर्वर्स, फायरवाल्स और स्टेट आफ आर्ट तकनीकी और घुसपैठ रोकथाम प्रणाली और निरर्थक फेलओवर विन्यास को स्थापित किया गया है। डाटा सेंटर को ईआरपी सोल्युशन आधारित एसएपी रनिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।

डीएफसीसीआईएल ने 200 से अधिक कर्मचारियों को आगे की चुनौतियों की परिकल्पना में बदलाव को करने के लिए मल्टीपल चेंज मेनेजमेंट प्रोग्राम और संवेदनशील कार्यशाला आयोजित की गई।

मुख्य परियोजना प्रबंधक के कार्यालयों में लेन को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। सभी मुख्य परियोजना प्रबंधकों के कार्यालयों को कार्पोरेट कार्यालय के साथ डब्ल्यूएन आधारित एमपीएलएस के द्वारा शीघ्र कनेक्टिविटी कर दी जाएगी।

भूमि परियोजनाओं, वित्त, मानव संसाधनों के लिए मास्टर डाटा कलेक्शन को हस्तगत कर दिया गया है। प्रणाली को जल्द ही टेस्ट किया जा रहा है। ओईएम प्रशिक्षण को शीघ्र चालू करने के लिए अधिकारी को नामित किया जा रहा है। यह टीम लीडर कार्य-प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करें, अपना सहयोग देंगे तत्पश्चात यह प्रणाली गो-लिव हो जाएगी। प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिए उपयोगकर्ताओं को बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा है। संगठन से डाटा कलेक्शन, प्रशिक्षण और प्रणाली को शीघ्र अपनाये जाने की अपेक्षा है।

6. औद्योगिक संबंध

समीक्षावधि के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण एवं सोहाद्रपूर्ण रहे। 30 अक्टूबर, 2012 को डीएफसीसीआईएल का 6वां स्थापना दिवस डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में अत्यन्त ही उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कंपनी ने 21 मई 2012 को आतंकवाद विरोध दिवस और 7 अगस्त 2012 को सद्भावना दिवस मनाया। कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। 7 दिसंबर 2012 को आर्मस फोर्सिस दिवस मनाया गया और कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया।

7. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्तियों एवं पदावधि समाप्ति के कारण कुछ परिवर्तन हुए जो निम्नानुसार हैं:

- क. श्री आर. एस. शर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी ने डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 25.04.2012 को ज्वाइन किया।
- ख. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/इंफ्रा/6/4/पार्ट-1 दिनांक 14.11.2012 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री गिरीश पिल्लई, सलाहकार (अवसंरचना), रेलवे बोर्ड को श्री आर. के. जैन, पूर्व सलाहकार (अवसंरचना) के स्थान पर अंशकालीन निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- ग. डीएफसीसीआईएल के पत्र सं. एचक्यू/एचआर/पी फाइल/554 दिनांक 29.11.2012 के अनुसार और रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ईआरबी-1/2008/2/36 दिनांक 29.11.2012 को कार्यमुक्त होने बाद श्री एच.डी.गुजराती, एसएजी/आईआरटीएस, कार्यकारी निदेशक, टीटी (एस) रेलवे बोर्ड ने निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), डीएफसीसीआईएल के रूप में दिनांक 29.11.2012 (अपरान्त) से ज्वाइन कर लिया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है:

- क. रेलवे बोर्ड के दि: 06.09.2007 के पत्र सं. 2007/ई/(ओ)।।/40/07 डीएफसीसीआईएल के पत्र सं. जीएम/एचआर/पोस्टिंग दिनांक 18.09.2007 के साथ पढ़ा जाए के द्वारा श्री आर. के. सिन्हा, पूर्व निदेशक (वित्त) का पूर्णकालीन निदेशक का कार्यकाल पूरा होने के कारण दिनांक 16.09.2012 से पदभार समाप्त हो गया है।
- ख. रेलवे बोर्ड के दि: 14.11.2012 के पत्र सं. 2007/इंफ्रा/6/4/पार्ट-1 द्वारा श्री आर. के. जैन, पूर्व सलाहकार (इन्फ्रा) की सेवा निवृत्ति होने के कारण दिनांक 14.11.2012 से अंशकालीन निदेशक, के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।
- ग. रेलवे बोर्ड के दि: 04.10.2012 के पत्र सं. 2011/ई/(ओ)।।/40/34 द्वारा श्री पी. एन. शुक्ला, पूर्व निदेशक/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, की सेवानिवृत्ति होने के कारण उनका पूर्णकालीन निदेशक के रूप में कार्यकाल दिनांक 15.10.2012 को समाप्त हो गया है।
- घ. रेलवे बोर्ड के दि: 28.01.2013 के पत्र सं. 2010/ई/(ओ)।।/40/26 द्वारा श्री भरत सल्होत्रा, पूर्व निदेशक/वित्त का पूर्णकालीन निदेशक के रूप में दिनांक 28.01.2013 को कार्यकाल समाप्त हो गया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के समापन के बाद निम्नलिखित निदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया है:

क. रेलवे बोर्ड के दि: 05.07.2013 के पत्र सं. 2009/इंफ्रा/6/2 के द्वारा राष्ट्रपति ने श्री अरुनेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के पद पर कार्य करने तक अथवा जो भी पहले हो के स्थान पर तुरन्त प्रभाव दिनांक 05.07.2013 से डीएफसीसीआईएल बोर्ड का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के समापन के बाद निम्नलिखित निदेशकों ने कार्यभार छोड़ दिया है:-

क. श्री डी. टी. जोसफ, अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 13.05.2013 को कार्यभार छोड़ दिया है।
ख. श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त होने पर डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित निदेशक कार्यभार देख रहे हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री अरुनेन्द्र कुमार	अंशकालिक अध्यक्ष (सरकारी)	05.07.2013
2.	श्री आर. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक	10.05.2011
3.	श्री ए. के. दत्ता	निदेशक (अवसंरचना)	01.04.2010
4.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक (परियोजना नियोजन)	05.04.2011
5.	श्री एच. डी. गुजराती	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	29.11.2012
6.	श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	14.11.2012
7.	श्री गजेंद्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	02.05.2008
8.	श्री भास्कर गुप्ता	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	23.11.2010
9.	श्री आर. एस. शर्मा	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	25.04.2012

8. लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था।

9. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा की टिप्पणी के साथ मेसर्स जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन टिप्पणी के साथ कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी जो कि वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

11. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी विलयन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम
ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी विलयन करने के संबंध में कंपनी नियम, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटन) के साथ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) (ई) के अनुसरण में अपेक्षित विवरण के प्रकटन को शून्य माना जाए।

यद्यपि समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं निर्गम निम्न प्रकार रहा:-

विदेशी मुद्रा का अर्जन	- शून्य
विदेशी मुद्रा का निर्गम	- 62.45 / - लाख रु जिसमें से
आई टी के लिए अंशदान शुल्क	- 22.68 / - लाख रु
दौरा एवं यात्रा व्यय	- 6.57 / - लाख रु
एल सी ओपनिंग चार्ज	- 13.42 / - लाख रु
जायका ऋण पर बैंक प्रभार	- 19.78 / - लाख रु

12. कर्मचारियों / निदेशकों की परिलब्धियों का विवरण
समय समय पर यथा संशोधित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अनुसार सूचना प्रकट करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि कोई भी कर्मचारी और निदेशक निर्धारित सीमा से अधिक परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहा था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रबंधकीय परिलब्धियों की कुल लागत 122.26 / - लाख रु. है जिसमे से परिलब्धियों का कुल मूल्य 96.91 / - लाख रु. और लाभों का मूल्य 25.35 लाख रु. है।

13. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- i) वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखांकन मानको का अनुसरण किया गया है और तात्विक विसंगतियों के लिए समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत लागू किया है और निर्णय लिए हैं तथा आंकलन किए हैं जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हैं जो उस अवधि के लिए कंपनी के मामलों की सही स्थिति दर्शाते हैं।
- iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों ने समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv) निदेशको ने वार्षिक लेखा एक कार्यरत कंपनी के आधार पर तैयार किया है।

14. कॉर्पोरेट नियंत्रण

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट नियंत्रण के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र इस निदेशकों की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है।

अनुबंध "क" पर प्रस्तुत एक "कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट" कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी का दर्शन, उपस्थिति के साथ-साथ निदेशक मंडल का गठन, निदेशकों की परिलब्धियां आदि और अन्य समकक्ष प्रकटीकरण को दर्शाती है।

कॉर्पोरेट संचालन का अनुपालन प्रमाण पत्र अनुबंध "ख" पर प्रस्तुत किया जाएगा।

"प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" अनुबंध "ग" पर प्रस्तुत है।

15. आभार

निदेशक, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय रेलों, सांविधिक अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के प्रति उनके सहयोग और संरक्षण के लिए आभार प्रकट करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और बैंको द्वारा कंपनी को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए बोर्ड धन्यवाद के साथ उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक बोर्ड डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों तथा अन्य के प्रति कंपनी को समय-समय पर दिए गए निरंतर बेशकीमती सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27.08.2013

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/—

(अरुनेन्द्र कुमार)

अध्यक्ष

कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी के दर्शन पर एक संक्षिप्त विवरण

कंपनी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को उच्च श्रेणी की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिचालन और अपने सभी व्यवहारों के सभी क्षेत्रों में समानता के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास रखती है। कॉर्पोरेट संचालन सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों, कानूनों, नियमों विनियमों का अनुपालन और कंपनी को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानकों के अनुसरण का अनुप्रयोग है।

गति, ईमानदारी तथा सफलता में विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व, जवाबदेही, कर्तव्यपालन, पारदर्शिता तथा उचित प्रकटन मुख्य माध्यम है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संरचना

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 80 के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति ने लिखित में निर्धारित किया है कि डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में कुल 12 निदेशक होंगे। भारत के राष्ट्रपति ने दि: 04. 05. 2010 के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1 द्वारा डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार अनुमोदित की गई है:-

- अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (सी आर बी)
- प्रबंध निदेशक सहित 5 पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक
- रेल मंत्रालय द्वारा नामित एक
- योजना आयोग द्वारा नामित एक
- आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संस्था से एक निदेशक सहित 4 स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक

2.2 बोर्ड की संख्या

रिपोर्ट के समय कंपनी के निदेशक मंडल की कुल मौजूद संख्या नौ है जिसमें चार पूर्णकालिक निदेशक, एक अंशकालिक अध्यक्ष, रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग से नामित दो अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा दो स्वतंत्र अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 81 (1) के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे कंपनी के निदेशकों को नियुक्त कर सकते हैं।

निम्नलिखित निदेशक वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल हुए:

क. श्री आर.एस. शर्मा, पूर्व सीएमडी, ओ.एन.जी.सी ने दिनांक 25.04.2012 से डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

ख. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/इंफ्रा/6/4/पार्ट-1 दिनांक 14. 11. 2012 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने

श्री गिरीश पिल्लई, सलाहकार (अवसंरचना) / रेलवे बोर्ड को श्री आर. के. जैन, पूर्व सलाहकार (अवसंरचना) के स्थान पर अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

ग. रेलवे बोर्ड के ज्ञापन सं. ई आर बी-। 2008/2/36 दिनांक 29. 11. 2012 द्वारा कार्यमुक्त होने के बाद डीएफसीसीआईएल के पत्र सं. एच क्यू/एच आर/पी फाइल/554 दिनांक 29.11.2012 द्वारा श्री एच. डी. गुजराती, एस.ए.जी./आई.आर.टी.एस., ई.डी.,टी.टी. (एस), रेलवे बोर्ड ने दिनांक 29.11.2012 (अपराहन) को डीएफसीसीआईएल में निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अपने पद का कार्यकाल समाप्त करने वाले निम्न निदेशकगण:

- क. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/ई (ओ)।।/40/07 दिनांक 06. 09. 2007 और डीएफसीसीआईएल के पत्र सं. जीएम/एच आर/पोस्टिंग दिनांक 18.09.2007 द्वारा श्री आर. के. सिन्हा, पूर्व निदेशक (वित्त) पूर्ण कालिक निदेशक के अपने पद पर अपना 5 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 16.09.2012 पूर्ण कर रहे हैं।
- ख. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/इंफ्रा /6/4/पार्ट-1 दिनांक 14.11.2012 द्वारा श्री आर. के. जैन पूर्व सलाहकार (अवसंरचना) सेवानिवृत्ति के कारण अंशकालिक अधिकारिक निदेशक के अपने पद दिनांक 14.11.2012 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं।
- ग. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2011/ई (ओ)।।/40/34 दिनांक 04.10.2012 द्वारा श्री पी. एन. शुक्ला पूर्व निदेशक, (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) सेवानिवृत्ति के कारण पूर्ण कालिक निदेशक के रूप में दिनांक 15.10.2012 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं।
- घ. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2011/ई (ओ)।।/40/26 दिनांक 28.01.2013 द्वारा श्री भरत सल्होत्रा पूर्व निदेशक, (वित्त) दिनांक 28.01.2013 को पूर्ण कालिक निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

निम्नलिखित निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति के बाद पद धारण किया:

- क. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2009/इंफ्रा /6/2 दिनांक 05.07.2013 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री अरुनेंद्र कुमार, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को दिनांक 05.07.2013 से तत्काल प्रभाव से डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्हें श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के स्थान पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर अपने पद का कार्यकाल पूर्ण करने वाले निम्न निदेशकगण:

- क. श्री डी. टी. जोसेफ दिनांक 13.05.2013 को अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद।
- ख. श्री विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड दिनांक 13.05.2013 को अपनी सेवानिवृत्ति के कारण डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष के अपने पद पर।

इस रिपोर्ट के सौपे जाने के समय डीएफसीसीआईएल के बोर्ड की संरचना में उनके द्वारा लिया गया निदेशक पद तथा वित्त वर्ष 2012-13 तथा गत वार्षिक आम बैठक के दौरान बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों के नाम/नियुक्ति की तारीख	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में निदेशक/अध्यक्ष के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में समिति की सदस्यता/अध्यक्षता के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर	2012-13 में (अपने कार्यकाल के दौरान) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (अपने कार्यकाल के दौरान)	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
(i) अध्यक्ष (अंशकालिक अधिकारिक)							
1.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	श्री अरुनंद कुमार (05.07.2013 से कार्यभार संभाला)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड (30.06.2013 तक कार्यभार संभाला)	श्री विनय मित्तल (08.07.2011 से कार्यभार संभाला)	अध्यक्ष के रूप में-1 सदस्य के रूप में-3	लागू नहीं	8	8	हां
(ii) पूर्णकालिक निदेशक							
1.	प्रबंध निदेशक	श्री आर. के. गुप्ता (10.05.2011 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	8	8	हां
2 (क)	निदेशक (वित्त) का कार्यभार देखा (15.03.2013 तक कार्यभार संभाला)	श्री आर. के. गुप्ता (01.04.2012 से 16.09.2012 तक और 29.01.2013 से 14.03.2013 तक कार्यभार संभाला)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां
2 (ख)	निदेशक (वित्त) (28.01.2013 तक कार्यभार संभाला)	श्री भरत सल्होत्रा (17.09.2012 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	2	2	हां
2 (ग)	निदेशक (वित्त) का कार्यभार देखा	श्री एच. डी. गुजराती (15.03.2013 से कार्यभार संभाला)	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3 (क)	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) (15.10.2012 तक कार्यभार संभाला)	श्री पी. एन. शुक्ला (15.10.2009 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	6	6	हां
3 (ख)	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	श्री एच. डी. गुजराती (29.11.2012 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	1	1	लागू नहीं
4.	निदेशक (परियोजना नियोजन)	श्री अंशुमान शर्मा (05.04.2011 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	8	8	हां
5.	निदेशक (अवसंरचना)	श्री ए. के. दत्ता (01.04.2010 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	8	8	हां

(iii) निदेशक (अंशकालिक अधिकारिक)							
1.	सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड (30.09.2012 तक कार्यभार संभाला)	श्री रंजन कुमार जैन (08.04.2011 से कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-1	6	5	हां
2.	सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड	श्री गिरीश पिल्लई (14.11.2012 से कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-1	1	1	लागू नहीं
3.	योजना आयोग के उपसभापति के सलाहकार	श्री गजेंद्र हल्दिया (02.05.2008 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	8	7	नहीं
(iv) स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी)							
1.	अंशकालिक गैर सरकारी	श्री डी. टी. जोसेफ (14.05.2010 से कार्यभार संभाला)	7	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-4 लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष)-1 शेयर होल्डर शिकायत (सदस्य)-1	8	6	नहीं
2.	अंशकालिक गैर सरकारी	प्रो. भास्कर गुप्ता (23.11.2010 से कार्यभार संभाला)	1	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-1	8	6	हां
3.	अंशकालिक गैर सरकारी	श्री आर. एस. शर्मा (25.04.2012 से कार्यभार संभाला)	3	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-3	7	6	हां

नोट:-

- निदेशकों द्वारा निदेशक का पद तथा कमेटियों में सदस्यता उन सीमाओं के भीतर है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 के उद्देश्य के लिए निदेशक का पद एक निजी कंपनी में जो न तो एक सहायक कंपनी है और न ही सार्वजनिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, से अलग है।
- "अंशकालिक अधिकारी" उन निदेशकों के विषय में कहा गया है जिन्हें सरकार ने डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में मनोनीत किया है और जो रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग के अधिकारी हैं।
- "अंशकालिक गैर सरकारी" शब्द का अर्थ है स्वतंत्र निदेशक।
- समितियां जिन पर एक निदेशक सेवा कर सकता है, की सीमा पर विचार के उद्देश्य के लिए सभी सार्वजनिक कंपनियां चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों, में शामिल किया गया है।
- अध्यक्ष/सदस्यता के लिए सीमा की पहचान के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा समिति और हितधारक शिकायत समिति केवल ली गई है।
- "लागू नहीं" का अर्थ है कि या तो इन निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद निदेशक का पद संभाला हो या संबंधित प्राचल में इनके कार्यालय के दौरान कमी न आई हो।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपर्युक्त कालम- 1। (2) में उल्लिखित "लागू नहीं" श्री आर. के. सिन्हा, निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में उनके पद के कार्यों को प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 01.04.2012 से 16.09.2012 तक और क्रमशः श्री भरत सल्होत्रा के त्यागपत्र के बाद 29.01.2013 से 14.03.2013 किया गया। श्री एच. डी. गुजराती 15.03.2013 के बाद से निदेशक (वित्त) का कार्य देख रहे हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, निदेशक मंडल व्यापार हेतु आठ बार मिले जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और डीपीई के अनुरूप है। निदेशक की अनुपस्थिति से संबंधित सभी मामलों में कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड (जी) की उप धारा (1) की धारा 283 के अंतर्गत अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई।

डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल की बैठकें निम्न तिथियों को आयोजित हुईं:-

क्रमांक	तिमाही	तारीखें
1.	जून, 2012 को समाप्त तिमाही के लिए	18.04.2012, 14.05.2012, 11.06.2012, 29.06.2012
2.	सितंबर, 2012 को समाप्त तिमाही के लिए	07.08.2012, 03.09.2012
3.	दिसंबर, 2012 को समाप्त तिमाही के लिए	30.10.2012
4.	मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही के लिए	15.01.2013

वित्त वर्ष 2012-13 के बाद नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:-

(i) श्री गिरीश पिल्लई, अंशकालिक सरकारी निदेशक, डीएफसीसीआईएल, दिनांक 14.11.2012 से

श्री गिरीश पिल्लई भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) 1981 बैच के अधिकारी हैं इन्होंने कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना) रेलवे बोर्ड में 17.10.2012 को कार्यभार ग्रहण किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में स्नातकोत्तर हैं। श्री पिल्लई रेल मंत्रालय में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी है। उनको सौंपे गए कार्यों में दीर्घकालीन योजनाओं में भारतीय रेलवे पर अवसंरचना का सृजन, पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय, रेलवे के लिए इन्टरनेशनल कोऑपरेशन और डवलपिंग लांग रेंज डिस्सीजन सपोर्ट सिस्टम (एलआरडीएसएस) शामिल हैं। उन्होंने अपने रेलवे के 30 वर्ष के कैरियर में मंडल पर, जोनल रेलवे एवं रेलवे बोर्ड पर विभिन्न पदों पर रहकर बड़े पैमाने पर कार्य किया है। कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना) के पद पर ज्वाइन करने से पूर्व वह पश्चिम रेलवे में मुख्य परिचालन प्रबंधक / मुम्बई और कार्यकारी निदेशक (भावीलक्षी योजना) रेलवे बोर्ड के पदों पर रहे हैं।

(ii) श्री एच. डी. गुजराती, निदेशक (ओपी एंड बीडी) दिनांक 29.11.2012 से

श्री एच. डी. गुजराती ने दिनांक 29.11.2012 को डीएफसीसीआईएल में निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इस पद पर आने से पूर्व भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1985 बैच के अधिकारी श्री गुजराती रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, यातायात परिवहन (स्टील) के पद पर कार्य कर रहे थे।

वे भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, उन्होंने एमबीए और मार्केटिंग में पीजीडीआईएम भी किया है। उन्हें बल्क और कंटेनर परिवहन का गहन अनुभव है। आईआरटीएस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अविभाजित तत्कालीन दक्षिण पूर्व रेलवे (भारतीय रेलवे की ब्लू चिप रेलवे), उत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे, कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कार्य किया है। उन्होंने कार्यकारी निदेशक-फ्रेट मार्केटिंग, निदेशक-यातायात परिवहन, निदेशक-संरक्षा रेलवे बोर्ड और कन्टेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया में सामरिक परियोजना, इन्टरनेशनल मार्केटिंग और परिचालन के लिए समूह महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है।

फ्रेट आपरेशन में उनके योगदान के लिए रेल मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया, श्री गुजराती की रुचि के क्षेत्र थोक और कंटेनरीकृत कार्गो, परिवहन योजना और चैन प्रबंधन आपूर्ति रहे हैं। उन्होंने पूरी भावना पारदर्शिता और समुदायों की

जरूरतों और आकांक्षाओं को उत्तरदायी बनाने और कुशल प्रबंधन के लिए रेल परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए काम किया है।

(iii) श्री अरुनेंद्र कुमार, अध्यक्ष / डीएफसीसीआईएल, 05.07.2013 से

श्री अरुनेन्द्र कुमार, सदस्य यांत्रिक, अतिरिक्त प्रभार के साथ अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एक यांत्रिक इंजीनियर के एक प्रतिष्ठित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा 1972 के द्वारा भारतीय रेलवे में ज्वाइन किया। वह वर्कशाप एवं ओपन लाइन में अपने कैरियर के 35 वर्षों से अधिक डिब्बों और वेगनों, विभिन्न लोकोमोटिव के अनुरक्षण का कार्य कर चुके हैं। उन्हें लोकोमोटिव और कोचिंग रखरखाव के क्षेत्र में अनेकों नवाचारों (इनोवेशन्स) का श्रेय प्राप्त है। वह संकट की स्थिति में परिणाम देने के लिए सक्षम है जो महान नेतृत्व के गुणों और प्रबंधकीय कौशल को प्रदर्शित करता है। वर्तमान पद से पूर्व वह दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, जहां वह देश में सबसे भारी फ्रेट परिचालन में कामयाब रहे। मंडल रेल प्रबंधक, मुम्बई सेन्ट्रल के रूप में उन्होंने संपूर्ण मुम्बई मंडल पर सभी गाड़ियों के परिचालन एवं अनुरक्षण और अवसंरचना को सफलतापूर्वक करने में कामयाब रहे। श्री कुमार ने सलाहकार (सीसी) ओर अपर सदस्य उत्पादन ईकाई के रूप में कार्य करते हुए रेलवे बोर्ड की विभिन्न नीतियों को बनाने में काफी योगदान दिया। उन्होंने पेरिस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चायना, स्विटजरलैंड, कनाडा, नाम्बिया में उन्नत प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

श्री कुमार एक उत्कृष्ट एथलीट और बैडमिंटन के खिलाड़ी है। श्री कुमार ने नेशनल ज्योग्रफिक चैनल पर धारावाहिक "दुनिया के सात मेगा शहर" में विशेष स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय चैनल पर एक रेलवे अधिकारी द्वारा सबसे लंबे समय तक लाइव टीवी में साक्षात्कार का एक रिकार्ड बनाया है।

3. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का संयोजन

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति 14.03.2008 को गठित की गई थी और समय समय पर पुनर्गठित की जाती रही है। समीक्षाविधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति डीपीई दिशा-निर्देशों को पढ़ने के साथ पुनर्गठित की गई थी। संयोजन और लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ (टीओटी) के मामले 7.8.12 को आयोजित 34वीं बोर्ड की बैठक में समीक्षा की गई और श्री आर.एस. शर्मा लेखा परीक्षा समिति के एक सदस्य के रूप में पेश किया गया।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1 दिनांक 14.05.2010 द्वारा श्री डी. टी. जोसेफ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक ने अपना 03 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 13.05.2013 को पूरा कर लिया है। परिणामस्वरूप बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 14.06.2013 को बोर्ड की 39वीं बैठक में कर दिया गया है।

वर्तमान में लेखा समिति की संरचना निम्न है:

क्र. सं	सदस्य	पद	समिति की सदस्यता ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री डी. टी. जोसेफ	अध्यक्ष	25.06.2010 से 13.05.2013
2.	श्री रंजन कुमार जैन	सदस्य	23.04.2011 से 30.09.2012
3.	श्री भास्कर गुप्ता	सदस्य	23.04.2011
4.	श्री आर. एस. शर्मा	सदस्य	07.08.2012
5.	श्री गिरीश पिल्लई	सदस्य	15.01.2013

बोर्ड के विचारार्थ विषय के अनुरूप समिति कार्य करेगी (14.03.2008) जो है :-

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में आवधिक रूप से लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श ।
- लेखा परीक्षकों के अवलोकन सहित लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में विचार-विमर्श तथा निर्णय ।
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले में जांच पड़ताल ।
- निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य मामले को लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में लाना ।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना तथा देय मेहनताना सहित नियुक्ति की शर्तों को तय करना ।
(16.06.2009 को आयोजित बोर्ड की 12वीं बैठक में मद सं. 4 में जोड़ा गया)

दिनांक 25.06.2010 को पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के लिए विचारार्थ अतिरिक्त विषय

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है ।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिशें ।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन ।
4. अनुमोदन हेतु बोर्ड के प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा ।
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले निदेशक की जिम्मेदारी के विवरण के अपेक्षित मुद्दे;
 - यदि अकाउंटिंग तथा कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन है तो इसके लिए कारण दें;
 - प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर प्राक्कलन सहित प्रमुख अकाउंटिंग प्रविष्टियां;
 - लेखा परीक्षा जांच परिणाम में पाए गए वित्तीय विवरणों का उचित समायोजन;
 - वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - किसी संबंधित पार्टी के लेन-देन का प्रकटन; तथा
 - लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें ।
6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा ।
7. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्त समीक्षा ।

8. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्ष अधिकारियों की स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की पर्याप्त समीक्षा, यदि कोई हो तो।
9. किसी विशेष जांच पड़ताल के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उसका अनुपालन।
10. ऐसे मामलों की जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता की संभावना की आंतरिक जांच आंतरिक लेखापरीक्षकों/एजेंसी द्वारा की जाएगी तथा निष्कर्ष की समीक्षा और मामले के बारे में बोर्ड को सूचित करना।
11. लेखा परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षा के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही साथ किसी संबंधित क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा उपरांत विचार-विमर्श।
12. जमाकर्ता, ऋणपत्र धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के गैर भुगतान के मामले में) तथा क्रेडिटर्स को भुगतान में वास्तविक चूककर्ताओं के लिए कारण का पता लगाना।
13. व्हीसल ब्लोअर मकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा।
14. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम (सीओपीयू) की समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
16. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा निदेशक मंडल के बीच संवाद का मार्ग प्रशस्त करना।
17. कंपनी में पार्टी से संबंधित सभी लेन-देन की समीक्षा। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो पार्टी संबंधी लेन देन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।

व्याख्या :- "संबंधित पार्टी लेन-देन" कथन का वही अर्थ है जोकि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में निहित है।

18. लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षा के साथ समीक्षा ताकि कवरेज की पूर्णता, अत्यधिक प्रयासों की कमी तथा सभी लेखापरीक्षा स्रोतों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना।
19. स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार एवं समीक्षा:
 - कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता, और
 - प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षक की जांच पड़ताल तथा सिफारिशों से संबंध।

20. निम्न का प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श तथा समीक्षा।
- पूर्व लेखा परीक्षा की सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के वास्तविक निष्कर्ष।
 - लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आई कोई दिक्कत तथा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध या अपेक्षित सूचना की प्राप्ति।
21. कोई अन्य कार्य करना जैसा कि लेखापरीक्षा के विचारार्थ विषय में उल्लिखित है।

दिनांक 07.08.2012 को पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के लिए अतिरिक्त विचारार्थ विषय

कॉर्पोरेट संचालन पर डीपीई के दिशा निर्देश का अध्याय-4 लेखा परीक्षा समिति के साथ व्यवहार करता है। अध्याय का खंड 4.5 में अपेक्षित है कि निम्नलिखित सूचना की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाएगी।

- क) प्रबंध विचार विमर्श और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण तथा आपरेशंस का परिणाम
- ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए पार्टी ट्रांजैक्शन से संबंधित विवरण
- ग) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंध पत्र/आंतरिक नियंत्रण निर्बलता
- घ) आंतरिक नियंत्रण निर्बलता से संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
- ड.) लेखा परीक्षा समिति से पूर्व मुख्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति या निष्कासन और
- च) मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा

समीक्षावधि के दौरान समिति में निम्न तिथियों को 4 बार बैठक की – 18.04.2012, 03.08.2012, 21.12.2012, 28.03.2013

वर्ष 2012-13 के दौरान समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें**	बैठकों में उपस्थिति ***
श्री डी. टी. जोसेफ	अध्यक्ष	4	4
श्री रंजन जैन	सदस्य	2	2
श्री भास्कर गुप्ता	सदस्य	4	4
श्री आर. एस. शर्मा	सदस्य	2	2
श्री गिरीश पिल्लई	सदस्य	1	1

**“आयोजित बैठकें” दर्शाती है कि समिति के सदस्यों की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या।

***“बैठकों में उपस्थिति” दर्शाती है कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने कितनी बैठकों में भाग लिया।

4. पारिश्रमिक समिति

- i) निगमित शासन पर डीपीई दिशा निर्देश के अध्याय 5 के संदर्भ में, दिनांक 14.06.2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 39वीं बैठक में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की 39वीं निदेशकों की बैठक (14.06.2013) और 40वीं (22.07.2013) को आयोजित बैठकों में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

रिपोर्ट तैयार करते समय, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति में श्री आर. एस. शर्मा, अध्यक्ष, श्री भास्कर गुप्ता और श्री गिरीश पिल्लई, कंपनी के अंशकालिक निदेशक, जो इसके सदस्य हैं, को शामिल किया गया है। पारिश्रमिक समिति निर्धारित सीमा के अंदर वार्षिक बोनस/चल वेतन पूल तथा नीति का निर्णय करेगी ताकि इसे कार्यपालकों तथा गैर यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों में वितरित किया जा सके। समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करेंगे।

- ii) निदेशकों की पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्त क्रियाशील निदेशक सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आई डी ए) नमूने के अंतर्गत तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन व शर्तों के अनुरूप मेहनताना लेते हैं। आई डी ए वेतनमान (2007) और भत्तों का बास्केट डीएफसीसीआईएल में कार्यान्वित है।

कंपनी बोर्ड के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा नामित) निदेशक कंपनी से कोई मेहनताना नहीं लेते हैं। वे सरकार से केवल सरकारी अधिकारी के रूप में मेहनताना लेते हैं। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए फीस लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड/उप समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या*	फीस (रुपयों में)
1.	श्री डी. टी. जोसफ	10	2,00,000
2.	श्री भास्कर गुप्ता	10	2,00,000
3.	श्री आर. एस. शर्मा	8	1,60,000

- * इसमें अंशकालिक सरकारी निदेशकों द्वारा अटैंड की गई बोर्ड/उप समिति की बैठकों (लेखा परीक्षा समिति और मानव संसाधन बैठकें) की संख्या शामिल है।

वर्ष 2012-13 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की पारिश्रमिक पैकज का प्रकटीकरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते (रूपये में)	अन्य लाभ एवं पर्स (रूपये में)	निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (रूपये में)	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस/कमिशन/अनुग्रह राशि	कुल (रूपये में)
1	श्री आर. के गुप्ता प्रबंध निदेशक	25,21,516	8,70,000	0.00	0.00	00.00	33,91,516
2	श्री एच. डी. गुजराती निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	7,75,500	2,60,000	0.00	0.00	00.00	10,35,500
3	श्री पी. एन. शुक्ला, पूर्व निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	20,58,986	3,56,613	0.00	0.00	00.00	24,15,599
4	श्री ए. के. दत्ता निदेशक (अवसंरचना)	23,50,285	7,80,000	0.00	0.00	00.00	23,50,285
5	श्री अंशुमान शर्मा निदेशक (परियोजना नियोजन)	23,02,200	7,80,000	0.00	0.00	00.00	30,82,200
6	श्री भरत सल्होत्रा पूर्व निदेशक (वित्त)	8,18,809	2,67,920	0.00	0.00	00.00	10,86,729

- टिप्पणी:**
- वेतन और भत्ते जिसमें शामिल हैं मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, सी टी ए, संपट्युरी, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, पत्रिका, टीएडीके बिजली, फर्निशिंग, व्यक्तिगत वेतन और वेतन पर बकाया।
 - अन्य लाभ और अनुलब्धियां में लीज अकोमोडेशन के भुगतान में शामिल है।

5. सामान्य बैठकें

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी बैठकों का विवरण नीचे है:

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
चतुर्थ	2009-2010	पंजीकृत कार्यालय –सभाकक्ष नं. 1, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली – 110001	29.09.2010	5.00 बजे सांय
पंचम	2010-11	कॉर्पोरेट आफिस-बोर्ड रूम, 5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली – 110001	17.09.2011	12.30 बजे दोपहर
षष्ठम	2011-12	कॉर्पोरेट आफिस-बोर्ड रूम, 5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली – 110001	26.09.2012	15.30 बजे दोपहर

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पास किए गए विशेष संकल्पों का विवरण

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	विशेष संकल्प का विषय	तारीख	समय
चतुर्थ	2009-2010	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (घ) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में पैसा उधार लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी को सहमति प्रदान की जाती है।	29.09.2010	5.00 बजे सांय
पंचम	2010-11	कोई नहीं	17.09.2011	12.30 बजे दोपहर
षष्ठम	2011-12	कोई नहीं	26.09.2012	15.30 बजे दोपहर

6. प्रकटन

- क. कंपनी को भौतिक रूप से किसी पार्टी लेन-देन में विशेष रूचि नहीं है।
- ख. नियमों के तहत गैर अनुपालन के मद्देनजर किसी सांविधिक प्राधिकार द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।
- ग. कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। दिशा-निर्देशों के अनुरूप डीएफसीसीआईएल ने अपने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र विकसित किया है और वर्ष 2012-13 के लिए निदेशक रिपोर्ट में निगमित शासन तथा प्रबंध विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट भी सम्मिलित की है।

- घ. परियोजना निष्पादन डीएफसीसीआईएल को सौंपने के उद्देश्य से व्यय की सभी मदों को डीएफसीसीआईएल के लेखों में नामे किया गया है और वे परियोजना निष्पादन से संबंधित हैं।
- ङ. निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया।
- च. प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय का कुल व्यय जो वर्ष 2011-12 में 13.45 प्रतिशत था, वर्ष 2012-13 में घटकर 12.23 प्रतिशत हो गया है।
7. संचार के साधन
- 7.1 वार्षिक परिणाम-लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम और वार्षिक रिपोर्ट डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट www.dfccil.org पर प्रदर्शित है।
- 7.2 निविदाएं/ई ओ आई पर जारी की गई सूचना और अद्यतन जानकारी, जारी किए गए निविदा/ठेकों का विवरण, प्रैस विज्ञप्ति, कंपनी का मिशन एवं उद्देश्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 7.3 कंपनी अपना त्रैमासिक न्यूजलैटर भी प्रकाशित करती है।
- 7.4 सार्वजनिक सूचना विवरणिका, फरवरी, 2012 कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड है जिसमें डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (डीएफसीसी) परियोजना की मुख्य विशेषताएं, भूमि आधिग्रहण का नीति फ्रेमवर्क, इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स, आधारभूत क्षतिपूर्ति नीति, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि. (डीएफसीसीआईएल) द्वारा यह विवरणिका आम जनता को सूचना के रूप में बांटी जाती है।
8. लेखा परीक्षा अर्हता
- कंपनी का यह प्रयास रहा है कि हम ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को हासिल करें। कंपनी ने वित्तीय विवरणों को पारदर्शी ढंग से तैयार करने में सभी प्रयास किए हैं। कोई महत्वपूर्ण योग्यताएं देखने में नहीं आई हैं।
9. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण
- डीएफसीसीआईएल अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिलाने के लिए चिंतित है। इस संबंध में, निदेशकों द्वारा बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने पर कंपनी द्वारा कागजात/बुकलेट का सेट प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम, समझौता ज्ञापन की प्रति तथा समझौता ज्ञापन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां सम्मिलित हैं। यह पदधारी को कंपनी की मूल सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समय-समय पद नामित किया जाता है।
10. व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र
- कंपनी ने बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ स्तर प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार की है जोकि निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। बोर्ड की 36वीं बैठक में निर्देश के द्वारा बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र जो 1 अप्रैल 2009 से लागू है, को डीपीई के दिशा निर्देश में सुझाये गए मॉडल कोड

ऑफ कन्वैक्ट के द्वारा बदला गया। निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के निबधन में, आचार संहिता का पालन किया गया है और वार्षिक अभिवचन सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त किया गया है। 2012-13 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि को प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को अनबंध "घ" में दिया गया है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.dfccil.org पर भी उपलब्ध है।

11. मुखविर (व्हीसल ब्लोअर) नीति

डीएफसीसीआईएल अपने कार्यों को ऊँचे पेशेवर अंदाज, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करने में विश्वास रखती है और अपने सभी कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कंपनी एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में विश्वास रखती है जहां सभी कर्मचारियों के लिए उनकी चिंताओं को अनीतिपरक प्रथाओं या कदाचार के संबंध में उठाना सुरक्षित रहेगा। कंपनी ने एक व्हीसल ब्लोअर नीति बनाई है। यह नीति समर्थ कर्मचारियों को समर्थ बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है जो कंपनी के अंदर गंभीर अनियमितताओं से संबंधित चिंताओं को बिना किसी डर के उठाना चाहते हैं। और जो प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों सहित डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित प्रकटन कवर करते हैं।

12. अनुपालन प्रमाण-पत्र

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप में निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंश है।



अनुबंध-ख

आशीष कुमार गुप्ता

कंपनी सचिव

पता: ए-16, जितारनगर, परवाना रोड, दिल्ली-110051

फोन: 011-22025417, 9312210264

ई-मेल: guptaashish 75@gmail.com

सदस्य

मैं, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 101/ए

रेल भवन, रायसीना रोड

नई दिल्ली – 110001

विषय :- केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 कि लिए कॉर्पोरेट संचालन से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट संचालन की स्थितियों के अनुपालन के प्रसंग में अनुपालन प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणपत्र डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यहां कंपनी के रूप में परिभाषित) द्वारा कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के वित्तीय वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2013 में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों (यहां दिशानिर्देश के रूप में परिभाषित) जो मई, 2010 से लागू है, के अनुपालन के संबंध में जारी किया गया है।
2. कॉर्पोरेट संचालन की नीतियों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। मेरी जांच उन प्रणालियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है जिनका कंपनी ने कॉर्पोरेट संचालन के लिए अनुपालन किया है जो दिशानिर्देशों के अनुसार है। न तो यह लेखा परीक्षा का भाग है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण (फायनेंशियल स्टेटमेंट) से संबंधित कोई टिप्पणी है। मेरा कर्तव्य है कि जो भी तथ्य दर्ज किए गए हैं उनका आकलन पेशेवर ढंग से किया जाए तथा प्रत्येक अभिलेख को संपूर्णता और यथार्थता के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
3. प्रमाणपत्र के जारी करने के उद्देश्य के लिए जिन सूचनाओं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, मेरे अनुमान के अनुसार वे सब मैंने एकत्र कर लिए हैं और आवश्यकता के अनुसार मुझे संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र तथा अभिलेख उपलब्ध कराए गए।
4. मैं, प्रमाणित करता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2013 में कंपनी ने निम्न के अतिरिक्त अपनी कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट में विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है;
क. खंड सं. 3.2 जो निदेशक मंडल संयोजन-नामित निदेशकों से संबंधित है।
ख. खंड सं. 3.6 जो आपदा प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण तथा संरक्षण से संबंधित है।
5. मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह अनुपालन इस बात का आश्वासन नहीं देता कि जिस प्रकार से प्रबंधन ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया, भविष्य में भी इस प्रकार की दक्षता तथा कार्य कुशलता के साथ कार्य करता रहेगा।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.08.2013

ह./-
(आशीष कुमार गुप्ता)
कंपनी सचिव

प्रबंधकीय विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा एवं विकास

किसी देश का संपूर्ण आर्थिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास से मापा जा सकता है। परिवहन क्षेत्र लोगों और वस्तुओं को समय से परिवहन द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रेलवे की यातायात व्यवस्था देशों की अर्थव्यवस्था में मुख्य धमनी के रूप में कार्य करती है। भारतीय रेल एकल प्रबंधन के अंतर्गत दूसरी सबसे बड़ी रेलवे के साथ-साथ एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल अपने नेटवर्क पर लाखों टन माल ले जाती है और राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत कमाती है जबकि शेष राजस्व यात्री यातायात से आता है।

भारत में रेल मंत्रालय रेल यातायात के विकास और अनुरक्षण के लिए नोडल प्राधिकरण है। यह विभिन्न नीतियों के निर्माण और रेलवे प्रणाली के संपूर्ण क्रियान्वयन की देखभाल के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा है। इसके विभिन्न व्यापारिक पहलुओं के समय के साथ व्यवहार करने के लिए भारतीय रेल ने परामर्श सेवाओं, निर्माण गतिविधियों, आई टी सेक्टर, व्यवसायिक गतिविधियों आदि के लिए कई सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए हैं। ताकि भारतीय रेल गाड़ी परिचालन और अनुरक्षण की अपनी आधारभूत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा परिचालन के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य गैर कोर गतिविधियों में कार्यकुशलता बढ़ेगी।

उसी सिद्धांत के अंतर्गत रेल नेट वर्क पर यात्री और माल यातायात को अलग करने के लिए और रेलवे नेट वर्क दुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए "डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल)" एक विशेष प्रयोजन संस्था है जिसका निर्माण डेडीकेटेड फ्रेड लाइनों की योजना और विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाने व निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए किया गया है। पश्चिमी डीएफसी जेएनपीटी से दादरी (1483 कि.मी.) तक है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड में औद्योगिक विकास के लिए तीव्र रुचि प्रकट की पश्चिमी डीएफसी के विकास के साथ-साथ और औद्योगिक विकास की क्षमता का फायदा उठाने के लिए दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएफआईडीसी) को पहले ही सौंप दिया गया है। डीएफसीसीआईएल को रेल यातायात लोजिस्टिक मेचिंग उपलब्ध कराना अपेक्षित है। पूर्वी कोरीडोर लुधियाना से दानकुनी (1834 कि.मी.) तक पावर सेक्टर और भारत के धनाढ्य राज्यों में होने वाले खाद्यान और उर्वरक जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए जीवन रेखा है। शहरी विकास मंत्रालय ने पश्चिमी कोरीडोर पर डीएमआईसीडीसी की लाइनों पर पूर्वी कोरीडोर के साथ-साथ विशेष प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र (एसपीआईआर) के विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। हाल ही में एक अंतर मंत्री समूह (आईएनजी) पूर्वी कोरीडोर के साथ अमृतसर-दानकुनी औद्योगिक कोरीडोर के विकास के लिए गठित किया गया था।

ताकत

परियोजना में भूमि अधिग्रहण ताकत की अपनी पहचान होती है। यहां तक कि दुर्गम क्षेत्रों में, महाराष्ट्र विशेष रूप ग्रेटर मुम्बई में, अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) और राज्य के राजस्व और अन्य अधिकारियों के साथ सुचारु रूप से गहन संपर्क के साथ एक सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण का एक परिणाम है। इसी तरह शुरुआत में पश्चिमी फ्रेट कोरीडोर के चरण-2 के रेवाड़ी-दादरी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खंड की घनी शहरी इलाकों में भूमि अधिग्रहण का भयंकर विरोध हुआ है, जो कि अब आसानी से हो रहा है। अत्यंत संयम और धैर्य के साथ हरियाणा राज्य के अधिकारियों और डीएफसी परियोजना अधिकारियों के प्रयासों से उपलब्ध सहायता और समृद्ध लाभांश से संभव हुआ है और अधिग्रहण विस्तार भी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है।

सामाजिक और पर्यावरण के मोर्चों पर भी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बालाजी अंबाजी वन्यजीव अभयारण्य और थोल पक्षी अभयारण्य (पश्चिमी डीएफसी पर) ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र (टीटीजेड) में बुधिया का ताल और वन विभाग की मंजूरी के लिए और एसआई मंजूरी (पूर्वी डीएफसी पर) के साथ डीएफसी के लिए सभी पर्यावरणीय संबंधित वन मंजूरी और परियोजना के अन्य छोटे पॉकेट्स की पर्यावरण मंजूरी मिल गई है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस खाते पर कोई रुकावट प्रत्याशित नहीं है।

भूमि अधिग्रहण में ताकत के अलावा, जायका द्वारा बाह्य वित्त पोषण के तथ्य पूरे चरण-1 और चरण-2 परियोजना के वित्तपोषण ऋण के हिस्से को कवर करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान यह निष्कर्ष निकाला, यह एक बड़ी उपलब्धि है। रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी प्रावधान के साथ, पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए पूरी परियोजना का वित्तपोषण के लिए गठजोड़ किया गया है। एक ही समय में, जबकि पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर मूल्यांकन परियोजना ऋण (एपीएल-1) (भाऊपुर-खुर्जा) के लिए बाह्य वित्त पोषण में हो रहा है। एपीएल-2 (भाऊपुर-मुगलसराय) के लिए विश्व बैंक से ऋण के लिए बातचीत का कार्य प्रगति पर है इसी के साथ पूर्वी फ्रेट कोरीडोर के सेक्शन पर वित्त पोषण भी हो जाएगा।

सभी पुनर्वास और पुनर्वास योजना सामाजिक प्रभाव आंकलन और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर लिए जायका द्वारा निर्धारित रूप में अधिग्रहण भूमि से संबंधित सामाजिक प्रबंधन की अन्य गतिविधियों पर किया जा रहा है जो एनटीएच (नॉन टाइटल होल्डर्स) की पहचान को छोड़कर पूरा हो चुका है, जो किया जा रहा है। आगे पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर में दादरी-खुर्जा सेक्शन की एसआईए और पर्यावरण आंकलन (ईए) रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुगलसराय-भाऊपुर (एपीएल-2) के लिए एसआईए और ईए रिपोर्टों को अपडेट कर लिया गया है। एपीएल-1 और एपीएल-2 में वन भूमि डायवर्जन के लिए वन मंजूरी प्राप्त हो गई है। वामज-इकवाल गढ़ सेक्शन के लिए आंकलन (ईएआईए) का कार्य पूरा हो चुका है, फेज-1 के लिए पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की आआरपी, लोको अनुरक्षण डिपो को अपडेट कर लिया गया है और फेज-2 को अंतिम रूप दे दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई नवम्बर 2012 में सतर्कता नियमावली और कार्य नियमावली को जारी कर दिया गया है। डीएफसीसीआईएल के लिए कार्यालय कार्यविधि नियमावली, वित्त रिपोर्टिंग नियमावली, वित्तीय लेखा नियमावली और मानव संसाधन नियमावली का कार्यान्वित कर दिया है। इन नियमावली को संगठन में दिन पर दिन के लिए प्रणालियों और कार्यविधियों के लिए अपनाया जाएगा।

निर्बलता

पिछले साल के प्रबंधन चर्चा के रूप में, संगठन में मृदु मपदंडों के अंतर्गत चर्चाओं स्पष्टता, दोषसिद्धि, आत्मविश्वास साहस और संचार (5 क्लेरिटीज) में जटिलता और परिणाम मामूली सुधार के साथ परिलक्षित होता है। साहस और दृढ़ विश्वास की कमी संगठन में मौजूदा माहौल और घटनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित किया गया था। इन मापदंडों की कमी स्पष्ट रूप से संगठन के किसी भी प्रयास में विश्वास में कमी के परिणाम से जोड़ती है। कंपनी के नेतृत्व को प्रत्येक स्तर पर साहस और दृढ़ विश्वास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे।

5 क्लेरिटीज निरंतरता पर जोर देने के साथ, डीएफसीसी के प्रयासों से बाहरी संचार में सुधार दिखाई दे रहा है और समय समय पर मीडिया द्वारा कवर किया जा रहा है। यह सरकार के डोमेन के बाहर और भीतर अन्य हितधारकों के बीच में सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान संगठन में के रूप में अच्छी तरह से आंतरिक कार्यविधियों और बाह्य सहायता के माध्यम से इनमें सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। आईएसबी मोहाली में 7.12.12 से 8.12.12 तक प्रबंधन के नवीनतम तकनीक को अधिकारियों को अवगत

कराने और उन लोगों के बीच संबंध और खुशमिजाजी को बढ़ाने के लिए नेतृत्व कौशल और रणनीतिक प्रबंधन पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यद्यपि आगे आने वाले वर्ष में इनमुट्स केंद्रित क्षेत्र के काम में निर्विघ्न निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप की आवश्यकता होगी।

डीएफसी को दोनों कोरीडोर के लिए 3338 कि.मी. में फैली 10703 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। ईस्टर्न कोरीडोर में डीएफसी संरेखण पं. बंगाल, झारखंड, बिहार, उ. प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होकर गुजरता है। वेस्टर्न कोरीडोर उ. प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरता है। भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्यों का विषय होने के कारण कंपनी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकारें/क्षेत्रीय रेलों, केंद्रीय सरकार, एनआरआरपी 2007 के प्रावधानों द्वारा विभिन्न दिशानिर्देशों को अपनाते हुए और पर्यावरण और सामाजिक विचारों के संबंध में फंडिंग एजेंसियों की आवश्यकता और परियोजना से प्रभावित पक्षों की आशाओं को पूरा करते हुए किया जाएगा। संबंधित प्राधिकारों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने में बाधा आ सकती है।

कार्य की बहुत विशेष प्रकृति के कारण, संगठन मूल पेशेवर संसाधन से अधिकारियों की अनुपलब्धता एवं पर्याप्त पेशेवर संसाधनों की कमी का अनुभव रेल मंत्रालय से कर रहा है। विभिन्न सलाहकारों की मदद से कार्य को प्रगति पर कराया जा रहा है और विभिन्न गतिविधियों के लिए रेलवे से अनुभवी सेवानिवृत्त और परिवहन पेशेवरों को सलाहकार के रूप में लगाया गया है।

सुअवसर

डीएफसी परियोजना को सीधे और परोक्ष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने, रेल परिवहन क्षमता में एक लंबी छलांग, कुशल प्रौद्योगिकी और संचालन क्षमता के बारे में लाना होगा। यहां तक कि निर्माण के चरण के दौरान, यह परियोजना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख बढ़ावा देने वाली है जो कि वर्तमान में विभिन्न उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र के लिए एक प्रमुख है। परियोजना के सफल और समय पर निष्पादन की आशा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, डीएफसीसीआईएल भारत में परिवहन के क्षेत्र में एक बदलाव को लाने की क्षमता पैदा करेगी जो कि विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए एक महान अवसर होगा। डीएफसी परिवहन संभार तंत्र में एक खेल परिवर्तक हो जाएगा। त्वरित, अनसूचित सेवाओं में संभार तंत्र काफी नीचे लाने की उम्मीद की जाती है। नेटवर्क से कुशल रेल परिवहन ऊर्जा का उपयोग करके बहुप्रतिक्षित व्यापार के लिए कुल संभार तंत्र समाधान उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

आशंका

समय पर परियोजना की डिलीवरी को सुनिश्चित करने के क्रम में, सभी स्टोक होल्डर्स और परियोजना में सम्मिलित पार्टियों जैसे रेल मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारें, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी, विश्व बैंक के साथ समन्वित प्रयासों को करने की आवश्यकता है और डीएफसी अनुमानित समापन लागत के अंदर और समय से प्रत्येक दायित्वों सुनिश्चित करते हुए का कार्य को पूरा सुनिश्चित करना होगा। डीएफसीसीआईएल में रेलवे से प्रतिनियुक्त पर छोटी अवधि के लिए कर्मचारियों निरंतरता की चुनौती खड़ी हो सकती है।

कंपनी मध्यम स्तर पर पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण संस्थागत शक्ति की कमी को भुगत रही है। कार्यात्मक बोर्ड के गठन से सभी निदेशकों और प्रबंध निदेशक के पद पर लगातार 2011 के बाद से अपनी ताकत में कमी की गई है और कार्यात्मक निदेशकों की पूरी ताकत के अभाव में विभिन्न भूमिकाओं में पहले से ही कंपनी का सुचारु कामकाज प्रभावित हो रहा है।

रणनीतियां

परियोजना में भूमि अधिग्रहण एक चुनौती होती जा रही है लेकिन संगठन की ताकत का एक ही समय बानगी, और आगे के परीक्षणों और मुसीबतों के माध्यम से समय सीमा में संगठन की अधिग्रहीत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति के अनुपालन और उसे सुनिश्चित करने की सतत रणनीति बनाने का प्रयास किया है। डीएफसी ने उनकी भागीदारी पर बल देकर पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की जरूरतों को पूरा किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पुनर्वास और पुनर्वास योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया गया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को 9 राज्यों में बढ़ाया गया है। समय से और परेशानीमुक्त अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों में भूमि अधिग्रहण की प्रगति को मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है और इससे राज्य मशीनरी के साथ अच्छा तालमेल हो रहा है।

कॉर्पोरेशन की सभी पांच "सी" पर तीव्र गति से, कंपनी चालू प्रणाली और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। एक पारदर्शी तरीके से गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा में एक कदम आगे के रूप में, कार्यालय पुस्तिकाओं और प्रक्रियाओं की संख्या यानि वित्त नियमावली, सतर्कता नियमावली, वित्त लेखा रिपोर्टिंग नियमावली और कार्य नियमावली को विकसित किया गया। "परिवर्तन प्रबंधन कार्यशाला" और "विचार मंथन सत्र" के द्वारा सहभागी प्रबंधन और परियोजना से जुड़े सभी मामलों में स्वामित्व की भावना पैदा करने की दिशा में प्रयास किये गए हैं।

दृष्टिकोण

कॉर्पोरेशन के दृष्टिकोण का दूसरा क्षेत्र है गहन सूचनायें जिससे यह लगे कि आकर्षक व्यावसायिक उद्यम की बजाय एक नौकरशाही सरकारी संगठन के रूप में विकास की दिशा में निर्माण और विकास हो। विभिन्न ऐतिहासिक कारकों के कारण जिससे कॉर्पोरेशन की कार्य संस्कृति और नैतिकता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अन्य संगठनों और पेशेवरों की सीधी भर्ती से और विभिन्न कार्यालयीय कार्यविधियों और मैनुअलों के कार्यान्वयन से कॉर्पोरेट संस्कृति में निंतर सुधार हो रहा है। डीएफसीसी अपने तीन "एस" "ईमानदारी, (Sincerity) तीव्र गति (Speed) और सफलता (Success)" के आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है जो संगठन के मिशन, विजन और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

जोखिम और चिंताएं

पूर्वी फ्रेट कोरीडोर को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। पारस्परिक संविदा के अनुपालन में जायका वित्त पोषित पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के डीमड निर्यात के तहत सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट की मांग, भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, रियायत समझौते के विभिन्न अन्य मुद्दों पर हस्ताक्षर, परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज़ अर्थात् में विश्व बैंक के साथ सहमति सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसे रेल मंत्रालय के स्तर पर शीघ्र किये जाने की जरूरत है।

कुछ क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता से संबंधित चिंताएं हैं। क्षतिपूर्ति के भुगतान या एन आर आर पी (नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसैटलमेंट पॉलिसी) के अंतर्गत अन्य लाभों के संबंध में गंभीर कठिनाईयां हैं। इसके आगे इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट विधान का अर्थ है अधिनियम के 2 वर्ष बाद भी रेल संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत नियमों की रचना जैसे अधीनस्थ विधान के रूप

में पूरा किया जाना एक गंभीर समस्या हैं। रेखीय अधिग्रहण में 09 राज्यों से गुजरकर 3000 कि.मी. के क्षेत्र के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आती हैं जिनका अधिनियम में प्रतिपादित सिद्धांतों के सीमित फ्रेमवर्क के अंदर समाधान नहीं किया जा सकता।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

किसी भी संगठन में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक आंतरिक प्रक्रिया होती है जो जोखिमों की पहचान के लिए प्रबंधकों और कर्मचारियों द्वारा प्रभावित होती है जो संगठन के मिशन के अनुसरण में सही आश्वासन प्रदान करती है, परिचालनों को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी, कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है और हानि, दुरुपयोग और नुकसान के विरुद्ध संसाधनों की सुरक्षा की जाती है।

कंपनी की आंतरिक प्रणालियां और पद्धतियां हैं जो परिचालन के कार्यान्वयन को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी, कुशलता और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करती है, जो कंपनी के आकार के साथ पर्याप्त और समनुरूप हो। यद्यपि आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है, प्रबंधन निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टें, संवैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रबंधन लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और सिफारिशों की समीक्षा करता है और जब आवश्यक होता है तो सुधारात्मक कार्रवाई करता है और सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध

डीएफसीसीआईएल का मानव संसाधन दृष्टिकोण:

मानव संसाधन किसी संगठन का बिल्डिंग ब्लॉक है। डीएफसीसीआईएल जैसे विश्व स्तरीय अवसररचना के लिए मानव संसाधन विभाग के प्रारंभिक प्रयासों में प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने, अद्यतन तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण मापदण्ड अपनाना, आकर्षक वेतन पैकेज का प्रस्ताव रखना, सहज कैरियर विकास सुनिश्चित करना। प्राथमिक ध्यान अंततः एक प्रभावी और कुशल कार्य संस्कृति के लिए तेज गति से तकनीकी प्रगति के साथ लाइन में विभिन्न मानव संसाधन विकास योजना डीएफसीसीआईएल के संगठनात्मक ढांचे के लिए केवल मेनडेट ही नहीं है बल्कि वह कंपनी के संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोड मैप निर्धारित करता है।

मानव – शक्ति जुटाव:

जहां तक मानव शक्ति जुटाव की रणनीति की बात है, आरंभिक स्तर पर भारतीय रेल से अनुभवी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने पर बल दिया गया। संगठन की दीर्घकालीन अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार से सीधी भर्ती सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को तत्काल समावेशन के अलावा प्रतिनियुक्तियों के स्थायी समावेशन को शुरु किया गया है। वर्ष 2012-13 में खुले बाजार से 200 कर्मचारियों की भर्ती की गई इन सीधी भर्ती के कर्मचारियों की ज्वाइनिंग व प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है। तत्काल समावेशन के लिए 140 पदों के लिए एक सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया और चयनित किए गए

कर्मचारियों की डीएफसीसीआईएल में ज्वाइनिंग का कार्यविधि की जा रही है। अन्य 17 पदों को तत्काल समावेशन से भरे जाने के लिए वित्त विभाग में कार्य प्रगति पर है।

डीएफसीसीआईएल की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा डीएफसीसीआईएल के लिए समय समय पर तत्काल समावेशन के शासन से छूट दी गई है। वर्तमान छूट 29.12.2015 तक है जिसमें प्रतिनियुक्ति पर 200 अराजपत्रित कर्मचारियों और 200 राजपत्रित अधिकारियों को लेने की अनुमति है। अवधि के दौरान 71 सरकारी कर्मचारियों ने डीएफसीसीआईएल में ज्वाइन किया और अन्य 50 का प्रतिनियुक्ति पर आने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मार्च-2013 तक कार्यरत प्रतिनियुक्तियों में से 67 ने डीएफसीसीआईएल में स्थायी समावेशन को स्वीकार / शामिल किया है।

उपर्युक्त मानव शक्ति के अलावा शामिल की कार्यविधि पहले से ही चल रही है, अन्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों में 156 कर्मियों के आगमन का प्रस्ताव विचाराधीन है। परिचालन चरण की आवश्यकता के लिए भी विशिष्ट स्किल-सेट मेनपावर आवश्यकता पर उनके विचार किया जा रहा है। उनके आगमन से पूर्व हमें परिचालन चरण में प्रवेश करना होगा।

डीएफसीसीआईएल की वित्त पोषित एजेंसियों द्वारा सराहना :

डीएफसीसीआईएल की आर्थिक सहायता एजेंसियों विशेष रूप से विश्व बैंक ने विभिन्न बैठकों के दौरान मानव संसाधन विभाग द्वारा संगठन के निर्माण और मानव संसाधन की विभिन्न नीतियों के विकास और स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और रिकार्ड पर रखा है।

प्रशिक्षण:

डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों और अधिकारियों के पेशेवर उन्नयन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। डीएफसीसीआईएल का प्रशिक्षण व्यापक रूप से 4 भागों में बांटा गया है:

- (i) सीधी भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण
- (ii) समाहित कर्मचारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण
- (iii) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण
- (iv) अन्य पेशेवर प्रशिक्षण

विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण:

मुख्य परियोजना प्रबंधकों (फील्ड आफिसज) और कॉर्पोरेट आफिस के समूह महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों को शामिल करते हुए मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रशिक्षण आवश्यक विश्लेषण पर आधारित एक विस्तृत प्रशिक्षण योजना तैयार की थी जिसे विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। विश्व बैंक की योजना में 275 अधिकारियों और 651 श्रमदिवसों के लिए लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

प्रशिक्षण योजना की कुछ प्रमुख बातें:

नेतृत्व कौशल और रणनीति प्रबंधन—आई एस बी

- डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों जिसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी और निदेशक शामिल हैं, के प्रशिक्षण कार्यक्रम से उम्मीदों के आई एस बी के माध्यम से किए गए निदान पर आधारित एक टेलर मेड प्रशिक्षण कार्यक्रम 37 अपर महाप्रबंधकों और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया जिसमें प्रबंध निदेशक / निदेशकों ने भी भाग लिया।
- आई एस बी मोहाली पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अधिकारियों को विभिन्न नेतृत्व शैलियों, अपनी ताकत और कमजोरी को समझने के लिए व्यक्तिगत गुणों की भूमिका, दूसरों के नजरिए को आत्मसात करने के लिए और निर्णय लेने पर इसके प्रभाव, कार्यों की प्राथमिकताओं और समय प्रबंधन को समझने में पदद मिली।

ए आई डी आई सी स्थितियों में प्रशिक्षण

- अंतर्राष्ट्रीय फिडिक प्रशिक्षक श्री जेम्स पैरी को डीएफसीसीआईएल की आवश्यकतानुसार यैलो और सिल्वर बुक में प्रशिक्षण देने के लिए लगाया गया था। प्रशिक्षण दो समूहों में दिया गया। एक में 40 वरिष्ठ स्तर के अधिकारी थे और दूसरे में 40 मध्य और कनिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल थे (20 के लक्ष्य के विरुद्ध)।
- फिडिक में प्रशिक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेंडरिंग और इसके कार्यान्वयन से संबंधित बहुमूल्य निवेश दिया है। इस प्रशिक्षण ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं में प्रयोग की जा रही मानक पद्धतियों को समझने के लिए भाग लेने वालों को समर्थ बनाया है। यह प्रशिक्षण निविदा स्थितियों के विभिन्न सैट के पीछे विवेक और तर्कों और विवेक को समझने और उनके विश्लेषण के लिए अधिकारियों को तैयार करेगा।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम में प्रशिक्षण:

- ए एस सी आई, हैदराबाद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम पर 20 व्यक्तियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- ए एस सी आई द्वारा आयोजित एल ए आर आर पाठ्यक्रम फील्ड इंजीनियरों के लिए अत्यन्त ही मददगार रहा क्योंकि इसने एल ए आर आर, भूमि की बाजारी कीमत, भूमि मूल्यांकन तकनीकें, बातचीत से हल, बेसलाइन / सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए संदर्भ की शर्तों को तैयार करने में सावधानी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य योजना की योजना बनाने और निगरानी के लिए परिचालन ज्ञान में अच्छी पद्धतियों की एक व्यापक समझ प्रदान की है। प्रशिक्षित अधिकारियों ने डीएफसीसीआईएल के लगभग 30 अधिकारियों को इस विषय पर आगे प्रशिक्षण दिया है।

मानव संसाधन विभाग में अच्छी पद्धतियों में प्रशिक्षण:

- एम डी आई, गुड़गांव के माध्यम से मानव संसाधन विभाग में 12 प्रबंधकों (4 अधिकारियों के लक्ष्य के विरुद्ध) और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए अच्छी पद्धतियों पर 2 दिनों के लिए इन हाउस प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण की काफी सराहना की गई क्योंकि इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित विभिन्न मानव संसाधन पद्धतियों को प्रस्तुत किया।

विदेश में प्रशिक्षण:

विभिन्न देशों में हैवी हॉल प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के संबंध में रहस्योद्घाटन करना। विदेश में निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किए गए/किए जा रहे हैं।

- इनोवेटिव 2012-13 महाप्रबंधक स्तर के और 1 अपर महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी ने जर्मनी में इनोवेटिव 2012 में भाग लिया।
- विद्युत कर्षण प्रणालियों पर 12वां पेशेवर विकास पाठ्यक्रम – 1 महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी ने लंदन, इंग्लैंड में विद्युत कर्षण प्रणालियों पर 12वें पेशेवर विकास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

निर्माण कानून-संविदाएं और विवाद प्रबंधन:

- लंदन, यू. के. में निर्माण कानून-संविदाएं और विवाद प्रबंधन के लिए महाप्रबंधक/समूह महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के भाग लेने की योजना है।

डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किए गए :

- दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हैवी हाल सम्मेलन
- निविदाएं और संविदा प्रबंधन 2012 पर कार्यशाला
- सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- औद्योगिक और डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के विकास पर सेमिनार
- सतर्कता में कुल गुणवत्ता पर कार्यशाला
- मानव संसाधन शिखर सम्मेलन 2013-बिल्डिंग बिजिनस लीडरशिप में थीम रोल
- इंजीनियरिंग संविदाओं में विवाद संकल्प

- 2020 में रेल : सार्वजनिक निजी भागीदारी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- कार्पोरेट गवर्नेंस पर 9वां कार्यक्रम
- हरित ऊर्जा सम्मेलन 2013
- वित्तीय मॉडलिंग पर कार्यशाला
- विदेशी मुद्रा परिवर्तन और जोखिम प्रबंधन पर एम डी पी

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सी पी एस ई को निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में सी एस आर बजट का निर्माण करना पड़ेगा। बजट की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कर (पीएटी) के बाद शुद्ध लाभ पर निर्भर करेगी। क्योंकि डीएफसीसीआईएल निर्माण प्रगति पर है, डीएफसीसीआईएल के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वह सी एस आर के लिए बजट की व्यवस्था करें। किंतु यह निर्णय लिया गया था कि एक छोटी धनराशि सी एस आर के लिए रखी जा सकती है और प्रयोगात्मक आधार पर प्रयास किया जाए ताकि परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को लाभ दिया जा सके। इसलिए डीएफसीसीआईएल ने परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2012-13 के दौरान सी एस आर के अंतर्गत उनके बीच उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी एजेंसियों (जन शिक्षण संस्थान, आई टी आई) और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

संबंधित मुख्य परियोजना प्रबंधकों के नियंत्रणाधीन डीएफसीसीआईएल की निम्नलिखित चार क्षेत्रीय इकाइयों का वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के बीच उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी सीएस आर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया था :

1. परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सूरत
2. परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इलाहाबाद (प)
3. परियोजना कार्यान्वयन इकाई, टूंडला
4. परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अजमेर

महिलाओं को समान अवसर अपलब्ध कराने के लिए लिंग समानता पर विचार किया गया था। महिलाओं के विकास के लिए उनके कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के लिए डीएफसीसीआईएल ने महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं लांच की जिनका उद्देश्य महिलाओं की कौशल प्रशिक्षण में सहभागिता बढ़ाना था। विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किए गए और नौजवान महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए।

मुख्य व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं में शिल्पकला प्रशिक्षण, प्रशिक्षु प्रशिक्षण, निपुण कामगरों के लिए प्रशिक्षण शामिल थीं। जिन मुख्य क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया वे निम्नलिखित हैं :

1. निर्माण
2. इलेक्ट्रिकल
3. वातानुकूलन और गृह उपकरणों की मरम्मत
4. उत्पादन और निर्माण
5. सूचना तकनीक
6. वस्त्र निर्माण
7. ऑटोमोटिव एवं मोटर वाइंडिंग
8. बाक्स एवं कैंडल मेकिंग
9. टंकण एवं आशुलिपि
10. इलेक्ट्रीशियन
11. फेब्रिकेशन एवं वैल्डिंग

उपर्युक्त कार्योन्मुख ट्रेडों में कुल 891 पी ए पी को वर्ष 2012-13 में सी एस आर के लिए 18 लाख रु. की राशि आबंटित की गई।



प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल जन शिक्षण संस्थान, खरवा (राजस्थान) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुओं से बात चीत करते हुए



प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल जन शिक्षण संस्थान, खरवा (राजस्थान) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुओं से बात चीत करते हुए

डीएफसीसीआईएल द्वारा विद्यार्थियों के साथ-साथ संस्थान को सहयोग प्रदान करने के लिए, कुछ उपकरण जैसे ड्रिलिंग/वैल्विंग माशीन, ड्राइंग बोर्डस, मेज आदि को उपलब्ध करवाया गया है।

डीएफसीसीआईएल ने वित्त पोषण एजेंसी के परामर्श से डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर में मुआवजा नीति, मैट्रिक्स पात्रता आदि की सूचना के प्रसार में न केवल पीएपी के आत्मविश्वास के निर्माण में एक सक्रिय रणनीति अपनाई, मुआवजे से संतुष्ट नहीं होने के मामलों में उन्हें उनके अधिकारों एवं सुविधाओं के बारे में सूचना भी उपलब्ध करवाई है। ऐसे कदमों को लेने का मुख्य उद्देश्य है कम्यूनिकेशन गैप को भरना और परियोजना से संबंधित आर आर पी नीति को पारदर्शी तरीके से कार्यान्वित करना और अंशधारकों की जागरूकता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य के लिए सभी परियोजना अधिकारियों की अपनी कार्य स्थल यात्रा के दौरान परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ विशिष्ट गैर सरकारी संगठनों से बातचीत होती है जो परियोजना क्षेत्रों में आर आर पी की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किए गए हैं। विश्व बैंक के लेखा परीक्षकों की यात्रा के दौरान, यात्रा कर रहे अधिकारियों द्वारा इन प्रयासों की सराहना की गई।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण :

डीएफसीसीआईएल का पर्यावरणीय अनुकूल दृष्टिकोण उसके द्वारा लिए गए कदमों से झलकता है जैसे कि डीएफसी ने संवेदनशील वनभूमि और सामाजिक प्रभावों से बचते हुए पर्यावरण को बचाने और उसे कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए संरक्षण का सावधानीपूर्वक चयन किया है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन विश्व बैंक और जायका सुरक्षा नीति को पूरा करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर के लिए आयोजित किए गए। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, बालाजी अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य और थोल पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित पश्चिमी डीएफसी के लिए सभी पर्यावरणीय क्लीयरेंस के साथ वन विभाग से संबंधित क्लीयरेंस और परियोजना की स्मालर पाकेज में अन्य पर्यावरणीय क्लीयरेंस का पता लगाया गया और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस कारण कोई बाधा आने की संभावना नहीं है। सभी आर आर पी, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और पश्चिमी डीएफसी के लिए जायका द्वारा निर्धारित भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामाजिक प्रबंधन की अन्य गतिविधियां एन टी एच (नोन टाइटल होल्डर्स) की पहचान को छोड़कर, जो अभी चल रही है, पूरी कर ली गई हैं। दादरी-खुर्जा सेक्शन की एस आई ए और ई ए रिपोर्ट तैयार की गई थीं, मुगलसराय-भाऊपुर (ए पी एल-2) के लिए एस आई ए और ई ए रिपोर्ट अद्यतन की गई थीं, मूल्यांकन (ई एस आई ए) पूरा कर लिया गया है और वमाज-इकबालगढ़ सेक्शन रेवाड़ी इंजन अनुरक्षण डिपो, रेवाड़ी के लिए अंतिम रूप दिया गया। चरण-। के लिए पश्चिमी डीएफसी के आर आर पी अद्यतन किए गए और चरण-।। के लिए अंतिम रूप दिया गया।

ईआईए के अध्ययन से डीएफसी के कारण वाटर बोडीज, वन्यजीव, फ्लोरा एवं फोना, व्यापक वायु गुणवत्ता, मिट्टी और ध्वनि और कंपन प्रदूषण का प्रभाव नहीं के बराबर है। रिपोर्ट में उपयुक्त शमन उपाय और पर्यावरण प्रबंधन योजना की सिफारिश की गई है। ईआईए रिपोर्टों में पर्याप्त रूप से रास्ते को साफ करने के लिए पेड़ों की कटाई, क्षतिपूर्ति के लिए पेड़ों को लगाना और सिलोकोन एक्सपोजर रिडक्शन नीति बनाई गई है।

कार्यान्वयन स्तर पर डीएफसीसीआईएल पहले ही फ्रेट कोरीडोर के निर्माण और परिचालन के कारण अपरिहार्य कारणों को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध है। ऐसे सभी कदम और उपाय जो वन्यजीव और वाटर बोडीज आदि की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक थे, इसकी प्रापण योजनाओं के लिए बनाए गए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण बचाव और परियोजना के लिए न्यूनतम यार्डस्टिक उपलब्ध कराने के लिए एक एस एच ई नियमावली सभी पक्षों को जारी की गई है।

ऊर्जा संरक्षण के मोर्चे पर, कार्यालय भवन में सभी उपभोगकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों द्वारा ऊर्जा संरक्षण को मैनेज करते हुए संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप भवन में औसत उपभोग में उल्लेखनीय कमी आई और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी द्वारा कार्यालय भवन को दिल्ली में चौथे ऐसे भवन को 4 स्टार रेटिंग मिलने में मदद मिली। 4 के डब्ल्यू एच प्रति वर्ग मीटर से अधिक की कमी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस श्रेणी में (वर्तमान में केवल दो) चयनित कार्यालय भवनों की सूची में शामिल होने के लिए 5 स्टार की उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

अनुबंध घ

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, राम कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारीगणों ने 2012-13 के दौरान संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2013

ह/-
(राम कुमार गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2013 के अनुसार संतुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	नोट सं.	31. 03. 2013 के अनुसार	31. 03. 2012 के अनुसार
I. इक्विटी एवं देनदारी			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	1,96,505.00	77,429.00
(ख) आरक्षित एवं बचत	4	-	-
(2) शेयर आवेदन धन	5	74,269.00	39,076.00
(3) गैर चालू देनदारियां			
(क) दीर्घावधि के उधार	6	9,427.74	9,348.94
(ख) अन्य दीर्घावधि की देनदारियां	7	2,141.43	666.78
(ग) दीर्घावधि के प्रावधान	8	47.84	9.87
(4) चालू देनदारियां			
(क) अन्य चालू देनदारियां	9	10,742.04	9,882.96
(ख) अल्पावधि प्रावधान योग	10	7.71	0.13
		2,93,137.75	1,36,413.68
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां	11		
i. मूर्त परिसंपत्तियां		672.41	772.38
ii. अमूर्त परिसंपत्तियां		41.10	33.66
iii. कार्यगत पूंजी		98,438.49	65,711.78
iv. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		1,572.72	-
v. विकासाधीन परिसंपत्तियां		268.92	47.66
(ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	1,31,222.07	22,858.70
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकद और बैंक शेष	13	54,192.34	41,898.48
(ख) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	5,227.87	2,932.43
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां योग	15	1,501.84	2,158.59
		2,93,137.75	1,36,413.68

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग है हमारी रिपोर्ट की उसी तारीख से संबंधित यह तुलन पत्र है।
कृते जैन चोपडा एंड कंपनी

निदेशक मंडल की ओर से

चार्टर्ड एकाउंटेंट
ह/-
सीए राजेश कुमार
पार्टनर
सदस्यता सं. 501860
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002198 N

ह/-
(आर. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-
(एच. डी. गुजराती)
निदेशक/परिचालन एवं
व्यवसाय विकास

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2013

ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2013 के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(राशि लाख में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व			
I. परिचालनों से आय			
II. अन्य आय		-	-
III. कुल राजस्व (I + II)	5	1,992.66	984.57
खर्चे		1,992.66	984.57
कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च	18	-	-
वित्तीय लागत	18 ए	-	-
घोषणा एवं परिशोधन खर्च	18 बी	-	-
अन्य खर्च	18 सी	-	-
IV. कुल खर्च		-	-
V. अपवाद और असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (III - IV)		1,992.66	984.57
VI. अपवाद मदें		-	-
VII. असाधारण मदों और कर से पूर्व का लाभ (V - VI)		1,992.66	984.57
VIII. असाधारण मदें		-	-
IX. कर पूर्व लाभ (VII - VIII)		1,992.66	984.57
X. कर खर्च:			
1. चालू कर		642.22	310.53
2. आयकर (गत वर्ष)		0.90	0.91
3. आस्थगित कर		-	-
XI. परिचालन के जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/हानि (IX - X)		1,349.54	673.13
(क) विकास चाते में स्थानांतरित		1,349.54	673.13
XII. परिचालन के जारी न रहने से लाभ		-	-
XIII. परिचालन के जारी न रहने से कर खर्च		-	-
XIV. परिचालन के जारी न रहने से लाभ/हानि (XII - XIII)		-	-
XV. अवधि के लिए लाभ/हानि (XI+XIV-(A))		-	-
XV. प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 1000 प्रत्येक)		-	-

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट में लाभ और हानि का यह विवरण उल्लिखित है।

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी

निदेशक मंडल की और से

चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह/-

सीए राजेश कुमार
पार्टनर

सदस्यता सं. 501860

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002198 N

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.07.2013

ह/-

(आर. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-

(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

ह/-

(एच. डी. गुजराती)
निदेशक/परिचालन एवं
व्यवसाय विकास

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13 (राशि रुपयों में)	2011-2012 (राशि रुपयों में)
1.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह कर के बाद शुद्ध लाभ ह्रास के लिए समायोजन कर खर्च के लिए समायोजन चालू पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन: अन्य प्राप्त राशियों में वृद्धि / कमी वर्तमान देयताओं में कमी / वृद्धि प्रावधान में कमी / वृद्धि परिचालन गतिविधियों से अर्जित / प्रयुक्त नकदी आयकर प्राप्त / अदा किया गया परिचालन गतिविधियों (क) से (प्रयोग में) नकदी प्रवाह:-	(6,012.10) 2,376.27 - (3,635.83) (868.99) (4,504.82)	(2,621.74) (1,360.80) - (4,012.54) (353.70) (4,366.24)
2.	पूंजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:- कार्यगत पूंजी सहित स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद एवं पूंजी कार्य प्रगति स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पूंजी अग्रिम में कमी / बढ़ोत्तरी वित्तीय गतिविधियों (ख) से अर्जित / प्रयुक्त नकदी	(34,357.93) 8.57 (1,07,494.38) (1,41,843.74)	(29,213.77) 16.74 (3,980.66) (33,177.69)
3.	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:- शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त धनराशि शेयर आवेदन से प्राप्त धनराशि दीर्घकालीन उधार की राशियां वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी / अर्जित की गई नकदी रोकड़ और रोकड़ समकक्षा में शुद्ध वृद्धि / कमी (ए+बी+सी) वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ और रोकड़ समकक्ष रोकड़ और रोकड़ समकक्ष नकद और चैक अनुसूचित बैंकों में शेष राशि चालू खाते में सावधि जमा खाते में	80,000.00 74,269.00 - 1,54,269.00 7,920.44 41,036.64 48,957.09 - 9,856.91 58,814.00 48,957.09	10,716.00 39,076.00 5,599.73 55,391.73 17,847.80 23,188.84 41,036.64 - 16,157.03 24,879.61 41,036.64

नोट:- 1. नकदी और नकदी समकक्ष सावधि जमा / एसएलएओ खातों में MOR की ओर से आयोजित चालू खाता शेष शामिल नहीं है। 855.53 लाख, सुरक्षा रु. 379.72 लाख और एफडीआर के रूप में एफडीआर गिरवी (3 माह से अधिक का मूल परिपक्वता के साथ) रु. 4000 (पिछले वर्ष में रु. 482.12 लाख, रु. 379.72 और क्रमशः निल) उनके शेष में पिछले वर्ष के बदलाव अन्य प्राप्ति में बढ़ोत्तरी / कमी दर्शाते हैं।

समसंबंधक तिथि की हमारी रिपोर्ट में यह नकद प्रवाह विवरण उल्लिखित है।

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह/-

सीए राजेश कुमार
पार्टनर

सदस्यता सं. 501860

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002198 N

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2013

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(एच. डी. गुजराती)
निदेशक / परिचालन एवं
व्यवसाय विकास

ह/-

(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरण से टिप्पणियां:

1. सामान्य सूचना

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक संस्था है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

2.1 वित्तीय विवरण (स्टेटमेंट) तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) के अंतर्गत लागू प्रावधानों और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत मानक के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत एक संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं।

2.2 आंकलनों का प्रयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन ऐसे आंकलन और अभिधारणाएं करें जो प्रस्तुत किए गए वर्षों के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशियां तथा वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई परिसंपत्ति और देयताओं की राशि और आनुशंगिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण पर प्रभाव डालते हों। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन और वास्तविकता में होने वाले अंतर को चालू और भविष्य की लेखा अवधि में समायोजित किया जाता है।

2.3 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर आधारित लेखा मानक "3" में निर्धारित अप्रत्यक्ष तरीके से तैयार किया जाता है और नकद प्रवाह परिचालन निवेश और वित्तीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है।

2.4 अवधि पूर्व मर्दें

अवधि पूर्व मर्दें जो चालू अवधि में अवधि पूर्व वित्तीय विवरणों को तैयार करने के फलस्वरूप भूल या गलती से उत्पन्न होती है, को अलग से वर्तमान वित्तीय विवरणों में दिखाया जाता है। बहरहाल, वास्तविक आय/व्यय में उत्पन्न होने वाले अंतर यदि अवधि पूर्व के अनुमान से अधिक या कम होते हैं तो उन्हें अवधि पूर्व आय/व्यय के रूप में पेश नहीं किया जाता।

पिछले वर्ष से संबंधित प्रत्येक मामले में 50,000 रु. तक की आय/व्यय को वर्तमान वर्ष की आय/व्यय के रूप में दिखाया जाता है और पिछले वर्ष से संबंधित प्रत्येक मामले में 50,000 रु. से अधिक आय/व्यय को अवधि पूर्व खर्चों के रूप में दिखाया जाता है।

2.5 राजस्व मान्यता

राजस्व की मान्यता गतिविधि की प्रकृति के आधार पर की जाती है जब विचार सही पाया जाता है और इसकी वसूली की निश्चितता सही पाई जाती है।

- बैंक जमा पर ब्याज को समय समानुपात के आधार पर बुक किया जाता है।
- आय की अन्य मर्दों को उनके प्राप्त करने के अधिकार के समय लेखाबद्ध किया जाता है।
- सेवा शुल्क आय को संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है।
- वास्तविक वसूली के समय द्रव्यता क्षति की पहचान की जाती है।

2.6 स्थायी परिसंपत्तियां और अवमूल्यन

- (क) स्थायी परिसंपत्तियां ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले व्यय संबंधित परिसंपत्ति के साथ पूंजी में शामिल कर लिए जाते हैं।
- (ख) परिसंपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण पर हुई सभी विकास संबंधी लागत जो रेलवे अवसंरचना का भाग है, पूंजी में शामिल कर ली गई है और उसे किसी पूरी कर ली गई परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष लागत के समानुपात में आनुपातिक आधार पर वितरित कर दिया गया है।
- (ग) स्थायी परिसंपत्तियों की वृद्धि/कमी पर अवमूल्यन का प्रावधान वृद्धि/कमी होने की तारीख से समानुपातिक आधार पर किया जाता है।
- (घ) अवमूल्यन का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में उल्लिखित कम की जाने वाली मूल्य विधि के अनुसार किया जाता है। निम्नलिखित को छोड़कर जिन पर परिसंपत्तियों की अनुमानित आयु पर सीधी रेखा विधि पर समानुपातिक आधार पर अवमूल्यन का निर्धारण किया जाता है:

लैपटॉप	30.00%
मोबाइल	90.00%

(ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां और ऋणपरिशोध

- (i) कंप्यूटर एंटीवायरस साफ्टवेयर का इसकी आयु के लिए ऋणशोधन किया जाता है, अर्थात् समानुपातिक आधार पर एक वर्ष।
- (ii) एंटीवायरस के अतिरिक्त अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का ऋणशोधन तीन वर्ष के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाता है।

(च) पट्टाधार परिसर का सुधार

पट्टाधार परिसर का सुधार ऋणपरिशोधन इन सुधारों के आरंभ होने से पट्टाधार (लीज) की अवधि के दौरान किया जाता है।

2.7 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा का संव्यवहार विनिमय की उस दर पर किया जाता है जिस दिन संव्यवहार किया जाता है। वर्ष के अंत में बकाया सभी वित्तीय मदों का संव्यवहार वर्ष के अंत में किया जाता है।

2.8 कर्मचारियों के हित लाभ

(क) अल्पावधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ

सभी कर्मचारियों के हित लाभों को सेवा के बारह महीनों के भीतर पूर्ण किया जाता है उनका वर्गीकरण अल्पावधि के हित लाभों में किया जाता है। अनुपस्थिति जैसे अल्पावधि के हितलाभों की क्षतिपूर्ति की पहचान कर्मचारी की संबंधित सेवा अवधि में की जाती है।

(ख) दीर्घावधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ

- (i) उपादान से संबंधित प्रावधान/देयताओं का निर्धारण प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और विकास लेखे में प्रभारित होता है।
- (ii) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के लिए फारेन सर्विस कन्ट्रीब्यूशन से संबंधित प्रावधान/देयताओं का निर्धारण सरकार के नियमों/विनियमों के आधार पर किया जाता है और विकास लेखे में प्रभारित होता है।

2.9 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार लागत उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में निकाली जाती है। अन्य उधार लागतों की पहचान उन खर्चों के आधार पर की जाती है। जिसमें वे किए जाते हैं।

2.10 पट्टे (लीज) का लेखा

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टे की व्यवस्थाएं उन संचालित पट्टों के लिए हैं जो कार्यालय तथा निवास स्थानों के लिए की जाती है। जिन पट्टाधार स्थानों के प्रबंध को रद्द नहीं किया जा सकता उनकी अवधि प्रायः ग्यारह महीने से तीन साल तक होती है और आमतौर पर इनका नवीकरण आपसी सहमति से शर्तों पर हो जाता है। पट्टे के किराये को सामान्यतः किराये के रूप में दिया जाता है।

2.11 आय पर कर

चालू वर्ष के लिए आय पर कर का निर्धारण कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है और टैक्स क्रेडिट की गणना आयकर अधिनियम, 1961 और मूल्यांकन/अपील के संभावित परिणाम पर आधारित प्रावधान के अनुसार की जाती है।

आस्थगित कर की पहचान आय और वर्ष की कर योग्य आय के बीच अन्तर पर की जाती है और संतुलन पत्र की तारीख से कर दरों और वास्तविक रूप से लागू कानूनों का परिणाम निर्धारित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान वास्तविक सुनिश्चितता की मात्रा पर की जाती है जो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है उनकी तुलना में पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

2.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

देयताओं की पहचान का प्रावधान वास्तविक डिग्री के प्राक्कलन के प्रयोग द्वारा ही किया जाता है, यदि

- (क) कंपनी पर गत समय का दायित्व हो;
- (ख) दायित्व के निपटारे के लिए एक संभावित निःस्राव की संसाधनों की संभावना हो; और
- (ग) दायित्व की राशि का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्न मामलों में हो सकता है:

- (क) पूर्व की घटनाओं से कंपनी पर कोई दायित्व लगा हो जबकि दायित्व के निपटारे के लिए एक संभावित निःस्राव की संसाधनों की संभावना की आवश्यकता नहीं होगी;
- (ख) पूर्व की घटनाओं से कंपनी पर कोई दायित्व लगा हो जबकि सही अनुमान लगाना संभव न हो;
- (ग) पूर्व की घटनाओं से कंपनी पर कोई दायित्व लगा हो जहां संभावित निःस्राव के संसाधन स्वचलित न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती है, प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र में की जाती है।

3. शेयर पूंजी (राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
अधिकृत शेयर पूंजी		
4,00,00,000 (गत वर्ष 4,00,00,000)	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00
इक्विटी शेयर 1000 / – प्रति शेयर		
	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
1,96,50,500 (गत वर्ष 4,00,00,000)	1,96,505.00	77,429.00
इक्विटी शेयर 1000 / – प्रति शेयर		
	1,96,505.00	77,429.00

3.1 इक्विटी शेयरों के मिलन की संख्या

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार		31 मार्च 2012 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि लाख रूपयों में	शेयरों की संख्या	राशि लाख रूपयों में
वर्ष के प्रारंभ में शेष	77,42,900	77,429.00	55,91,300	55,913.00
जमा: वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	1,19,07,600	1,19,076.00	21,51,600	21,516.00
वर्ष के अंत में शेष	1,96,50,500	1,96,505.00	77,42,900	77,429.00

3.2 कंपनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक धारण किए गए शेयर धारकों द्वारा शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार		31 मार्च 2012 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	धारण किए गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या	धारण किए गए शेयरों का %
इक्विटी शेयर:				
भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय)	1,96,50,494	99.99%	77,42,894	99.99%

3.3 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न अधिकार एवं प्राथमिक शेयर

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों के रूप में केवल एक ही श्रेणी है जिनकी मूल्य 1000 रु. प्रति शेयर है। एक इक्विटी शेयर रखने वाले को एक वोट का अधिकार है। कंपनी की द्रव्यता के मामले में, शेयर धारक समस्त प्राथमिक राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के लिए हकदार होंगे।

4. आरक्षित एवं अधिशेष

कंपनी के निर्माण स्तर पर होने के कारण ब्याज आय से होने वाली बचत और सुविधा प्रबंधन प्रभार आय कार्यगत पूंजी की तुलना में निर्धारित की जा रही है, इस प्रकार आरक्षित एवं बचत में कोई शेष नहीं है।

5. शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन

(क) शेयर आवेदन धन के संबंध में समपार मूल्य पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को रेल मंत्रालय से प्राप्त किया गया था जिसकी प्राप्त राशि 74,269 लाख रु. (पिछले वर्ष में रु. 39,076 लाख था) था है। उपर्युक्त शेयर आवेदन धन 22.02.13 को प्राप्त किया गया था।

(ख) प्राप्त किए गए ऐसे शेयर आवेदन धन में से शेयरों के आबंटन पर शेयर पूंजी राशि को कवर करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है। दिनांक 31.3.2013 तक कोई शेयर आवेदन धन आबंटन ओवर ड्यू नहीं है।

6. दीर्घ कालीन उधार राशियां (राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
अन्य से अवधि ऋण		
असुरक्षित ऋण		
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण		
(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण)	8,102.00	8,102.00
ईएपी/आईबीआरडी परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण	1,325.75	1,246.94
योग	9,427.74	9,348.94

6.1 पुनर्भुगतान की शर्तें (ईएपी/जायका ऋण)

जायका से प्राप्त ऋण को वित्त मंत्रालय द्वारा सकल बजटरी सहायता से बाहरी सहायता प्राप्त घटकों के रूप में रेल मंत्रालय को दिया जा रहा है। इस राशि को डीएफसीसीआईएल को उन्हीं शर्तों पर ऋण के रूप में दिया जाएगा। इसलिए रेल मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को ऋण अवधि पर 7% की दर से लाभांश दिया जाएगा। इसलिए डीएफसीसीआईएल को ऋण राशि पर 7% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। यह ब्याज पहले 10 वर्षों (ऋण स्थगन अवधि) के लिए लगेगा और पहले 10 वर्षों के बाद ग्यारहवें वर्ष से नियमित ब्याज के साथ 10 समान किश्तों में रेल मंत्रालय को देय होगा। तदनुसार कंपनी ने रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर 7% की दर साधारण ब्याज का प्रावधान बनाया है।

6.2 पुनर्भुगतान की शर्तें (ईएपी/आईआरबीडी ऋण)

भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक से 975 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.10.2011 को ऋण करार किया है। जिसका उपयोग पूर्वी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर के खुर्जा-कानपुर सेक्शन पर 343 कि.मी. के डबल ट्रैक विद्युतीकृत लाइन के संस्थागत विकास गतिविधियों और डिजाइन, निर्माण और शुरू करने के लिए किया जाएगा।

ऋण करार की शर्तों के अनुसार डीएफसीसीआईएल को परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में चिन्हित किया गया है। डीएफसीसीआईएल ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए दिनांक 27.10.2011 को बैंक के साथ परियोजना करार किया है। इसके अतिरिक्त डीएफसीसीआईएल द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को डीएफसीसीआईएल को रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के माध्यम से भारत सरकार के बीच एक सहायक ऋण करार के अंतर्गत उपलब्ध ऋण से कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2013 को बकाया ऋण से संबंध में पिछले वर्ष में चार्ज की गई फ्रंट एंड शुल्क के लिए यूएस डालर में राशि 2437500 है और यह 31 मार्च 2013 को प्रिवेलिंग एक्सचेंज दर जैसी है।

7. अन्य दीर्घावधि देनदारियां (राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
व्यापार देय		
अन्य		
(i) ईएपी पर रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर न दिया जाने वाला उपार्जित ब्याज	977.50	410.36
(ii) विविध जमा (आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त जमानत राशियां)	138.40	256.41
(iii) जमा के विरुद्ध ग्राहकों से अग्रिम की प्राप्ति	25.52	-
योग	2,141.43	666.78

• "सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में दी गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों जिनसे कंपनी ऋण देती है, पर उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई देय नहीं है।

8. दीर्घकालीन प्रावधान (राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेज्यूटी के लिए प्रावधान	24.21	9.87
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	23.63	-
(ख) अन्य प्रावधान		
योग (क) + (ख)	47.84	9.87

8.1 कर्मचारी लाभ:

क) उपदान

31.03.2013 तक, परिणत मूल्यांकन के अनुसार उपादान के दायित्व का प्रावधान रखा गया है।

उपादान का लाभ कर्मचारी को कंपनी से अलग होने पर मिलता है। उपादान का भुगतान उपादान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपादान की राशि का आधार सेवा की कुल अवधि और सेवा समाप्ति के समय वेतन के आधार पर होता है। इस लाभ में पांच वर्ष की निहित अवधि होती है।

सेवा निवृत्त लाभ (उपादान) पर वर्तमान कीमत के प्रारंभिक एवं समाप्ति शेषों के मिलान और आरोपित अवधि के दौरान प्रभाव निम्नलिखित हैं—

दायित्व के वर्तमान मूल्य में: (राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	10.01	3.13
ब्याज लागत	0.80	0.27
वर्तमान सेवा लागत	8.95	2.93
दिया गया लाभ	-	-
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	6.18	3.38
अंतिम शेष	25.94	10.01

पहचान किए गए खर्चे:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
ब्याज लागत	0.80	0.27
वर्तमान सेवा लागत	8.95	2.93
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	6.18	3.38
अंतिम शेष	15.93	6.88

संतुलन पत्र में पहचाने गए दायित्व में संचलन

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायित्व	10.01	3.13
उपर्युक्त खर्चे	15.93	6.88
दिया गया लाभ	-	-
योजना संपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
समापन शुद्ध दायित्व	25.94	10.01
के अंतर्गत पहचाने गए:		
दीर्घकालीन प्रावधान	24.21	9.87
अल्पकालीन प्रावधान	1.73	0.13
योग	25.94	10.01

परिणत धारणाएं

	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली	परियोजना यूनिट क्रेडिट प्रणाली
छूट की दर	8.00%	8.50%
वेतन वृद्धि दर	3.00%	3.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (1994-96)	आईएएलएम (1994-96)

ख) छुट्टी नकदीकरण:

दिनांक 31.03.2013 को बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए छुट्टी नकदीकरण के दायित्व का प्रावधान कर दिया गया है।

जिन कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और वे नकदीकरण के योग्य होते हैं उन्हें निश्चित सीमा एवं अन्य शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

दायित्व की वर्तमान राशि जिसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष होता है, का मिलान किया जाता है और निम्नानुसार प्रत्येक अवधि के दौरान निश्चित किया जाता है।

दायित्व के मूल्य में प्रस्तुत करने के लिए बदलाव

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	-	-
ब्याज लागत	-	-
चालू सेवा लागत	36.61	-
लाभांश का भुगतान	-	-
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	-	-
अंतिम शेष	26.61	-

पहचान किए गए खर्चे

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
ब्याज लागत	-	-
चालू सेवा लागत	26.61	-
दायित्व पर परिणत (लाभ)/हानि	-	-
पहचान किए गए खर्चे और विकास लेखा में स्थानान्तरित किए गए	26.61	-

तुलनपत्र में पहचान किए गए दायित्व में संचलन:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
शुद्ध प्रारंभिक दायित्व	-	-
उपर्युक्तानुसार खर्च	26.61	-
लाभ का भुगतान	-	-
प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
शुद्ध अंतिम दायित्व	26.61	-
के अंतर्गत पहचाने गए:		
दीर्घकालीन प्रावधान	23.63	-
अल्पकालीन प्रावधान	2.98	-
योग	26.61	-

बीमांकित धारणाएँ

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
मूल्यांकन की प्रणाली	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट प्रणाली	-
डिस्काउंट दर:	8.00%	-
वेतन वृद्धि दर:	3.00%	-
मृत्यु दर:	आईएएलएम (1994-96)	-

अन्य चालू देनदारियाँ

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
(i) उपर्जित राशि और निष्पादन सुरक्षा जमा	320.50	46.58
(ii) भूमि के लिए अग्रिम (एस एल ए ओ लेखा को स्थानांतरण के लिए लंबित)	905.41	114.39
(iii) जमा कार्य के विरुद्ध ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	6.48	6.48
(iv) रेल मंत्रालय को देय (एस एल ए ओ बैंक खाते पर ब्याज और टीडीएस के लिए)	672.27	481.10
(v) अन्य देय*	8,750.53	8,745.83
(vi) विविध जमा (आपूर्तिकर्ता और सेवादाताओं से प्राप्त जमानत राशियाँ)	82.21	485.19
(vii) आई आर बी डी पर रेल मंत्रालय से ऋण पर उपार्जित ब्याज	4.63	3.38
योग	10,742.04	9,882.96

“सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006” में दी गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों जिनसे कंपनी ऋण देती है, पर उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई देय नहीं है।

10. अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान		
उत्पादन के लिए प्रावधान	1.73	0.13
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	2.98	-
(ख) अन्य प्रावधान	-	-
योग (क) + (ख)	4.71	0.13

वित्तीय विवरण से टिप्पणियां:

11 स्थाई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का ब्लाक	सकल ब्लाक			अवमूल्यन				शुद्ध ब्लाक		
	31 मार्च, 2012 तक लागत	अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी/समायोजन	31 मार्च, 2013 तक लागत	1 अप्रैल, 2012 तक अवमूल्यन	वर्ष के लिए प्रसार	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के लिए प्रसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति	31 मार्च, 2013 की स्थिति
1. मूर्त परिसंपत्तियां										
(i) पट्टाधारी परिसर का सुधार	1,003.22	71.22	-	1,074.44	782.75	244.98	-	1,027.73	46.71	220.47
(ii) ईंधीपी परिसंपत्तियां	330.78	98.92	10.93	418.77	189.53	65.79	6.74	248.58	170.20	141.25
(iii) कार्यालय उपस्कर	459.80	87.46	5.40	541.86	193.19	59.03	3.94	248.28	293.57	266.60
(iv) फर्नीचर एवं फिक्सचर	225.97	54.74	1.58	279.13	81.91	35.62	0.34	117.19	161.94	144.06
योग (क)	2,019.76	312.34	17.91	2,314.20	1,247.38	405.42	11.01	1,641.79	672.41	772.38
2. अमूर्त परिसंपत्तियां										
(i) कंप्यूटर साफ्टवेयर	97.52	23.09	-	120.61	63.85	15.66	-	79.51	41.10	33.66
योग (ख)	97.52	23.09	-	120.61	63.85	15.66	-	79.51	41.10	33.66
जोड़ (क) + (ख)	2,117.28	335.44	17.91	2,434.81	1,311.24	421.08	11.01	1,721.30	713.51	806.04
विगत वर्ष	1,828.47	315.34	26.53	2,117.28	840.61	483.17	12.54	1,311.24	806.04	

(iii) पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है

(राशि लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2012 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	31 मार्च, 2013 के अनुसार
(i) मिट्टी कार्य	13,606.50	3,900.66	-	17,507.16
(ii) पुल जो निर्माणधीन है	17,462.34	16,290.40	-	33,752.74
(iii) अन्य परियोजना व्यय	21,166.50	7,666.95	-	28,833.45
(iv) फोरमेशन	41.29	32.39	-	73.68
(v) उप शीर्ष विद्युत उपस्कर	8.22	-	-	8.22
(vi) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक खर्च (विकास खाता लंबित पूंजीकरण) (नोट नं. 17)	13,426.93	4,836.31	-	18,263.23
कुल	65,711.78	32,726.71	-	98,438.49

(iv) हस्तगत पूंजी भंडारण

(राशि लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2012 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	31 मार्च, 2013 के अनुसार
(i) रेल सप्लाई	-	1,572.72	-	1,572.72
कुल	-	1,572.72	-	1,572.72

(v) विकास के अंतर्गत परिसंपत्तियां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2012 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	31 मार्च, 2013 के अनुसार
मूर्त				
(i) इस्टॉल की जाने वाली वातानुकूलित प्रणाली की प्रगति	-	8.42	-	8.42
(ii) लीज होल्ड सुधारों की प्रगति	-	98.84	-	98.84
अमूर्त				
(iii) आईटी सॉफ्टवेयर की प्रगति	47.66	114.00	-	161.66
कुल	47.66	221.26	-	268.92

12. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम*

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
(क) पूजा अग्रिम		
प्रतिभूत समझा गया माल		
संचलन अग्रिम (डीएफसीसीआईएल के पक्ष में यंत्र और संयंत्र के गिरवी रखने के विरुद्ध)	4,830.81	4,830.81
अप्रतिभूत समझा गया माल		
रेलवे को अग्रिम	919.17	862.39
बिजली सब स्टेशन के लिए अग्रिम	10,907.57	830.14
उपयोगिताओं के स्थानान्तरण के लिए अग्रिम	85,890.27	2,484.01
अधिकारियों के फ्लैट के और अतिथि ग्रह के निर्माण के लिए अग्रिम	1,401.50	899.00
संचालन अग्रिम	26,779.10	12,837.12
कुल (क)	130,728.42	22,743.46
(ख) जमानत राशि		
जमानत राशि-विद्युत	20.95	18.25
जमानत राशि-लीज किया	19.77	16.16
टेलीफोन एवं अन्य के विरुद्ध जमानत राशि	0.42	0.31
पेड़ों को काटने के विरुद्ध जमानत	36.02	-
कुल (ख)	77.15	34.72
(ग) अन्य		
आयकर और टीडीएस अग्रिम (प्रावधान का नोट)	416.50	80.51
कुल (ग)	416.50	80.51
कुल (क+ख+ग)	131,222.07	22,858.70

• बोर्ड के विचारानुसार ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यापार के सामान्य रूप में हफेता है तो वह लेखे में वर्णित मूल्य से कम नहीं होगा।

12.1 जमानत राशि :

कंपनी ने ठेकेदारों और उप किराएदारों से सावधि जमा रसीदों के रूप में 197.33 लाख रु. (गत वर्ष 178.29 लाख रु.) की जमानत जमा राशि प्राप्त ही है। तदनुसार से इसे परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

13. नकद एवं नकद समकक्ष

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
(क) नकद एवं नकद समकक्ष		
बैंक शेष		
-- चालू खाते*	(9,851.38)	16,163.05
-- फ्लैक्सी एवं सावधि जमा खाते**	63,664.00	25,355.71
(ख) अन्य बैंक शेष		
-- सावधि चालू खाते	379.72	379.72
कुल (क) + (ख)	54,192.34	41,898.48

* चालू खाते में नकारात्मक शेष बैंक के साथ जो चेक जारी किए गए हैं वह फ्लैक्सी जमा के विरुद्ध लंबित चेक के क्लीयरेंस के हैं।

** तीन माह से अधिक मेच्युरिटी के साथ सावधि जमाओं के रु. 4000 लाख शामिल हैं।

13.1 पट्टे के विरुद्ध जमानत राशि के रूप में ग्रहणाधिकार तहत सावधि जमा रु. 329.41 (पिछले वर्ष 329.41 लाख) डीएमआरसी को दिया और मध्य रेलवे मुम्बई को रु. 50.31 लाख (पिछले वर्ष 50.31 लाख दिए गए। विकास खाते में सावधि जमाओं में ब्याज के रूप में जिसमें उपाजित राशि पर ब्याज रु 37.35 लाख (पिछले वर्ष 34.52 लाख) शामिल है।

14 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम*

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
अप्रतिभूत समझा गया माल		
(क) संबंधित पक्षकारों को ऋण एग्रीम		
(i) खर्च के लिए निदेशकों को दिया गया अग्रिम	-	-
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i) भूमि अधिग्रहण पर खर्च—रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	3,858.42	2,847.51
(ii) पेट्स सर्वे पर खर्च—रेल मंत्रालय से वसूलने योग्य	1,194.74	-
(iii) कर्मचारी अग्रिम	16.31	0.58
(iv) पूर्व भुगतान किए गए खर्च	34.50	19.37
(v) सेवा पर इनपुट क्रेडिट	1.06	0.08
(vi) जमानत राशि एनडीएमसी	10.87	9.98
(vii) जमानत राशि लीज किराया	32.36	18.11
(viii) अन्य	79.61	36.80
कुल	5,227.87	2,932.43

* बोर्ड के विचारानुसार ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यापार के सामान्य रूप में होता है तो वह लेखे में वर्णित मूल्य से कम नहीं होगा।

14.1 भूमि अधिग्रहण पर खर्च :

(क) रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी रेल मंत्रालय की ओर से रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी के साथ भूमि अधिगृहीत कर रही है। कंपनी ने दिनांक 31.03.2013 तक भूमि के अधिग्रहण के संबंध में 38.54 करोड़ रु. (गत वर्ष 28.48 करोड़ रु.) की राशि खर्च की है। उक्त को रेल मंत्रालय की पुष्टि से प्राप्त किया गया है।

(ख) (i) इसके अतिरिक्त बैंक खाते खोल दिए गए हैं और इन खातों को सक्षम प्राधिकारी और कंपनी के एक नोमिनी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। ऐसे बैंक खाते कंपनी के खातों का भाग नहीं होते हैं।

(ii) विभिन्न बैंकों में फ्लैक्सी सावधि जमा के रूप में 8.50 करोड़ रु. (गत वर्ष 4.76 करोड़ रु.) की राशि राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) की ओर तथा 0.06 करोड़ रु. (गत वर्ष 0.06 करोड़ रु.) की राशि एसएलएओ बैंक खाते में चालू खाते में जमा है।

14.2 अग्रिम कर एवं आयकर के लिए प्रावधान

(क) दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी खाता विवरण एएस 22 "के लिए लेखांकन" के पैरा 27 के अनुसार आय पर करों अग्रिम कर का शुद्ध प्रावधान प्रकट किया गया है।

आयकर के लिए प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त सावधि जमाओं तथा सेवा शुल्कों से प्राप्त राशि के आधार पर रखा गया है। किंतु ठेकेदारों को दिए गए संग्रहण अग्रिम पर ब्याज का इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है जबकि परामर्शदाताओं से प्राप्त विचारों पर आधारित पूंजी रसीद के अनुसार इसे वही समझा गया है। लेखा मापदंड 22 के अनुसार आय पर कर के लिए कोई समायोजन नहीं किया है क्योंकि कंपनी अभी निर्माणाधीन अवस्था में है।

15. अन्य चालू परिसंपत्तियां *

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
अप्रतिभूत समझा गया माल		
(क) सावधि जमा और संचलन अग्रिम पर एक्रयूड ब्याज		
सावधि जमा पर	167.91	31.71
संचलन अग्रिम पर	470.70	1,530.11
(ख) अन्य वसूलने योग्य	863.23	596.77
(उप पट्टे के लेखे पर वसूलने योग्य किराया और सुविधा प्रबंधन प्रभार आदि को प्रदर्शित करता है)		
कुल	1,501.84	2,158.59

*बोर्ड के विचारानुसार ऋणों और अग्रिमों का मूल्य यदि व्यापार के सामान्य रूप में होता है तो वह लेखे में वर्णित मूल्य से कम नहीं होगा।

16. अन्य आय (नोट सं. 22 भी देखें)

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
(क) ब्याज आय		
एफ डी आर पर ब्याज	1,865.03	834.78
कुल (क)	1,865.03	834.78
(ख) अन्य गैर परिचालन आय		
विविध आय	1.35	0.95
जमानत राशियां एवं अर्जित राशि जमा जब्त बैंक गारंटी से प्राप्त नकदी बैंक गारंटी से प्राप्त नकदी	15.69	8.88
उप पट्टे पर किराये की वसूली (नीचे नोट सं. 16.1 देखें)	-	3.41
हाउसकीपिंग	454.91	481.32
कार्यालय सुरक्षा खर्च	25.27	22.28
कार्यालय सुरक्षा खर्च	41.93	43.87
कार्यालय विद्युत खर्च	40.60	38.89
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.04	0.01
मरम्मत एवं अनुरक्षण—वातानुकूलन	-	12.70
रसोई	-	0.54
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	16.31	4.37
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	0.58
प्राप्त किया गया कंपोजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन प्रभार	224.00	283.50
कुल (ख)	820.09	901.31
(ग) घटाएं: प्रत्यक्ष खर्च		
हाउसकीपिंग खर्च	22.47	23.79
किराया	454.91	481.32
कंपोजिट किराया एवं सुविधा प्रबंधन खर्च	127.16	143.38
कार्यालय सुरक्षा खर्च	37.29	45.72
कार्यालय विद्युत खर्च	36.11	39.97
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.03	0.01
मरम्मत एवं अनुरक्षण—वातानुकूलन	-	11.31
रसोई	-	0.48
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	14.50	3.89
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	0.51
इंटरनेट खर्च	-	1.14
कुल (ग)	692.47	751.52
(घ) शुद्ध अन्य गैर परिचालन आय (ख)-(ग)	127.63	149.79
शुद्ध अन्य आय (क)-(घ)	1,992.66	984.57

16.1 उप पट्टा :

2012-13 की अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए उप पट्टा वसूलने योग्य राशि 454.91/- रु. है (गत वर्ष 481.32/-रु.) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

17 विकास लेखा (लम्बित पूंजीकरण)

(राशि लाख रु. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
कर्मचारी कल्याण खर्च	18	3,983.81	2,404.58
वित्तीय लागत	18 A	583.62	1,680.86
ह्रास एवं परिशोधन खर्च	18 B	421.08	481.53
अन्य खर्च	18 C	4,561.81	2,936.37
कुल (क)		9,550.33	7,503.35
घटाएं:			
निर्णीत हर्जाना (एल डी ए)		1,615.94	1,041.50
संचलन अग्रिम पर ब्याज		1,799.08	1,521.25
विदेशी मुद्रा बढ़/घट		(78.81)	50.91
निविदा की बिक्री		28.26	33.96
कुल (ख)		3,364.47	2,647.62
शुद्ध खर्च (क-ख)		6,185.85	4,855.73
लाभ एवं हानि खाते से हस्तांतरित लाभ		1,349.54	673.13
कार्यगत पूंजी में हस्तांतरित कुल (सी डब्ल्यू आई पी)		4,836.31	4,182.60

18 कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन	2,214.34	1,288.02
वेतन बकाया लेखा	4.43	3.72
यात्रा/दैनिक भत्ता	191.23	98.19
टीएडीके भत्ता	64.22	45.30
वेतन बकाया (सीडीए से आईडीए)	-	3.07
वेतन बकाया (आईडीए से सीडीए)	49.22	30.54
अनुलाभों पर कर	215.80	181.00
फारेन सर्विस कंट्रीब्यूशन (नीचे नोट सं. 19.1 देखें)	118.34	76.14
फर्नीशिंग भत्ता	25.29	11.86
मकान किराया भत्ता	39.62	11.77
मकान किराया भत्ता	15.93	6.88
छुट्टियों का नकदीकरण	55.54	15.78
डंपादान	5.46	1.52
ईपीएफ नियोक्ता अंशदान	74.78	35.58
ईपीएफ पर प्रशासनिक प्रभार	32.02	22.45
परिवहन भत्ता	20.61	20.33
समेकित यात्रा भत्ता	0.98	0.57
मिश्रित स्थानांतरण सहायता	76.18	51.42
मादेय	1.18	0.11
व्यय भत्ते	0.04	0.64
छुट्टी यात्रा छूट	8.20	14.57
मेडीकल इनडोर	154.81	95.04
मेडिकल आउटडोर	40.95	27.40
ट्यूशन फीस	127.76	109.80
लइसेंस फीस	401.61	226.46
पट्टा किराया	9.77	5.33
व्यवसायिक अध्ययन भत्ता	6.78	4.58
कर्मचारी क्लब सदस्यता शुल्क	5.85	1.94
विशेष व्यवसायिक भत्ता	1.37	0.44
कैंटीन भत्ता	0.71	0.63
प्रभार भत्ता	0.80	0.31
एन पी एस अंशदान	19.96	13.15
विद्युत स्टाफ	-	0.07
एफ एस सी पर ब्याज	-	0.07
कुल योग	3,983.81	2,404.58

18ए वित्तीय लागत

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
ई ए पी/ जायका ऋण पर ब्याज	567.14	379.76
आई बी आर डी ऋण पर ब्याज	16.48	3.38
अग्रिम शुल्क	-	1,297.73
कुल	583.62	1,680.86

18बी मूल्यहास और परिशोधन खर्च

मूल्यहास-ई डी पी परिसंपत्तियां	81.45	67.00
मूल्यहास-कार्यालय उपकरण	59.03	55.48
मूल्यहास-फर्नीचर एंड फिक्सचर	35.62	26.60
मूल्यहास-पट्टाधारी सुधार	244.98	332.44
कुल	421.08	481.53

18सी अन्य व्यय

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन खर्च	243.84	123.33
कर्मचारी कल्याण	154.02	117.74
संचार व्यय	58.95	41.69
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	146.16	120.59
विविध खर्च	84.18	50.97
पुस्तकें और पत्रिकाएं	30.46	21.19
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	115.51	77.48
डायरेक्टर सीटिंग फीस	5.90	5.20
परामर्शदाताओं को परामर्श फीस	221.54	121.76
नियुक्ति परामर्श प्रभार	255.70	176.07
भर्ती प्रभार	151.73	-
बिजली खर्च	70.32	74.12
पावर एवं इंधन	4.67	2.87
रखरखाव खर्च	169.47	102.53
लेखा परीक्षा शुल्क	-	-
सांविधिक लेखा परीक्षण शुल्क	4.49	4.49
कर लेखा परीक्षण शुल्क	-	1.10
बैठक और सम्मेलन	13.72	6.73
दर एवं कर	120.54	21.96
किराया	987.25	891.64
दौरे, यात्राएं और सवारी भत्ता	1,132.42	742.47
संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण खर्च	402.08	25.73
मरम्मत और अनुरक्षण-अन्य	84.12	40.84
वार्षिक अंशदान शुल्क-सूचना तकनीक परमर्श एवं साफ्टवेयर	11.86	22.42
कार्यालय खर्च	14.44	9.26
मेहमाननवाजी खर्च	15.64	12.46
कार्यालय सुरक्षा व्यय	45.07	33.30
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1.68	2.75
सेवा कर / टीडीएस पर ब्याज	2.25	2.28
विदेशी मुद्रा खर्च	13.15	4.73
अवधि पूर्व समायोजन (नोट नं. 19)	0.65	78.68
योग	4,561.81	2,936.37

• पट्टा किराया :

कंपनी ने अपने कार्पोरेशन कार्यालय के लिए परिसर दिनांक 15 फरवरी, 2008 से प्रभावी परिचालनिक पट्टे पर लिया है। पट्टे की वर्तमान शर्तों के दौरान पट्टे को रद्द नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने परिसर का कुछ भाग उप-पट्टे पर दिया है जिसे पट्टे की वर्तमान शर्तों के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए विकास लेखे के विवरण में दर्शाया गया पट्टे का भुगतान 1,555.74/- रु. है (गत वर्ष 1,516.34/-रु.)

19 अवधि पूर्ण समायोजन

(राशि लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्श शुल्क	-	(4.08)
गाड़ियों का किराया	-	0.51
अवधि पूर्व विविध समायोजन	(0.57)	0.78
मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	-	(0.82)
व्यावसायिक प्रभार	-	3.32
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	-	(0.79)
वार्षिक जमा शुल्क	-	6.03
कार्यालय सुरक्षा खर्च	-	(3.29)
एफडीआर पर ब्याज	-	1.30
मूल्य हास	0.62	-
लीज किराया	0.60	75.72
योग	0.65	78.68

अवधि पूर्ण समायोजन 2012-13

0.65

अवधि पूर्ण समायोजन 2011-12

78.68

20 आकस्मिक देनदारियां

i) कंपनी को रेल मंत्रालय की ओर से भूमि अधिग्रहण के संबंध में बहुत से मामलों का न्यायालय और पंचाट में सामना करना पड़ रहा है। इस लेखें में कंपनी की कोई देनदारी नहीं बनती है। हालांकि कुछ पक्षों ने उनके साथ करार को लेकर पंचाट में अपना मामला डाला है। इन ठेकों के अंतर्गत दावे की राशि 29,296.31/- लाख रु. (विगत वर्ष की राशि रु. 624.61 लाख) बनती है। प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने का लंबित मामला जो प्रारंभिक अवस्था में है, इस दिशा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ii) विवादास्पद आयकर मांग पर पुर्नविचार किया जा रहा है रु. 11.90 लाख (विगत वर्ष रु. 11.90 लाख)

21. पूंजी वचनबद्धता
पूंजी खाते पर पूरे किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया 4,42,320.94 लाख रु. (गत वर्ष 1,43,736.43 लाख रु.)
22. कंपनी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के ईस्टर्न और सेक्शन से संबंधित कार्य के लिए निर्माणाधीन स्तर पर है। परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है और वर्ष के दौरान कोई परिचालन आय नहीं हुई है। इसलिए लाभ एवं हानि खाता केवल गैर परिचातनिक आय जैसे बैंक जमा पर ब्याज और उप पट्टे पर उपलब्ध सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर सेवा प्रभार आय के लिए ही तैयार किया जा रहा है। लाभ एवं हानि खाते के शेष को खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।
23. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण :
- (क) निदेशक
मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री आर. के. गुप्ता	प्रबंधक निदेशक
श्री ए. के. दत्ता	पूर्णकालीन निदेशक (अवसंरचना)
श्री भरत सल्होत्रा	पूर्णकालीन निदेशक (वित्त) 17.09.2012 से 28.01.2013
श्री पी. एन. शुक्ला	पूर्णकालीन निदेशक (ओपीआर एंड बीडी) 15.10.2012 से
श्री एच. डी. गुजराती	पूर्णकालीन निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) 29.11.2012 से
श्री अंशुमान शर्मा	पूर्णकालीन निदेशक (पीपी)

अन्य निदेशक

श्री विनय मित्तल	अंशकालिक अध्यक्ष
श्री रंजन जैन	अंशकालिक अध्यक्ष 30.09.2012 तक
श्री गजेंद्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक
श्री गिरीश पिल्लई	अंशकालिक निदेशक 14.11.2012 से
श्री डी. टी. जोसफ	अंशकालिक निदेशक
श्री भास्कर गुप्ता	अंशकालिक निदेशक
श्री आर. एस. शर्मा	अंशकालिक निदेशक 25.04.2012 से

24. क) प्रबंधन पारिश्रमिक

विवरण	वर्ष समाप्ति 31.3.2013	वर्ष समाप्ति 31.3.2012
वेतन एवं भत्ते (पीसी और आईडीए एरियर सहित)	96.91	113.02
भत्तों का मूल्य	25.35	27.04

ख) अंशकालीन निदेशकों को निदेशक बैठक प्रभार

विवरण	वर्ष समाप्ति 31.3.2013	वर्ष समाप्ति 31.3.2012
अंशकालीन निदेशकों को निदेशक सिटिंग प्रभार	5.60	5.20

25. विदेशी मुद्रा खर्च

विवरण	वर्ष समाप्ति 31.3.2013	वर्ष समाप्ति 31.3.2012
आई टी शुल्क के लिए अंशदान	22.68	18.12
दौरे, यात्रा भत्ता	6.57	4.73
परियोजना परामर्श सेवाएँ	-	43.93
एल. सी. खोलने का प्रभार	13.42	17.78
बैंक प्रभार, जायका ऋण	19.78	3.08
संगोष्ठी प्रशिक्षण शुल्क	-	5.92

26. शेयर पूंजी/शेयर आवेदन निधि के रूप में प्राप्त 47,768.38 लाख रु (गत वर्ष रु. 24,879.61 लाख) की राशि का उपयोग नहीं किया गया तथा 31 मार्च, 2013 को यह राशि सावधि/फ्लेक्सी जमाओं के रूप में अनुसूचित बैंकों में है।

27. कंपनी ने संबंधित पक्षों से पुष्टि प्राप्त करने के लिए पत्र भेजे हैं जिसमें से कुछ पक्षों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। निजी शेष का बकाया उनके संबंधित पुष्टि की शर्तों पर आधारित है।

28. ठेकेदारों में से एक ने गुजरात मूल्य सवर्धित कर (जी वी ए टी) के संबंध में उप ठेकेदार को देनदारी के लिए रु. 573.41 लाख का दावा किया है यद्यपि इसे प्राप्त करने के लिए दावा करती है और तदनुसार तम्बित अंतिम सेटलमेंट लेखों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

29. निर्माणाधीन फ्रेट कोरीडोर सहित कंपनी ने विभिन्न पार्टियों को उपयोगिताओं को सृजित/स्थानान्तरित करने के लिए अग्रिम दिये हैं। इस प्रकार की अग्रिम की कुल राशि दिनांक 31.03.2013 तक रु. 97,717.01 लाख (गत वर्ष रु. 4,176.53 लाख) है। विभिन्न स्तरों पर कार्य की प्रगति के अंतर्गत और संबंधित पार्टियों द्वारा संबंधित कार्य के पूरा होने पर हिसाब किया जाएगा।
30. वित्तीय विवरणों का आंकड़ा लगभग रु. लाख है। गत वर्ष के आंकड़ों को रिकास्ट और रिग्रुप किया जा चुका है और ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों को तुलनात्मक बनाया जाए।
इस विवरण का उल्लेख हमारी उक्त रिपोर्ट में किया गया है।

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह/-

सीए राजेश कुमार
पार्टनर

सदस्यता सं. 501860

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002198 N

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.07.2013

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(आर. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-

(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

ह/-

(एच. डी. गुजराती)
निदेशक/परिचालन एवं
व्यवसाय विकास

जैन चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

105, ज्योति भवन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009

फोन: 27652776, 27652091 फैक्स: 011-27650155

ई-मेल: jc_company@sify.com

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत:

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2013 के संलग्न संतुलन पत्र तथा उसके साथ संबद्ध उसी तिथि को समाप्त कॉर्पोरेशन के विकास व्यय लेखे का लेखा और लेखा नीतियों और व्याख्यात्मक सूचना सारांश का परीक्षण कर लिया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेवारी प्रबंधन की है वह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानको के अनुसार कंपनी के कैश फ्लो और वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सत्य और स्वच्छ स्वच्छ जानकारी दें। जिम्मेदारी में डिजायन, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण और संबंधित आंतरिक कंट्रोल को तैयार कर अनुरक्षण करने और उसका कार्यान्वयन सम्मिलित है ताकि वह सत्य और स्वच्छ और निष्पक्ष विचार दें सके और धोखाधड़ी या गलती के लिए गलत बयान से मुक्त हो सकें।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्वीकृत लेखा परीक्षण मानको के अनुसार किया है। उन मानकों में अपेक्षाकृत है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हों वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में उल्लिखित प्रमाण की एक परीक्षण के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल होना है। क्या धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों के गलत जोखिम का आंकलन जिसमें लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित चुनिन्दा प्रक्रियायें शामिल होती है। इन जोखिम आंकलनों को बनाते समय, लेखा परीक्षक द्वारा उचित परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के क्रम में वित्तीय विवरणों की स्वच्छ और कंपनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंकलनों का मूल्यांकन तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। एक लेखा परीक्षा भी इस्तेमाल लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी प्रबंधन के साथ शामिल होता है वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार उपलब्ध है।

विचार

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को पिछले वर्ष से संबंधित भुगतान पारिश्रमिक पर देय करों की वसूली नहीं की गई है। प्रबंधन द्वारा वसूली करने के लिए यद्यपि प्रयास किये जाने हैं।

निम्नानुसार ध्यान आकर्षित किया जाता है।

- क. टिप्पणी संख्या 13.1 के संबंध में जहां अपने कर्मचारियों की सावधि जमा के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. (डीएमआरसी) के साथ लीज एग्रीमेंट के अनुसार जमानत के रूप में जमा राशि पर ब्याज के रूप में प्राप्त 32.11 लाख रु. (31 मार्च, 2013 तक संचयी आंकड़ा 134.42 लाख का है) की आय की पहचान की है। लीज की शर्तों में प्रावधान है कि बिना ब्याज के जमानत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। डीएमआरसी से लिखित में पुष्टि न होने के कारण हम उक्त आय पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। उप किराए से प्राप्त ऐसी जमा राशियों के संबंध में किसी आय की पहचान नहीं की गई है।
- ख. कंपनी द्वारा 31 मार्च 2013 तक किए गए खर्चों के संबंध में रेल मंत्रालय से 38.54 करोड़ रु. की राशि दावे के संबंध में टिप्पणी सं. 14.1 (क) और रेल मंत्रालय से वसूली योग्य दिखाए गए खर्च बशर्ते कि रेल मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन, मिलान और पुष्टि की गई हो।
- ग. टिप्पणी संख्या 14.2 ठेकेदारों से जुटाए गए अग्रिमों और परिनिर्धारित नुकसान की वसूली पर आयकर पर ब्याज पर गैर प्रावधान से संबंधित है।
- घ. टिप्पणी संख्या 28 जीवीएटी के संबंध में एक ठेकेदार से रु. 573.41 लाख के दावे के गैर प्रावधान से संबंधित है।

हमारे विचार में और हमारी सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण परिणामी प्रभाव के अधीन, उपर्युक्त हमारे पर्यवेक्षण के आधार पर राशि ढंग से कार्य से आवश्यक जानकारी देने के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसलिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष विचार हम देते हैं।

- i. दिनांक 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र, कंपनी के मामलों की स्थिति के मामलों ;
- ii. लाभ और हानि का विवरण, वर्ष के अंत के लिए लाभ / हानि के मामलों में ; और
- iii. कैश फ्लो विवरण, वर्ष के अंतर में कैश फ्लो तक दिनांक पर।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 की आवश्यकता अनुसार कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 227 (4ए) के निबंधन में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी संशोधन आदेश 2004 को कंपनी की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ हमने पढ़ लिया है। हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में वर्णित विवरणों को अनुलग्नक में संलग्न करते हैं।

2. एक्ट की धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित है।

हम आगे सूचित करते हैं कि :

- (क.) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली है, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख.) हमारी राय में जहां तक पुस्तिकाओं के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है, निगम द्वारा जैसाकि कानूनन अपेक्षित है, लेखों की सभी बहियां उचित ढंग से रखी गई हैं।
- (ग.) कंपनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते के स्थान पर तैयार किया गया विकास व्यय (पेंडिंग कैपिटलाइजेशन) और नकदी प्रवाह विवरण जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, लेखा बहियों से पूरी तरह मेल खाते हैं।
- (घ.) हमारी राय में कंपनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित इस रिपोर्ट के लेखाकंन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- (ङ.) कंपनी मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) दिनांक 21.10.2013 के अनुसरण में निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) का खंड (छ) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (च.) चूंकि केन्द्र सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 ए अंतर्गत न तो कोई उपकर का भुगतान किया जाना है और ना ही उक्त धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किया गया है, इस प्रकार उपकर का भुगतान किया जाना है, अभी कंपनी पर कोई उपकर बकाया नहीं है।

ह/-

राजेश कुमार

पार्टनर

सदस्यता सं. 501860

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन 002198 एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त 08, 2013

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(समसंख्यक तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में यथा वर्णित)

1. क.) कंपनी ने सामान्य रूप से अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की अवस्थिति और संख्यात्मक ब्योरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं। किंतु सभी मामलों में सही स्थानों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
ख.) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इन स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हम सूचित करते हैं कि इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई है। ध्यान में लाई गई विसंगतियों को नोट कर बही खातों के साथ उचित ढंग से निपटाया गया है।
ग.) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया है।
2. हमें जैसा कि सूचित किया गया है कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 301 के अंतर्गत रजिस्टर के अभिलेख के अनुसार अन्य पक्षकारों अथवा कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूति ऋण न दिए गए हैं और लिए गए हैं।
3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी के मानदंड के अनुसार और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना अचल संपत्ति की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान और जमा राशि के लिए निवेश करने के अतिरिक्त अचल परिसंपत्तियों और इनवेंटरी की खरीद के लिए अपने व्यापार की प्रकृति, रेल मंत्रालय एसएलएओ और लेखा के शेष मिलान और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियायें सामान्य रूप से पर्याप्त और अनुरूप है। यद्यपि हमने सूचित कर दिया है कि एसएलएओ से संबंधित लेखों में रेल मंत्रालय के साथ शेष के मिलान के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर उचित कदम उठाये जाएं। हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें आंतरिक नियंत्रण में बड़ी विफलता जैसी कोई कमी नहीं पाई है।
4. क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक्ट, 1956 सेक्शन 301 में वर्णित कोई भी संविदा अथवा व्यवस्थायें नहीं की गई हैं जिनकी उक्त सेक्शन के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किए जाने की जरूरत होती है।
ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में किसी संविदा या व्यवस्थाओं की खरीद में कंपनी के किसी लेनदेन को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है।
5. वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. कंपनी की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट की वाह्य फर्म द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यद्यपि कंपनी की अपने व्यापार के क्षेत्र और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस आंतरिक लेखा परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है।
7. कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों अविवादित सांविधिक बकायों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और उपकर सामान्यतया नियमित रूप से जमा कराती रही है। सेवा कर के सहित आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कर्मचारियों को दिए जाने वाले अनुलाभ पर आयकर के भुगतान में देरी हुई। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के संबंध में कोई अविवादित धनराशि देय नहीं है।

8. विवादित मांगों के संदर्भ में स्थिति इस प्रकार है:

मूल्यांकन वर्ष	प्रकृति	राशि	फोरम
2009-10	आयकर	11,89,823 / -	आई टी (ए) के समक्ष

9. कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई संचित हानि नहीं हुई है और कंपनी के विकास स्तर पर होने के कारण वर्ष के दौरान और प्रारंभिक वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।
10. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की ओर से किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को कोई ऋण देय नहीं है।
11. हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, ऋण-पत्रों, और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।
12. चिट फंड, निधि, परस्पर हित लाभ फंड या सोसाइटियों पर लागू प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
13. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों और अन्य निवेशों की खरीद फरोख्त में संलिप्त नहीं है।
14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी है।
15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने रेल मंत्रालय से कोई अवधि ऋण प्राप्त किया है और इसे जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उसी में उपयोग किया जा रहा है।
16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दीर्घकालीन राशि जुटाई है। जो कि दीर्घकालीन उद्देश्य में खर्च की जाएगी।
17. कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज पक्षकारों और कंपनियों को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई अधिमानतः शेयर आबंटित नहीं किए गए हैं।
18. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किए हैं।
19. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
20. हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है।

ह/-

राजेश कुमार
पार्टनर

सदस्यता सं. 501860

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन 002198 एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त 08, 2013

जैन चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

105, ज्योति भवन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009

फोन: 27652776, 27652091 फैक्स: 011-27650155

ई-मेल: jc_company@sify.com

लेखा परीक्षक की संशोधित रिपोर्ट

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत :

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2013 के संलग्न संतुलन पत्र तथा उसके साथ संबद्ध उसी तिथि को समाप्त कॉर्पोरेशन के विकास व्यय लेखे का लेखा और लेखा नीतियों और व्याख्यात्मक सूचना सारांश का परीक्षण कर लिया है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लेखा परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के संशोधित परिणामों पर आधारित है जिन्हें इनवेंटरी और लागत लेखा परीक्षा के मामलों में शामिल किया जाना आवश्यक है हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक में यद्यपि यह कंपनी पर लागू नहीं होते। इसलिए यह रिपोर्ट हमारी दिनांक अगस्त 08, 2013 की पहले की रिपोर्ट को सपरसीड करती है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेवारी प्रबंधन की है कि वह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के केश प्लो और वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सत्य और स्वच्छ स्वच्छ जानकारी दें। जिम्मेदारी में डिजायन, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण और संबंधित आंतरिक कन्ट्रोल को तैयार कर अनुरक्षण करने और उसका कार्यान्वयन सम्मिलित है ताकि वह सत्य और स्वच्छ और निष्पक्ष विचार दें सके और धोखाधड़ी या गलती के लिए ग़लत बयान से मुक्त हो सकें।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों में अपेक्षाकृत है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण ग़लत सामग्री से मुक्त हों वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में उल्लिखित प्रमाण की एक परीक्षण के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल होना है। क्या धोखाधड़ी या ग़लती के कारण वित्तीय विवरणों के ग़लत जोखिम का आंकलन जिसमें लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित चुनिन्दा प्रक्रियायें शामिल होती है। इन जोखिम आंकलनों को बनाते समय, लेखा परीक्षक द्वारा उचित परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के क्रम में वित्तीय विवरणों की स्वच्छ और कंपनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंकलनों का मूल्यांकन तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। एक लेखा परीक्षा भी इस्तेमाल लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी प्रबंधन के साथ शामिल होता है वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार उपलब्ध है।

विचार

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को पिछले वर्ष से संबंधित भुगतान पारिश्रमिक पर देय करों की वसूली नहीं की गई है। प्रबंधन द्वारा वसूली करने के लिए यद्यपि प्रयास किये जाने हैं।

निम्नानुसार ध्यान आकर्षित किया जाता है।

- क. टिप्पणी संख्या 13.1 के संबंध में जहां अपने कर्मचारियों की सावधि जमा के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. (डीएमआरसी) के साथ लीज एग्रीमेंट के अनुसार जमानत के रूप में जमा राशि पर ब्याज के रूप में प्राप्त 32.11 लाख रु. (31 मार्च, 2013 तक संचयी आंकड़ा 134.42 लाख का है) की आय की पहचान की है। लीज की शर्तों में प्रावधान है कि बिना ब्याज के जमानत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। डीएमआरसी से लिखित में पुष्टि न होने के कारण हम उक्त आय पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। उप किराए से प्राप्त ऐसी जमा राशियों के संबंध में किसी आय की पहचान नहीं की गई है।
- ख. कंपनी द्वारा 31 मार्च 2013 तक किए गए खर्च के संबंध में रेल मंत्रालय से 38.54 करोड़ रु. की राशि दावे के संबंध में टिप्पणी सं. 14.1 (क) और रेल मंत्रालय से वसूली योग्य दिखाए गए खर्च बशर्ते कि रेल मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन, मिलान और पुष्टि की गई हो।
- ग. टिप्पणी संख्या 14.2 ठेकेदारों से जुटाए गए अग्रिमों और परिनिर्धारित नुकसान की वसूली पर आयकर पर ब्याज पर गैर प्रावधान से संबंधित है।
- घ. टिप्पणी संख्या 28 जीवीएटी के संबंध में एक ठेकेदार से रु. 573.41 लाख के दावे के गैर प्रावधान से संबंधित है।

हमारे विचार में और हमारी सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण परिणामी प्रभाव के अधीन, उपर्युक्त हमारे पर्यवेक्षण के आधार पर राशि ढंग से कार्य से आवश्यक जानकारी देने के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसलिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष विचार हम देते हैं।

- i) दिनांक 31 मार्च, 2013 को तुलन पत्र, कंपनी के मामलों की स्थिति के मामलों ;
- ii) लाभ और हानि का विवरण, वर्ष के अंत के लिए लाभ/हानि के मामलों में ; और
- iii) कैश फ्लों विवरण, वर्ष के अंतर में कैश फ्लों तक दिनांक पर।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 की आवश्यकता अनुसार कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 227 (4ए) के निबंधन में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी संशोधन आदेश 2004 को कंपनी की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ हमने पढ़ लिया है। हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में वर्णित विवरणों को अनुलग्नक में संलग्न करतें हैं।

2. एक्ट की धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित है।

हम आगे सूचित करते हैं कि :

- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली है, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में जहां तक पुस्तिकाओं के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है, निगम द्वारा जैसाकि कानूनन अपेक्षित है, लेखों की सभी बहियां उचित ढंग से रखी गई हैं।
- (ग) कंपनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते के स्थान पर तैयार किया गया विकास व्यय (पेंडिंग कैपिटलाइजेशन) और नकदी प्रवाह विवरण जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, लेखा बहियों से पूरी तरह मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में कंपनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित इस रिपोर्ट के लेखाकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) का खंड (छ) कंपनी मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) दिनांक 21.10.2013 के अनुसरण में निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित आवश्यकता, सरकारी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होता है। और
- (च.) चूंकि केन्द्र सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 ए अंतर्गत न तो कोई उपकर का भुगतान किया जाना है और ना ही उक्त धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किया गया है, इस प्रकार उपकर का भुगतान किया जाना है, अभी कंपनी पर कोई उपकर बकाया नहीं है।

सीन : नई दिल्ली
दिनांक: सितम्बर 17, 2013

ह/-
राजेश कुमार
पार्टनर
सदस्यता सं. 501860
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 002198 एन

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(समसंख्यक तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में यथा वर्णित)

1. क.) कंपनी ने सामान्य रूप से अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की अवस्थिति और संख्यात्मक ब्योरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं। किंतु सभी मामलों में सही स्थानों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
- ख.) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इन स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हम सूचित करते हैं कि इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई है। ध्यान में लाई गई विसंगतियों को नोट कर बही खातों के साथ उचित ढंग से निपटाया गया है।
- ग.) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया है।
2. खंड सं.(ii) (क) (ख) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी के पास कोई इनवेंट्रीज नहीं हैं।
3. हमें जैसे कि सूचित किया गया है कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 301 के अंतर्गत रजिस्टर के अभिलेख के अनुसार अन्य पक्षकारों अथवा कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूति या अप्रतिभूति ऋण न दिए गए हैं और लिए गए हैं।
4. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी के मानदंड के अनुसार और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना अचल संपत्ति की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान और जमा राशि के लिए निवेश करने के अतिरिक्त अचल परिसंपत्तियों और इनवेंटरी की खरीद के लिए अपने व्यापार की प्रकृति, रेल मंत्रालय एसएलएओ और लेखा के शेष मिलान और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियायें सामान्य रूप से पर्याप्त और अनुरूप हैं। यद्यपि हमने सूचित कर दिया है कि एसएलएओ से संबंधित लेखों में रेल मंत्रालय के साथ शेष के मिलान के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर उचित कदम उठाये जाएं। हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें आंतरिक नियंत्रण में बड़ी विफलता जैसी कोई कमी नहीं पाई है।
5. क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक्ट, 1956 सेक्शन 301 में वर्णित कोई भी संविदा अथवा व्यवस्थायें नहीं की गई हैं जिनकी उक्त सेक्शन के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किए जाने की जरूरत होती है।
ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में किसी संविदा या व्यवस्थाओं की खरीद में कंपनी के किसी लेनदेन को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है।
6. वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
7. कंपनी की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट की वाह्य फर्म द्वारा परफोर्म किया जाता है। यद्यपि कंपनी की अपने व्यापार के क्षेत्र और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस आंतरिक लेखा परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है।
8. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) का प्रावधान जिसमें लागत रिकार्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, कंपनी पर लागू नहीं होती है।
9. कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों अविवादित सांविधिक बकायों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और उपकर सामान्यतया नियमित रूप से जमा कराती रही है। सेवा कर के सहित आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कर्मचारियों को दिए जाने वाले अनुलाभ पर आयकर के भुगतान में देरी हुई। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के संबंध में कोई अविवादित धनराशि देय नहीं है।

10. विवादित मांगों के संदर्भ में स्थिति इस प्रकार है:—

मूल्यांकन वर्ष	प्रकृति	राशि	फोरम
2009-10	आयकर	11,89,823 /—	आई टी (ए) के समक्ष

11. कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई संचित हानि नहीं हुई है और कंपनी के विकास स्तर पर होने के कारण वर्ष के दौरान और प्रारंभिक वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।
12. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की ओर से किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को कोई ऋण देय नहीं है।
13. हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, ऋण-पत्रों, और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।
14. चिट फंड, निधि, परस्पर हित लाभ फंड या सोसाइटियों पर लागू प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
15. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों और अन्य निवेशों की खरीद फरोख्त में संलिप्त नहीं है।
16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी है।
17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने रेल मंत्रालय से कोई अवधि ऋण प्राप्त किया है और इसे जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उसी में उपयोग किया जा रहा है।
18. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दीर्घकालीन राशि जुटाई है। जो कि दीर्घकालीन उद्देश्य में खर्च की जाएगी।
19. कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज पक्षकारों और कंपनियों को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई अधिमानतः शेयर आबंटित नहीं किए गए हैं।
20. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किए हैं।
21. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
22. हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है।

ह/—

राजेश कुमार
पार्टनर

सदस्यता सं. 501860

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन 002198 एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: सितम्बर 17, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 619 (2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के लिए जवाबदेय है। यह राय उनकी पेशेवर निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण और आश्वासन के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होती है। उनकी दिनांक 17 सितंबर, 2013 की संशोधित रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकरण कागजातों से जानकारी लिए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षक की जिज्ञासाओं और कंपनी कार्मिकों और कुछ लेखांकन अभिलेखों चयनित जांच तक ही मुख्यतया सीमित है। हमारी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी राय में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। जिस कारण वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह/-

(दिनेश भार्गव)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (रिलवे वाणिज्य)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 19.09.2013



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India Undertaking
Under Ministry of Railways

Corporate Office : 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Phone : 91-11-23454700 Telefax : 91-11-23454701

Website : www.dfccil.org